अध्याय - 2

अध्याय – दो

2. सरकारी कंपनी से संबंधित निष्पादन लेखापरीक्षा

2.1 मध्य प्रदेश पावर ट्रांसमिशन कंपनी लिमिटेड पर निष्पादन लेखापरीक्षा

कार्यकारी सारांश

प्रस्तावना

मध्य प्रदेश में विद्युत पारेषण एवं ग्रिड संचालन का प्रबंधन और नियंत्रण मध्य प्रदेश पावर ट्रांसमिशन कंपनी लिमिटेड (कंपनी) द्वारा किया जाता है जो कि कुशल, पर्याप्त एवं समन्वित ग्रीड प्रबंधन तथा विद्युत पारेषण करने के लिए अधिदिष्ट है। कंपनी अधिनियम 1956, के अंतर्गत कंपनी का निगमन नवंबर 2001 में हुआ।

कंपनी द्वारा वर्ष 2007–08 के दौरान 33,710 मिलियन यूनिट (एम.यू.) विद्युत पारेषित की गई जो कि 2011–12 में बढकर 40,692 एम.यू. हो गई, अर्थात वर्ष 2007–12 के दौरान 20.71 प्रतिशत की वृद्धि हुई। कंपनी का पारेषण तंत्र 31 मार्च 2012 को 27,060.67 सर्किट किलोमीटर (सी.के.एम.) और 247 अति उच्च दाब उपकेन्द्र जिनकी स्थापित क्षमता 35,544 मेगावाट एम्पीयर (एम.व्ही.ए.) थी, जो कि वार्षिक 40,692 एम.यू. पारेषण करने में सक्षम थे। 31 मार्च 2012 को कंपनी में 5365 कर्मचारी कार्यरत थे।

नियोजन एवं विकास

केन्द्रीय पारेषण इकाई (सी.टी.यू.) और राज्य पारेषण इकाईयों (एस.टी.यू.) के पास सभी संबंधित एजेन्सियों में समन्वय के साथ राष्ट्रीय विद्युत योजना पर आधारित तंत्र के नियोजन और विकास का उत्तरदायित्व है।

68 अति उच्च दाब वाले उपकेन्द्रो के निर्माण, 11,036 एम.व्ही.ए. की परिवर्तन क्षमता में वृद्धि एवं 6914.88 सर्किट किलोमीटर लाईन बिछाने के लक्ष्य के विरूद्ध कंपनी ने 49 अति उच्च दाब उपकेन्द्र, 10,693.50 एम.व्ही.ए. परिवर्तन क्षमता स्थापित की और 6172.54 सर्किट किलोमीटर पारेषण लाईने बिछाई।

उपकेन्द्रों एवं लाईनो का निर्माण

कंपनी द्वारा अति उच्च दाब उपकेन्द्र एवं पारेषण लाईनों के इरेक्शन एवं कमीशनिंग का कार्य चलाया गया। वर्ष 2007–12 के दौरान पूर्ण हुये कार्य की नमूना लेखापरीक्षा से पता चला कि चार माह से 40 माह के लिए काम को पूरा होने में देरी के कई उदाहरण थे जिसका कंपनी के भौतिक और वित्तीय उद्देश्यों पर महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ा।

अपर्याप्त मांग के चलते पवई अति उच्च दाब उपकेन्द्र एवं 132 के.व्ही. लाईन ₹ 15.29 करोड़ से निर्मित अनुपयोगी बनी रही। सतना–छतरपुर लाईन के पूर्ण होने में देरी के कारण ₹ 12.37 करोड़ की कीमत से बना छतरपुर का अति उच्च दाब उपकेन्द्र 11 माह से भी ज्यादा अनुपयोगी पड़ा रहा।

अति उच्च दाब उपकेन्द्र सागर से संबंधित लाईनो के पहले निर्माण हो जाने के कारण ₹ 6.57 करोड़ की लागत से बनी लाईने 11 से 17 माह तक व्यर्थ पड़ी रही।

परिसंविदा प्रबंधन

कंपनी ने 315 एम.व्ही.ए. वाले विद्युत ट्रान्सफॉर्मर एवं उसकी सहायक सामग्री को खरीदने में फोर्स मेजर क्लोज लगाया जिससे आपूर्तिकर्ता को लाभ हुआ और कंपनी को तरल नुकसान के कारण ₹ 24.13 करोड़ कम वसूल हुये।

70 के.एन. और 90 के.एन. के डिस्क इन्सूलेटर को खरीदने के आदेश में जोखिम और लागत उपवाक्य के संचालन में कंपनी असफल रही जिससे फेल हुए इन्सूलेटर को बदलने में लगा अतिरिक्त ₹ 36.46 लाख कम वसूला गया।

पारेषण व्यवस्था का प्रदर्शन

वर्ष 2007–08 से 2011–12 तक कंपनी के पास उच्चतम माँग पर अतिरिक्त क्षमता परिवर्तन था। (220 के.व्ही.) जिसकी रेंज 318 एम.व्ही.ए. से 2985 एम.व्ही.ए. थी और आगे आठ 220 के.व्ही. उपकेन्द्र के पास अनुमति की क्षमता से अधिक क्षमता थी जिसकी कीमत ₹ 48.75 करोड़ थी। 51 अति उच्च दाब सबस्टेशन के पास मात्र एक ट्रान्सफॉर्मर था जबकि वहाँ दो होने चाहिए थे।

कंपनी को अभी तक 220 के.व्ही. के 55 अति उच्च दाब उपकेन्द्रो में से 38 उपकेन्द्रो में बसबार प्रोटेक्शन पेनल लगाना है। कंपनी ने पारेषण नुकसान को कम करने के लिए किसी भी वित्तीय जवाबदेही के बिना एक नवीन अवधारणा को विकसित किया है।

ग्रिड प्रबंधन

220 के.व्ही. और उससे कम क्षमता वाले 242 उपकेन्द्रो में से 46 में ही रिमोट टर्मिनल इकाई स्थापित की गई है। कंपनी में 211 मौको पर बैकिंग डाउन निर्देश जारी किये, जिसका सभी उत्पादकों द्वारा पालन किया गया है।

वित्तीय प्रबंधन

कंपनी की कर पूर्व हानि प्रतिशत 92.29 से कम हुआ। वर्ष 2007–08 में ₹39.94 करोड़ से घटकर वर्ष 2011–12 में ₹ 3.10 करोड़ हो गया है। कंपनी ने विधुत प्रदाय उपलब्धता प्रभार का दावा विधुत वितरण कंपनी से करने में देरी की जिसके फलस्वरूप ₹ 8.17 करोड़ की देय राशि अप्राप्त है। पावर फाइनेन्स कॉरपोरेशन से उठाई गई ऋण की किश्त के भुगतान में देरी के कारण दण्डित ब्याज और ब्याज पर ब्याज ₹ 1.91 करोड़ का अतिरिक्त व्यय हुआ।

सामग्री प्रबंधन

लेखो में प्रदर्शित अंतिम स्कन्ध का मूल्य स्टोर अभिलेखों से मेल नहीं खाता। अप्रचलित/अवशिष्ट को नियमित आधार पर निपटाने के बजाय वे समापन स्कन्ध में 25 प्रतिशत से भी अधिक थे।

निष्कर्ष एवं अनुशंसायें

नये अति उच्च दाब उपकेन्द्रो और लाईनों के निर्माण और इसके अलावा परिवर्तन क्षमता में वृद्धि योजना को कंपनी हासिल नहीं कर सकी। कार्यों को पूरा होने में 4 से 10 महीने की देरी के कई उदाहरण थे। कंपनी ने ₹ 24.13 लाख के तरल क्षति को ठेकेदारों से कम वसूला। कंपनी ने पारेषण नुकसान को कम करने के लिए बिना किसी वित्तीय जवाबदेही के एक नवीन प्रयोग किया है। 220 के.व्ही. से कम क्षमता वाले 242 उपकेन्द्रो में 46 में ही आर.टी.यू. स्थापित किया। कंपनी पी.एफ.सी. के लिए ऋण को ब्याज सहित समय के भीतर चुकाने में असमर्थ रही। खाते में प्रदर्शित अंतिम स्कन्ध का मूल्य स्टोर अभिलेखों से मेल नहीं खाता।

हम अनुशंसा करते है कि कंपनी अति उच्च दाब वाले उपकेन्द्रो के निर्माण मे देरी के कारणों का विश्लेषण करें और वैकल्पिक तरीको की तलाश करें जिससे कि कार्य तय समय सीमा के अन्दर हो सके। अनुबंध में प्रावधानों के तहत तरल क्षति को वसूला जा सके। सभी अति उच्च दाब उपकेन्द्रों पर आर.टी.यू. स्थापित करें, ग्रिड अनुशासन के उल्लंघन के अवसरों को कम से कम किया जा सकें और अप्रचलित भंडार की सूची बना कर विद्युत वितरण कंपनी में प्रसारित करें ताकि उनका यथा सम्भव उपयोग हो सके।

प्रस्तावना

2.1.1 वर्ष 2012 तक सभी को विश्वसनीय एवं गुणवत्तायुक्त विद्युत आपूर्ति की दृष्टि से भारत सरकार ने फरवरी 2005 में राष्ट्रीय विद्युत नीति (एन.ई.पी.) तैयार की। एन.ई.पी. ने विद्युत तंत्र में पर्याप्त एवं समय पर निवेश की आवश्यकता के अतिरिक्त राष्ट्र के लिए एक स्वस्थ और एकीकृत कदम उठाने पर बल दिया। राष्ट्र और राज्य की पारेषण इकाईयों (सी.टी.यू./एस.टी.यू.) में समन्वय के साथ इसने राष्ट्रीय और राज्य के ग्रिडों के विकास की आवश्यकताओं की पहचान की।

मध्य प्रदेश में विद्युत पारेषण एवं ग्रिड संचालन का प्रबंधन और नियंत्रण मध्य प्रदेश पावर ट्रांसमिशन कंपनी लिमिटेड (कंपनी) द्वारा किया जाता है जो कि कुशल, पर्याप्त एवं समन्वित ग्रिड प्रबंधन तथा विद्युत पारेषण करने के लिए अधिदिष्ट है।

कंपनी अधिनियम 1956, के अंतर्गत कंपनी का समामेलन नवंबर 2001 में मध्य प्रदेश शासन के ऊर्जा विभाग के प्रशासनिक नियंत्रण में हुआ। कंपनी ने औपचारिक रूप से 1 जुलाई 2002 से मध्य प्रदेश राज्य विद्युत मंडल (मंडल) के सभी कार्य लेते हुए राज्य के भीतर विद्युत पारेषण का कार्य करना प्रारंभ किया, इसके अतिरिक्त मध्य प्रदेश शासन ने कंपनी को 01 जून 2004 से राज्य पारेषण इकाई के रूप में नामित करते हुए 01 जून 2005 से स्वायतता प्रदान की। कंपनी ने तभी से अंतर्राज्यीय विद्युत पारेषण, राज्य पारेषण इकाई और राज्य भार प्रेषण केन्द्र को अपना व्यवसाय मानते हुए ग्रहण किया न कि मंडल के अभिकर्ता के रूप में।

संगठन संरचना

2.1.2 कंपनी का प्रबंधन संचालक मंडल के सात संचालकों[1] में निहित है। दैनदिनिकी कार्यो का निष्पादन प्रबंध निदेशक द्वारा किया जाता है जो कि कंपनी का मुख्य कार्यकारी होता है और इसकी सहायता के लिए एक निदेशक (तकनीकी) और 12 विभागों के प्रमुख अर्थात कार्यकारी निदेशक (मानव संसाधन विकास), मुख्य अभियन्ता (परीक्षण एवं संचार), मुख्य अभियन्ता (वाणिज्यिक एवं परामर्श प्रबंधन), मुख्य अभियन्ता (राज्य लोड डिस्पेच केन्द्र), मुख्य अभियन्ता (अति उच्च दाब निर्माण), मुख्य अभियन्ता (अति उच्च दाब संधारण), मुख्य अभियन्ता (सिविल पारेषण), मुख्य अभियन्ता (पारेषण एवं क्रय), मुख्य अभियन्ता (योजना एवं पावर सिस्टम), मुख्य वित्तीय अधिकारी एवं कंपनी सचिव है। कंपनी का संगठनात्मक रेखाचित्र ***परिशिष्ट 07*** में दर्शाया गया है।

पारेषण तंत्र

2.1.3 कंपनी द्वारा वर्ष 2007–08 के दौरान 33,710 मिलियन यूनिट (एम.यू.) विद्युत पारेषित की गई जो कि 2011–12 में बढकर 40,692 एम.यू. हो गई, अर्थात 2007–12 के दौरान 20.71 प्रतिशत की वृद्धि हुई। कंपनी का पारेषण तंत्र 31 मार्च 2012 को 27,060.67 सर्किट किलोमीटर (सी.के.एम.) और 247 अति उच्च दाब उपकेन्द्र जिनकी स्थापित क्षमता 35,544 मेगावाट एम्पीयर (एम.व्ही.ए.) थी, जो कि वार्षिक 40,692 एम.यू. पारेषण करने में सक्षम थे।

2.1.4 (वित्तीय स्थिति एवं जनशक्ति)

कंपनी का व्यवसाय वर्ष 2011–12 में ₹ 1717.28 करोड़ था, जो कि राज्य सकल घरेलू उत्पाद[2] (जी.डी.पी.) के 0.54 प्रतिशत के बराबर था। 31 मार्च 2012 को कंपनी में 5365 कर्मचारी कार्यरत थे।

लेखापरीक्षा का क्षेत्र एवं कार्यविधि

2.1.5 कंपनी का निष्पादन लेखापरीक्षा जो कि अप्रैल 2012 से जुलाई 2012 तक किया गया वह वर्ष 2007–08 से 2011–12 तक के कंपनी के निष्पादन से संबद्ध था। लेखापरीक्षा

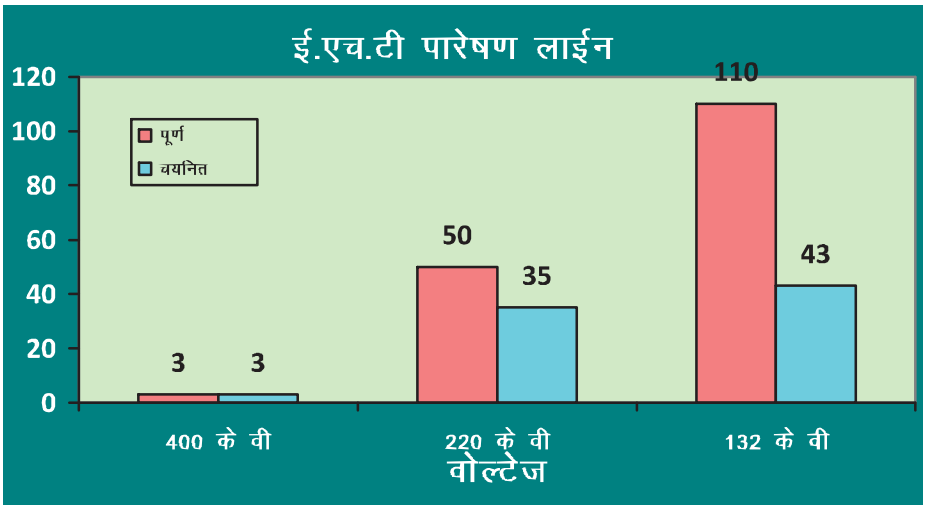
1 एक (मनोनीत निदेशक), दो मनोनीत निदेशक, दो स्वतंत्र निदेशक, एक प्रबंध संचालक एक निदेशक (तकनीकी)

2 वित्तीय वर्ष 2011–12 के लिए जी.डी.पी. ₹ 315386.66 करोड़

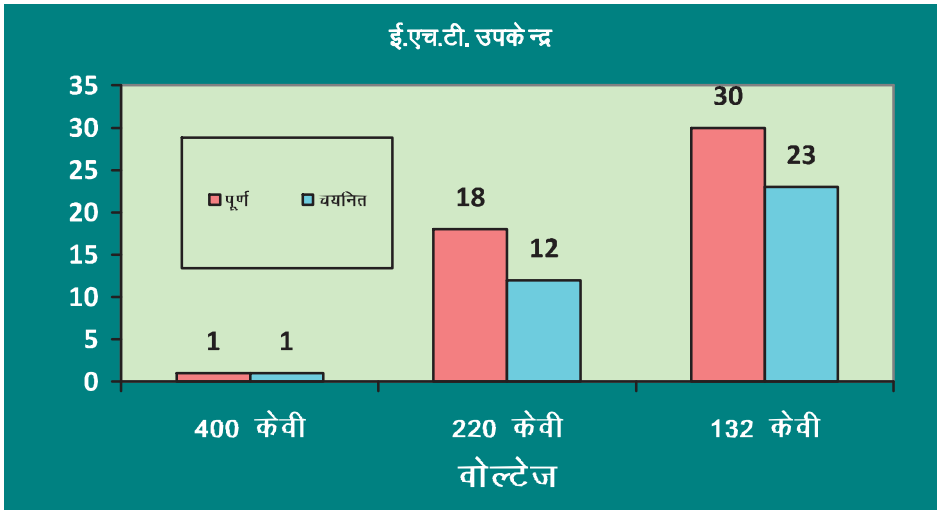
निष्कर्ष में मुख्यालय[3] की विभिन्न शाखाओं और एस.एल.डी.सी. के अभिलेखों की संवीक्षा शामिल है।

निष्पादन लेखापरीक्षा की अवधि के दौरान कंपनी द्वारा 163 पारेषण लाईनों 6172.54 सी.के. एम. और 49 अति उच्च दाब उपकेन्द्रों (132/220/440 के.व्ही. कुल क्षमता 10693.50 एम. व्ही..ए.) निर्माण किया गया। इसमें से खर्चे की राशि के आधार पर 81 पारेषण लाईनों और 37 अति उच्च दाब उपकेन्द्रों को लेखापरीक्षा करने के लिये चुना गया जैसा कि निम्नलिखित रेखाचित्र में विस्तृत संवीक्षा वर्णित है:–

ई.एच.टी पारेषण लाईन का चयन



ई.एच.टी उपकेन्द्र का चयन



लेखापरीक्षा मानदण्डों में उच्च प्रबंधन को लेखापरीक्षा के उद्देश्यों से अवगत कराना, मुख्यालय और एस.एल.डी.सी. के अभिलेखों की संवीक्षा, लेखापरीक्षित इकाईयों के कार्मिकों

[3] मुख्यालय जबलपुर में स्थित है।

से संवाद, लेखापरीक्षा मानदण्ड़ों के संदर्भ में आँकड़ों का विश्लेषण, लेखापरीक्षा आपत्तियाँ उठाना, प्रंबंधन के साथ लेखापरीक्षा निष्कर्षो की चर्चा करना, प्रबंधन/शासन की टिप्पणियाँ प्राप्त करने हेतु प्रारूप निष्पादन लेखापरीक्षा प्रतिवेदन जारी करना सम्मिलित है।

2.1.6 हमने मई 2012 को हुए प्रारम्भिक सम्मेलन के दौरान कंपनी को लेखापरीक्षा के उद्देश्यों से अवगत कराया, अगस्त 2012 में कंपनी और राज्य शासन को लेखापरीक्षा आपत्तियाँ सूचित की गई और 23 अक्टूबर 2012 को हुए समापन बैठक में ऊर्जा सचिव मध्य प्रदेश शासन से चर्चा की गई। समापन बैठक में कंपनी के प्रबंध संचालक, विभागों के प्रमुख और अन्य वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा भाग लिया गया।

प्रबंधन द्वारा अक्टूबर 2012 में लेखापरीक्षा आपत्तियों का जवाब दिया गया। यद्यपि शासन से जवाब प्राप्त नही हुआ (जनवरी 2013)। निष्पादन लेखापरीक्षा का अंतिमीकरण कंपनी द्वारा समापन बैठक में दिये गये जवाबों, विचारों एवं लेखापरीक्षा द्वारा उठाए गए विभिन्न मुद्दों में हुए अद्यतन विकास को ध्यान में रखकर किया गया।

लेखापरीक्षा के उद्देश्य

2.1.7 निष्पादन लेखापरीक्षा का उद्देश्य यह निर्धारित करना था कि क्या

- पारेषण व्यवस्था का विकास और स्थापना मितव्ययी, सक्षम और प्रभावशाली तरीके से की गई थी।
- पारेषण व्यवस्था का संचालन एवं संधारण मितव्ययी, सक्षम और प्रभावशाली तरीके से किया गया था।
- आकस्मिक आपदाओं से संचालन को सुरक्षा प्रदान करने हेतु आपदा प्रंबंधन प्रणाली की स्थापना की गई थी।
- सक्षम और प्रभावशाली वित्तीय प्रंबंधन प्रणाली स्थापित थी एवं
- सामग्री क्रय करने की कुशल, मितव्ययी और प्रभावशाली तंत्र एवं स्कन्ध नियंत्रण प्रणाली स्थापित की गई थी।

लेखापरीक्षा के मानदण्ड

2.1.8 लेखापरीक्षा के उद्देश्यों की उपलब्धि का आकलन करने के लिए अपनाए गए मानदण्डों को निम्नलिखित स्त्रोतों से तैयार किया गया है :–

- राष्ट्रीय विद्युत योजना/नीति के प्रावधान।
- कंपनी की व्यवसायिक योजना ओर परियोजना प्रतिवेदन।
- मितव्ययिता, कुशलता, प्रभावकारिता, समता और नैतिकता के सिद्धांतों के सदंर्भ में संविदाएँ आदेशित करने की मानक प्रक्रियायें।
- परिपत्र, नियम पुस्तिका तथा प्रबंध सूचना प्रणाली।
- जून 1994 में ऊर्जा मंत्रालय द्वारा जारी मैन्युअल ट्रांसमिशन प्लानिंग क्राईटीरीया (एम.टी.पी.सी.);
- केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण (सी.ई.आर.सी.) द्वारा जारी ग्रिड कोड जिसमें योजना, वोल्टेज प्रबंधन और संचालन सम्मिलित है।
- ऊर्जा मंत्रालय/राज्य शासन के निर्देश।
- मध्य प्रदेश विद्युत नियामक आयोग (एम.पी.ई.आर.सी.) एवं केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण द्वारा जारी मानदण्ड एवं दिशानिर्देश एवं

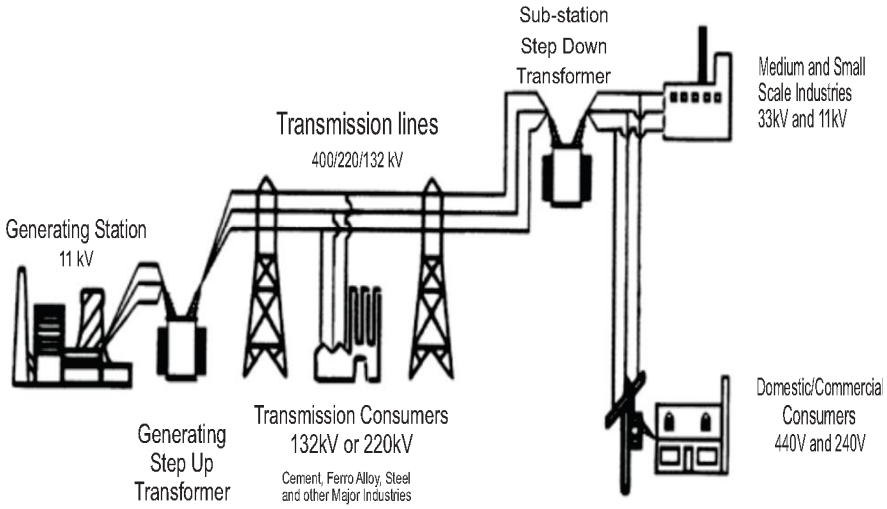
- क्षेत्रीय विद्युत समिति (आर.पी.सी.)/क्षेत्रीय भार प्रेषण केन्द्र (आर.एल.डी.सी.) के प्रतिवेदन।

पारेषण प्रक्रिया का संक्षिप्त विवरण

2.1.9 विद्युत के पारेषण को उच्च वोल्टेज पर लम्बी दूरी के लिये विद्युत के एकमुश्त हस्तांतरण के रूप में परिभाषित किया गया है, सामान्यतः 132 के.व्ही. और उससे ऊपर पारेषण से पूर्व पारेषण हानि को कम करने तथा ग्रिड की दक्षता में वृद्धि के लिये विद्युत सयंत्रों में उत्पादित कम वोल्टेज की विद्युत शक्ति को उच्च वोल्टेज में बढाया जाता है। अति उच्चदाब उपकेन्द्र उच्च वोल्टेज विद्युत प्रणाली के भीतर एक ऐसी सुविधा है जिसका प्रयोग एक स्तर से दूसरे स्तर पर वोल्टेज को बढ़ाने/घटाने के लिए, विद्युत प्रणाली से जोड़ने तथा प्रणाली के भीतर और बाहर उपकरणों में परिवर्तन करती है। उत्पादन संयत्रों पर स्थिति स्टेप अप पारेषण उपकेन्द्रो में लम्बी दूरी के पारेषण हेतु वोल्टेज में वृद्धि करने के लिये ट्रांसफॉर्मर का उपयोग होता है।

पारेषण लाईनें उच्च वोल्टेज विद्युत शक्ति को धारित करती है। उसके बाद स्टेप डाउन पारेषण उपकेन्द्र उपभोक्ताओं को वितरण के लिये उप–पारेषण वोल्टेज स्तर के लिये वोल्टेज में कमी करता है। वितरण प्रणाली में लाईनें, खम्भे, ट्रांसफॉर्मर और अन्य उपकरण जो विशेष वोल्टेज पर विद्युत भेजने के लिये आवश्यक हो शामिल है।

विद्युत ऊर्जा का संचय नहीं किया जा सकता है अतः उत्पादन का मिलान आवश्यकता से होना चाहिए। इस प्रकार विद्युत उत्पादन का मांग के साथ संतुलन सुनिश्चित करने हेतु प्रत्येक पारेषण प्रणाली को एक जटिल नियंत्रण प्रणाली की आवश्यकता होती है, जिसे ग्रिड प्रबंधन कहते है। पारेषण प्रक्रिया का सचित्र प्रस्तुतीकरण नीचे दिया गया है :



लेखापरीक्षा आपत्तियाँ

नियोजन एवं विकास

राष्ट्रीय विद्युत योजना

2.1.10 केन्द्रीय पारेषण इकाई (सी.टी.यू.) और राज्य पारेषण इकाईयों (एस.टी.यू.) के पास सभी संबंधित एजेन्सियों में समन्वय के साथ राष्ट्रीय विद्युत योजना पर आधारित तंत्र के नियोजन और विकास का उत्तरदायित्व है। दसवी पंचवर्षीय योजना के अंत तक (मार्च 2007) देश में पारेषण प्रणाली में 765/एच.वी.डी.सी./400/230/220/के.व्ही. पर 1.98 लाख सर्किट किलोमीटर नियोजित की गई थी तथा राष्ट्रीय विद्युत योजना ने 2006–07 के अंत तक कुल 14100 मेगावाट अंतर्क्षेत्रीय पारेषण क्षमता निर्धारित की गई थी तथा 11वीं. योजना में 23600 मेगावाट वृद्धि करने की योजना बनाई गई इस प्रकार कुल अंर्तक्षेत्रीय क्षमता को 37700 मेगावाट पर लाया गया।

पारेषण तंत्र और इसकी वृद्धि

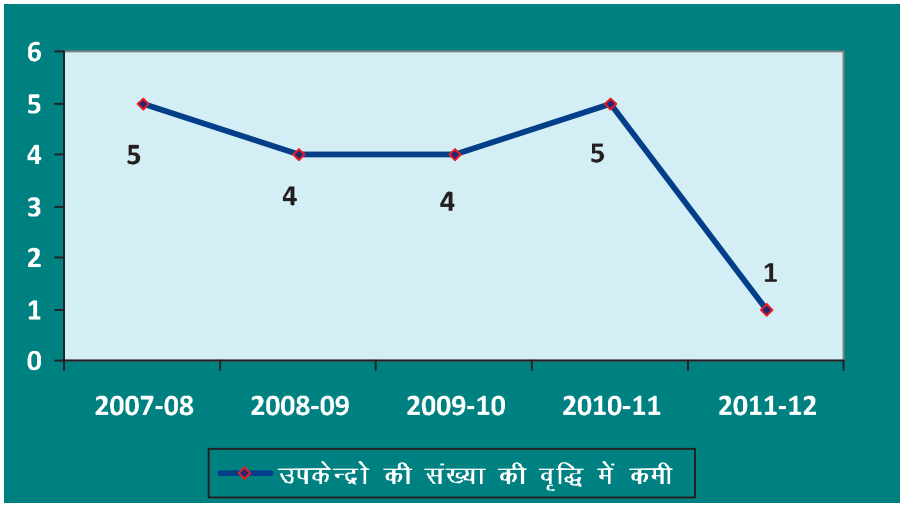
2.1.11 कंपनी के पारेषण प्रणाली में वर्ष 2007–08 के प्रारंभ में 20888.13 सी.के.एम. पारेषण लाईनों सहित 24850.50 एम.व्ही.ए. ट्रांसफॉरमेशन क्षमता थी जो कि 31 मार्च 2012 को 27060.67 सी.के.एम. पारेषण लाईनों सहित 35544 एम.व्ही.ए. ट्रांसफॉरमेशन क्षमता हो गई।

कंपनी की पारेषण क्षमता अति उच्च दाब स्तर पर अवधि 2007–08 से 2011–12 में निम्नलिखित थी :

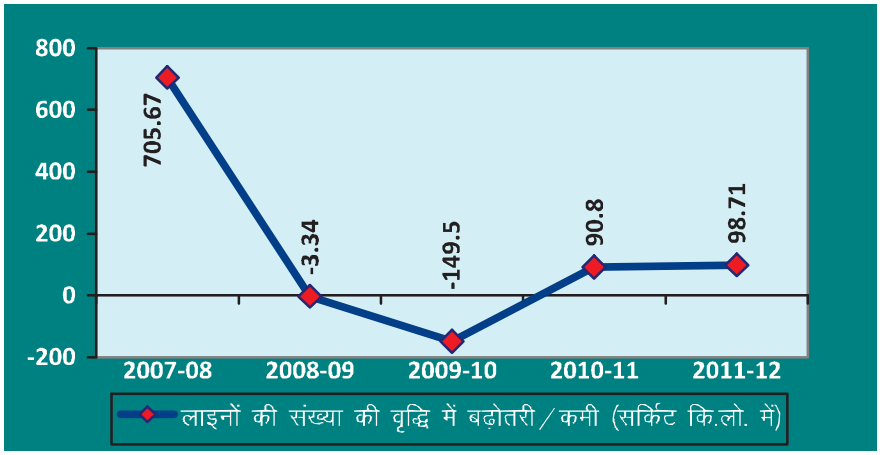
क्र. सं.	विवरण	2007-08	2008-09	2009-10	2010-11	2011-12	योग
	अ. अति उच्च दाब उपकेन्द्रों की संख्या (संख्या में)						
1	वर्ष के प्रारंभ में	198	204	216	227	239	
2	वर्ष के लिए नियोजित वृद्धि	11	16	15	17	9	68
3	वर्ष में की गई वृद्धि	6	12	11	12	8	49
4	वर्ष के अंत में कुल अति उच्च दाब उपकेन्द्रो की संख्या (1+3)	204	216	227	239	247	
5	वृद्धि में कमी (2-3)	5	4	4	5	1	19
	ब. ट्रांसफॉर्मर क्षमता (एम.वी.ए.)						
1	वर्ष के प्रारंभ में क्षमता	24850.50	25994.50	29057.50	32019.50	34212.00	
2	वर्ष के लिए नियोजित वृद्धि	1640.00	2953.00	2964.00	2033.00	1446.00	11036.00
3	वर्ष में की गई वृद्धि क्षमता वृद्धि	1144.00	3063.00	2962.00	2192.50	1332.00	10693.50
4	वर्ष के अंत में क्षमता (1+3)	25994.50	29057.50	32019.50	34212.00	35544.00	
5	वृद्धि में कमी/आधिक्य (2-3)	496.00	(-)110.00	2.00	(-)159.50	114.00	342.50
	स. पारेषण लाईन (सी.के.एम.)						
1	वर्ष के प्रारंभ में	20888.13	21606.35	22902.69	24564.19	26410.92	
2	वर्ष के लिए नियोजित वृद्धि	1423.89	1293.00	1512.00	1937.53	748.46	6914.88
3	वर्ष में की गई वृद्धि	718.22	1296.34	1661.50	1846.73	649.75	6172.54
4	वर्ष के अंत में कुल लाईनों (1+3)	21606.35	22902.69	24564.19	26410.92	27060.67	
5	वृद्धि में कमी/आधिक्य (2-3)	705.67	(-)3.34	(-)149.50	90.80	98.71	742.34

(स्त्रोत : कंपनी के अभिलेखों से संकलित)

लाईन रेखाचित्र : अति उच्च दाब उपकेन्द्रो की संख्या की वृद्धि में कमी (संख्या में)



लाईन रेखाचित्र : लाईनों की संख्या की वृद्धि में बढ़ोतरी/कमी (सर्किट कि.लो. में)



पाँच वर्षो की अवधि 2007–08 से 2011–12 के दौरान 68 अति उच्च दाब उपकेन्द्रो के निर्माण और 6914.88 सी.के.एम. अति उच्च दाब लाईनों को बिछाने के लक्ष्य के विरूद्ध कंपनी ने 49 अति उच्च दाब उपकेन्द्रों का निर्माण किया एवं 6172.54 सी.के.एम. लाईने बिछाई (क्रमशः 72.06 प्रतिशत और 89.26 प्रतिशत की उपलब्धि)। अवधि 2011–12 के अंत तक पाँच वर्षो की अवधि के लिये 11036 एम.व्ही.ए. ट्रांसफॉरमेशन क्षमता में लक्षित वृद्धि के विरूद्ध 10693.50 एम.व्ही.ए. की वृद्धि हुई (96.90 प्रतिशत की उपलब्धि)

निष्पादन लेखापरीक्षा अवधि के दौरान वोल्टेज–अनुसार नियोजित क्षमता में वृद्धि, वास्तविक वृद्धि, क्षमता मे कमी इत्यादि का विवरण ***अनुलग्नक–8*** में दिया गया है।

पारेषण प्रणाली का परियोजना प्रबंधन

2.1.12 पारेषण परियोजना में संकल्पना से कमीशनिंग तक से संबंधित विभिन्न गतिविधियाँ समाहित होती है। एक पारेषण परियोजना में वृहत गतिविधियाँ है–

(i) परियोजना का निरूपण, मूल्याकंन एवं अनुमोदन के चरण, एवं
(ii) परियोजना के क्रियान्वयन के चरण।

2.1.13 वर्ष 2007–12 के दौरान कंपनी द्वारा किये गए विभिन्न कार्यो की नमूना जाँच में पाया गया कि कंपनी द्वारा ठेकेदारों को विलंब से माल प्रदाय करना, ठेकेदारों द्वारा अपर्याप्त जनशक्ति को नियोजित करना इत्यादि कई प्रकरणों में परियोजनाओं के विलंब से पूर्ण होने का पता चला, जिनका भौतिक और वित्तीय उद्देश्यों पर महत्वपूर्ण प्रभाव रहा जिसका विवरण निम्न तालिका में दिया गया है:

परियोजना / कार्य का नाम	कार्य सौंपने का दिनांक (संविदा की अधिनिर्णित मूल्य) और कार्य स्थल सुपुर्दगी का दिनांक	कार्यपूर्णता की निर्धारित तिथि (कार्यपूर्णता की वास्तविक तिथि)	किया गया वास्तविक व्यय 2012	विलंब (माह में)	विलंब के कारण	विलंब का प्रभाव
132 के व्ही उपकेन्द्र पवई	जून 2008 (₹ 9.83 करोड़) अगस्त 2008	फरवरी 09 (अगस्त 2010)	₹ 4.05 करोड़	18	ढाचागत सिविल कार्यो की पूर्णता में विलंब, कंपनी द्वारा सामग्री की समय पर पूर्ति न होना, सामग्री की समय पर अनुपलब्धता और निर्माण स्थल पर पर्याप्त विद्युत आपूर्ति की अनुपलब्धता / कंपनी द्वारा 11 के.व्ही. और निम्न दाब लाईनों के स्थानान्तरण में विलंब	विलंब के बावजूद भी क्षेत्र में अपर्याप्त माँग रही, जिससे 132 के.व्ही. लाईन सहित निर्मित उपकेन्द्र जिसकी लागत ₹ 15.29 करोड़ भी न्यून उपयोगित रहा।
प्रबंधन ने बताया (जुलाई 2012) कि 11 के व्ही व निम्न दाब लाईनों को स्थानान्तरित करने में कुछ देरी हुई किंतु उससे कार्य स्थल पर मुख्य निर्माण क्रियाओं पर प्रभाव नही पड़ा और देरी के लिए ठेकेदार से शास्ति वसूल की गयी इसी तरह (अक्टूबर 2012) वर्ष 2012–13 के दौरान उपकेन्द्र का अधिकतम भार बढकर 65.56 प्रतिशत दर्ज किया गया। तथ्य अभी भी शेष है कि उपकेन्द्र के निर्माण में 18 माह का विलंब होने के बावजूद वर्ष 2010–11 एवं 2011–12 की अवधि में माँग निम्नतम स्तर पर रही।						
220 के व्ही उपकेन्द्र बैतूल	जून 2007 (₹ 25.02 करोड़) अगस्त 2009	फरवरी 2010 (दिसंबर 2010)	₹ 1137 करोड़	10	कार्यस्थल सौंपने में देरी कंपनी के द्वारा सामग्री की आपूर्ति में देरी, ठेकेदार द्वारा पर्याप्त व्यक्तियों की नियुक्ति न करना	लीलो[4] व्यवस्था का शिथिल पड़े रहना जिसका निर्माण ₹ 44.53 करोड़ की लागत के उपकेन्द्र निर्माण सात माह पूर्व करवाया गया था।
प्रबंधन ने स्वीकार किया कि उपकेन्द्र का निर्माण देरी से हुआ, जमीन के आवंटन आदेश मार्च 2007 में जारी किया गया था और जमीन का हस्तांतरण कंपनी के पक्ष में जून 2007 में किया गया था। आगे यह बताया गया है कि जमीन के कुछ हिस्से पर अतिक्रमण था और विवाद जुलाई 2008 में सुलझाया गया था। ठेकेदार को अगस्त 2009 में समुचित सिविल कार्य करने के बाद कार्यस्थल प्रदान किया गया था। आगे यह बताया गया है कि विलंब आवश्यक न्यायालयीन प्रकरण जो कि अतिक्रमण के कारण हुआ था। प्रबंधन का उत्तर स्वीकार नही है क्योंकि कंपनी को ज्ञात था कि कार्यस्थल पर अतिक्रमण था और किसी दूसरे स्थान का चुनाव किया जा सकता था और कार्यस्थल सौंपने की वास्तविक दिनांक को ध्यान में रखने के बावजूद उपकेन्द्र का निर्माण कार्य फरवरी 2010 तक पूर्ण होना चाहिए था।						

[4] लाईन इन लाईन आउट।

220 के व्ही बिरसिंहपुर रीवा लाईनों	दिसंबर 2005 (₹ 20.89 करोड़) अप्रैल 2006	नवम्बर 2006 (अक्टूबर 2008)	₹ 21.31 करोड़	23	विलंब सीमित संसाधनों, आधाभूत ढांचा एवं ठेकेदार के पर्यवेक्षणीय कार्मिकों के कारण हुआ।	विलंब का कोई प्रभाव नही पड़ा क्योंकि 500 मेगा वॉट बिरसिंगपुर टी.पी.एच मांग का निर्धारण किये बिना जारी की गयी जिसके परिणामस्वरूप ₹ 55.29 लाख की कीमत की मांग से अधिक सामग्री जारी हुई।
प्रबंधन ने बताया (अक्टूबर 2012) कि ठेकेदार द्वारा अप्रैल -2008 में बिना किसी सूचना के कार्यस्थल छोड़ दिया गया तथा कार्यस्थल एवं सामग्री को सौंप दिया गया जिसकी वसूली हेतु विवाद जारी है। तथ्य अभी भी शेष है की समुचित पर्यवेक्षण के अभाव तथा कार्य की प्रगति के आंकलन लगाये बिना सामग्री का निर्गमन के कारण ठेकेदार से ₹ 55.29 लाख की राशि वसूली नही हो पाई।						
220 के.वी लाईन सतना व छतरपुर के व्ही की 220 के व्ही उपकेन्द्र छतरपुर को उर्जा युक्त	मार्च 2006 (₹ 42.88 करोड़ 2009 में पुनरीक्षित ₹ 52.05 करोड़) दिसंबर 2006	अक्टूबर 2007 (फरवरी 2011)	₹ 42.27 करोड़	40	समुचित जनशक्ति का स्थापना न करना, सिविल कार्य में पूर्णता में देरी, और सामग्री की आपूर्ति समय पर न होना	220 के व्ही उपकेन्द्र छतरपुर (₹ 12.37 करोड़) 11 माह से अधिक तक शिथिल पड़े रहना
कंपनी द्वारा (अक्टूबर 2012) उपकेन्द्र एवं लाईन के निर्माण में देरी को स्वीकार किया गया।						
220 के व्ही उपकेन्द्र सागर	जून 2007 (₹ 35.07 करोड़) अक्टूबर 2007	मार्च 2008 (मई 2010)	₹ 21.38 करोड़	26	100एम व्ही ए ट्रान्सफॉर्मर, उपकेन्द्र संरचना, यंत्र और सहायक सामग्री की प्राप्ति में विलंब होना।	160 एम व्ही ए ट्रांसफॉर्मर ₹ 4.33 करोड़ की कीमत का दो वर्ष से शिथिल पड़े रहे। उपकेन्द्र के पूरे होने के साथ संयोजित लाईनों के पूर्ण होने के परिणामस्वरूप ₹ 6.34 करोड़ लागत की यह लाईने ग्यारह माह से सत्रह माह की अवधि तक अनुप्रयुक्त रही।
कंपनी ने स्वीकृत किया (जून 2012) की लाईनों का निर्माण उपकेन्द्र निर्माण से पूर्व हुआ।						
ली लो व्यवस्था 220 के व्ही पड़वाह नेपानगर लाईन	ली लो व्यवस्था 220 के व्ही पड़वाह नेपानगर लाईन	ली लो व्यवस्था 220 के व्ही पड़वाह नेपानगर लाईन	ली लो व्यवस्था 220 के व्ही पड़वाह नेपानगर लाईन	ली लो व्यवस्था 220 के व्ही पड़वाह नेपानगर लाईन	ली लो व्यवस्था 220 के व्ही पड़वाह नेपानगर लाईन	ली लो व्यवस्था 220 के व्ही पड़वाह नेपानगर लाईन
समापन सभा (अक्टूबर 2012) में कंपनी तथा सरकार ने स्वीकार किया कि ठेकेदारों को प्रदत्त कार्य पूर्ण करने के लिए समय की गणना अधिक वास्तविक रूप से किया जाना आवश्यक है।						
220 के व्ही लाईन माहेश्वर निमरानी और महेश्वर पीथमपुर	अप्रैल 2009 (₹15.51 करोड़)	नवम्बर 2009 आर 2010 (अप्रैल 2010 और जनवरी 2012)	₹ 25.48 करोड़	4 और 23	मार्ग के अधिकार की समस्या, पेडों की कटाई की अनुमति में विलंब	कंपनी इस तथ्य से अवगत थी कि विस्थापन एवं पुर्नवास संबंधी समस्याओं के कारण श्री महेश्वर हाइड्रो पावर कंपनी लिमिटेड (एस.एम.एच.पी.एल) से उत्पादन कार्य वर्ष 2013 से पहले आरम्भ नही हो सकेगा। अतः कंपनी लाईनों के निर्माण कार्य स्थगित कर सकती थी जिससे ये निष्क्रिय नही रहती।

कंपनी ने कहा (जुलाई 2012 एवं अक्टूबर 2012) कि दो लाईनों का निर्माणकारी एस.एम.एच.पी.सी.एल. द्वारा सूचित प्रगति के अनुरूप आरंभ किया गया था। यह भी कहा गया कि इन लाईनों का उपयोग निमरानी एवं पीथमपुर के बीच परस्पर सांयोजन के रूप में किया गया तथा यदि इन लाईनों का निर्माण स्थगित किया जाता तो मार्ग के अधिकार की समस्याएँ अधिक गंभीर हो जाती।

इस तथ्य की दृष्टि में कि कंपनी अप्रैल 2009 में अनुबंध अधिनिर्णय के पूर्व ही अवगत थी कि परियोजना 11वीं योजना अवधि के अंत तक ही पूर्ण होगी उत्तर स्वीकार्य नही है। कंपनी द्वारा लाईनों के निर्माण कार्यो को स्थगित किया जाना था जिससे इनमें व्यर्थ निवेश से बचा जा सकता था। पारेषण तंत्र में निर्मित लाईनों का कुछ उपयोग संभव हो ही जाता है। चूंकि कंपनी हाइड्रो इलेक्ट्रिक परियोजना के विकास से अवगत थी अतः व्यर्थ निवेश से बचने के लिए लाईनों के निर्माण कार्य को स्थगित किया जा सकता था।

कटनी में 400 के.व्ही. उपकेन्द्र	मार्च 2008 (₹ 39.17 करोड़)	अक्टूबर 2008 (30 अप्रैल 2010)	₹ 39.17 करोड़	18	ठेकेदार के द्वारा मजदूरो का अपर्याप्त नियोजन एवं कंपनी द्वारा सामग्री, उपकरण एवं टांसफॉर्मर ऑयल की आपूर्ति न होना	₹ 9.87 करोड़ मूल्य के टांसफॉर्मर छः माह से अधिक अवधि तक टांसफॉर्मर ऑयल की कमी के कारण अनुपयोगी रहा अतिरिक्त संभरक खण्ड के प्रावधान जो कि तंत्र की विश्वसनीयता के लिए आवश्यक थे हालांकि अभी भी पूर्ण होना शेष है (जुलाई 2012) परिणामस्वरूप तंत्र विश्वसनीयता उपलब्ध न हो सकी।

लेखापरीक्षा टिप्पणियों को स्वीकार्य करते हुए प्रबंधन ने कहा (जुलाई 2012) कि क्षेत्रीय कार्यालयों की आवश्यकता अनुसार ट्रांसफॉर्मर ऑयल के लिए निर्देश प्रेषित/जारी किये गये एवं चूंकि कार्य की प्रगति मंद थी, क्षेत्रीय कार्यालयों की आवश्यकतानुसार उन्होंने ठेकेदार से प्रगति को पूर्ण करने के लिए निवेदन किया किंतु ठेकेदार द्वारा कोई कार्रवाई नही अपनाई गई। ठेकेदार से विलंब के लिए शास्ति राशि काट ली गई। यह भी कहा गया कि उपकेन्द चार्जड उपकेन्द्र थे एवं अतिरिक्त संभरक खण्ड के निर्माण कार्य सभी सावधानियों सहित किया जाना है एवं विविध इरेक्शन गतिविधियों को बंद करना आवश्यक था। इसलिए कार्य सभी सुरक्षा सावधानियों को ध्यान में रखते हुए मंद गति से किया गया।

2.1.14 ओंकारेश्वर हाइडल पावर स्टेशन से विद्युत की निकासी में संचालन समस्या

मंडल के समय में, 26वीं बैठ़क अगस्त 2004 में हुई जिसमें ओंकारेश्वर हाइडल पावर स्टेशन से (8x65 मेगावाट) से विद्युत निकासी की योजना का अनुमोदन किया गया जिसका निर्माण नर्मदा हाइड्रो पावर डेवलपमेंट कार्पोरेशन, भोपाल द्वारा किया जाना था। इस हाइडल पावर स्टेशन से विद्युत निकासी के लिए ओमकारेश्वर से बड़वाह – नेपानगर के बीच तीन 220 के.व्ही की दोहरी सर्किट लाईन (छः सर्किट) का बिछाया जाना आवश्यक समझा गया। शुरूआत में सी.ई.ए. ने इस पावर स्टेशन से विद्युत निकासी हेतु पाँच 220 के.व्ही. सर्किटों का अनुमोदन किया था, तथापि एन.एच.डी.सी. ने अपने स्विचयार्ड में पाँच संभरक खण्ड बनाने का प्रावधान किया था इसलिए मंडल द्वारा ओ.एच.पी.एस. स्विचयार्ड में एक संभकर खण्ड का निर्माण करना आवश्यक समझा गया।

फरवरी 2007 में, कंपनी ने ओ.एच.पी.एस. में छठवे संभरक खण्ड के प्रस्ताव की पुर्नसमीक्षा की और यह निर्णय किया कि ओ.एच.पी.एस. से विद्युत निकासी के लिए पांच संभरक पर्याप्त होंगे। अतः छठवें संभरक के प्रस्ताव को कंपनी द्वारा विलोपित कर दिया गया। कंपनी ने इस तथ्य से अवगत भी कराया कि ओ.एच.पी.एस. ने इन संभरको के लिए 500/1 एम्पीयर के सी.टी. अनुपातों[5] का चयन किया हुआ था।

नवम्बर 2007 में, एन एच डी सी ने सूचित किया कि दो मे से एक निकासी लाईन अतिभार की स्थिति में पहुँच रही थी तथा दोनों लाईनों पर वितरण एक समान नही था। प्रबंधन ने एन एच डी सी से कहा (मार्च 2008) कि 500/1 एम्पीयर का सी टी अनुपात उचित नही

[5] एम्पीयर के प्राथमिक (इनपुट) अनुपात को वित्तीय अनुपात से भागित करने पर 500/1 के अनुपात के प्रचलित ट्रांसफार्मर एक एम्पीयर विद्युत का आउटपुट प्रदान करेंगा जबकि प्राथमिक करंट 500 एम्पीयर हो।

है तथा सभी निकलने वाली लाईनों के सी टी अनुपात को 800/1 से बदलने की विनती की जिसके जवाब (अप्रैल 2008) में एन एच डी सी ने कहा कि कंपनी के विचार प्राप्त होने से पूर्व ही सी टी अनुपात की स्थापना की जा चुकी थी तथा इन्हें बदलने में भारी वित्तीय बोझ होने के कारण उन्हें बदलना सम्भव नही था।

गलत सी टी अनुपात होने के कारण, दोनों लाईनों में ट्रिपिंग की घटनाएं कई अवसरों पर देखी गयी। ओ.एच.पी.एस. में छठवें खण्ड की अनुपलब्धता के कारण कंपनी को मजबूरीवश एक सर्किट को दूसरे सर्किट में गुच्छा बनाना पड़ा जिसने एक सर्किट तथा सी टी अनुपातों पर अतिभार उत्पन्न किया। नवंबर 2008 में 420/220 के.व्ही उपकेन्द्र इंदौर के सभी तीनों 315 एम.व्ही.ए. के ट्रांसफॉर्मर अपर्याप्त सी टी अनुपात के कारण अतिभारित होने पर ट्रिप हो गये।

कंपनी ने (अक्टूबर 2009) सी.इ.ए. को भी 500/1 एम्पीयर के सी टी अनुपातों से होने वाली समस्याओं के सामना करने के बारे में सूचित किया तथा उनसे एन एच डी सी को छठवें खण्ड निर्मित करने की सलाह देने का निवेदन किया जिससे कि भविष्य मे आने वाली बाधाओं से बचा जा सके। कंपनी ने (मार्च 2010) बार–बार दोहराया कि 220 के.व्ही. लाईन के छठवें सर्किट से संयोजित करने के लिए छठवें खण्ड का निर्माण करना आवश्यक है।

हमने अवलोकन किया –

- कंपनी ने तीन 220 के.व्ही. दोहरी सर्किट लाईनों का निर्माण (लागत ₹ 41.414 करोड़) किया था। जबकि सी ई ए ने पाँच सर्किट का अनुमोदन किया था तथा एन एच डी सी ने अपने स्विचयार्ड में केवल पाँच संभरक खण्डों का निर्माण किया था। इस प्रकार, न केवल एक सर्किट का अनुमोदन से अधिक निर्माण किया गया बल्कि इनका इस्तेमाल उस उद्देश्य के लिए भी नही किया जा सका जिसके लिए ये बनाये गये थे।

- मंडल ने (अगस्त 2004) ओ एच पी एस स्वीचयार्ड में छठवें खण्ड के निर्माण का अनुमोदन दे दिया था परंतु कंपनी ने समीक्षा कर इस प्रस्ताव को विलोपित कर दिया (फरवरी 2007) जबकि वे इस बात से अवगत थे कि ओ एच पी एस द्वारा अपनाये गये सी.टी. अनुपात गलत है। कंपनी ने इस मुद्दे को प्रारम्भिक अवस्था मे ही ओ एच पी एफ/सी.इ.ए. के साथ प्रभावी ढंग से नहीं रखा जिसके परिणामस्वरूप न केवल आवर्ती परिचालन संबंधी समस्यायें, बार–बार लाईनों में ट्रिपिंग के साथ साथ ओ.एच.पी.एस. द्वारा पूर्ण उत्पादन की दशा में लाईनों को अतिभार की गंभीर स्थिति में ट्रिपिंग की सम्भावनाओं में परिचालन हुआ, उन्हें जब से 2008 में निर्मित किया गया था।

समापन बैठक में प्रबंधन ने कहा कि (अक्टूबर 2012) ओ एच पी सी द्वारा दो सी टी अनुपातों को 800/01 एम्पीयर में बदल दिया गया है तथा शेष सी.टी. अनुपातों को भी बदल दिया जाएगा। यह भी कहा गया कि एन.एच.डी.सी. अपने स्विचयार्ड में एक अतिरिक्त संभरक खण्ड के निर्माण के लिए सहमत हो गया है।

तथ्य है कि कंपनी ने समस्या के समाधान के लिए चार वर्ष से अधिक का समय लिया।

संविदा प्रबंधन

2.1.15 वर्ष 2007–08 से 2011–12 के दौरान कंपनी द्वारा अधिनिर्णित किये गये या कार्यान्वित किये गए संविदाओं का लेखापरीक्षा द्वारा परीक्षण किया गया और संविदा की शर्तो, केन्द्रीय सर्तकता आयोग के दिशानिर्देशों इत्यादि का अनुपालन न करने संबंधित निम्नलिखित बिन्दू पाये गये –

तरल क्षति की लघु वसूली

2.1.16 इन्दौर में 400 के.व्ही. उपकेन्द्र के ट्रांसफॉर्मरों पर बोझ कम करने के उद्देश्य से कंपनी ने (फरवरी 2009) में एक 315 एम.व्ही.ए. का पावर ट्रांसफॉर्मर, ट्रांसफॉर्मर ऑयल, फिटिंग तथा अन्य कलपुर्जो की आपूर्ति का आदेश ₹ 9.87 करोड़ में दिया।

अन्य बातों के साथ – साथ क्रय आदेश की नियम एवं शर्तो में यह प्रावधान है कि क्रय आदेश की तिथि से 15 महीनो के अंदर (12 मई 2010) ट्रांसफॉर्मर, ट्रांसफॉर्मर ऑयल, फिटिंग तथा अन्य कलपुर्जों सहित आपूर्ति कर दी जानी चाहिए। शर्तो में यह भी निर्दिष्ट किया गया है कि आपूर्ति में विलंब की स्थिति में तरल क्षति निर्धारित दर पर लागू की जाएगी एवं विलंब की स्थिति में लगायी जाने वाली तरल क्षति को भी निर्दिष्ट किया गया है। शर्ते यह भी निर्दिष्ट करती है कि चाहें विलंब अन्य गौण समान की आपूर्ति में हुआ हो, तरल क्षति सम्पूर्ण प्रसंविदा मूल्य पर लगायी जायेगी। यह भी निर्दिष्ट किया गया है कि उपकरणो के भेजने तथा कार्यस्थल पर प्राप्ति का दिनांक के मध्य 28 दिनो से ज्यादा के अनुचित विलंब की दशा में प्राप्ति दिनांक को, तरल क्षति लगाने के उद्देश्य से सुपुर्दगी दिनांक माना जायेगा।

ट्रांसफॉर्मरों के निरीक्षण तथा परीक्षण परिणामों के अनुमोदन के उपरांत कंपनी ने माल भेजने के निर्देश (28 अप्रैल 2008) जारी किए। हमने पाया कि आपूर्तिकर्ता ने (31 जुलाई 2010) ट्रांसफॉर्मरों को भेजा तथा जिनकी प्राप्ति अगस्त 2010 में हुई। फिटिंग एवं अन्य कलपुर्जो की प्राप्ति 27 सिंतबर 2010 को हुई यद्यपि विलंब 4 महीने 17 दिन का था, कंपनी ने तरल क्षति ₹ 20.29 लाख लगाया जिसमें केवल 2 महीनों के ही विलंब को ध्यान मे रखा गया।

कंपनी ने कहा (अक्टूबर 2012) कि सुपुर्दगी में हुए विलंब को क्षमा करते समय उन परिस्थितियों को ध्यान में रखा गया जो कि आपूर्तिकर्ता को उपयुक्त क्षमता का ट्रेलर की व्यवस्था करने में हुई एवं उसके सभी प्रयास करने के बावजूद यह परिस्थिति उसके नियंत्रण से बाहर थी एवं संविदा की शर्त 11 के अनुसार प्रबंध निदेशक ने क्षमा का अनुमोदन दिया।

उत्तर स्वीकृत नही है चूंकि प्रसंविदा शर्त 11 (iii) को ध्यान मे रखकर भी जिसमें ट्रांसफॉर्मरों के प्रमुख टैंक की आपूर्ति मे विलंब की अवधि 50 दिनो तक जो कि आपूर्तिकर्ता के नियंत्रण से बाहर हो, क्षमा किया जा सकता हैं जबकि विलंब 58 दिनों का था तथा ₹ 44.42 लाख की तरल क्षति लगायी जानी थी।

इस प्रकार, कंपनी ने ठेकेदार को ₹ 24.13 लाख का अनुचित फायदा पहुँचाया।

बकाया राशि का वसूल न होना

2.1.17 70 के.एन. एवं 90 के.एन. डिस्क इन्सुलेटर्स के क्रय के लिए कंपनी ने सामग्री के 17 माह की अवधि मे आपूर्ति की शर्त के साथ मेसर्स वी.के. उधोग, कोलकाता (वी.के.यू.)

को आदेश जारी किया (सिंतबर 2007), हालांकि वी.के.यू. आदेशित मात्रा की आपूर्ति नही कर सका एवं आपूर्तित सामग्री की कुछ मात्रा अस्वीकृत कर दी गयी। निम्न तालिका में आदेशित, स्वीकृत एवं अस्वीकृत मात्रा का विवरण एवं सामग्री की मात्रा जिसकी अभी आपूर्ति होना शेष है वर्णित है :–

विवरण	70 के.एन. (संख्या में)	90के. एन. (संख्या में)
आदेशित मात्रा	4,15,200	2,22,600
स्वीकृत मात्रा	19,702	11,520
अस्वीकृत मात्रा	1,46,848	53,400
मात्रा जिसकी आपूर्ति होना शेष है।	2,84,650	1,57,680

(स्त्रोत : कंपनी के अभिलेखों से संकलित)

हमने पाया कि फरवरी 2009 के अंत में, वी.के.यू. ने आपूर्ति की एवं कंपनी ने क्रमशः 19,702 एवं 11,520 70 के.एन. एवं 90 के.एन. डिस्क इन्सुलेट्र्स स्वीकृत किये। क्रय आदेश के अनुच्छेद 35 के अुनसार यदि कंपनी निर्धारित समय में आदेशित मात्रा की आपूर्ति नही करती है तब उस दशा में कंपनी को अनुबंध को समाप्त करने एवं फर्म की लागत एवं जोखिम पर अन्य आपूर्ति फर्म से सामग्री खरीदने का अधिकार रहेगा।

चूंकि वी.के.यू. आदेशित मात्रा की आपूर्ति निर्धारित समय में नही कर सका अतः कंपनी ने कंपनी के स्वीकृत भारतीय निर्माताओं से शेष मात्रा के क्रय के लिए आपूर्ति के लिए निर्धारित समय में आदेशित मात्रा की आपूर्ति नही कर सकी, अतः कंपनी ने स्वीकृत भारतीय निर्माताओं से शेष मात्रा की निर्माता कंपनी के कारखाने पर कंपनी द्वारा पूर्व निरीक्षण की शर्त के साथ प्रस्ताव किया (फरवरी 2009) । वी.के.यू. द्वारा निवेदन को विचार में लिया गया एवं एक संशोधित क्रय आदेश उन्ही मूल्यों एवं समान शर्तो लेकिन पुनरीक्षित आपूर्ति कार्यक्रम एवं कुछ परिवर्तित शर्तो के साथ शेष मात्रा की आपूर्ति के लिए प्रस्तुत (अप्रैल 2009) किया गया । वी.के.यू. द्वारा फरवरी 2012 के अंत तक शेष मात्रा की आपूर्ति की गयी।

अस्वीकृत मात्रा के लिए, कंपनी ने वी.के.यू. की लागत एवं जोखिम पर अगस्त एवं सिंतबर 2008 में मेसर्स डब्ल्यू.एस. इन्डस्ट्रीज (इंण्डिया) लिमिटेड, चेन्नई (डब्ल्यू.एस.आई.) एवं मेसर्स अलाईड सिरेमिक प्राईवेट लिमिटेड, कोलकाता (ए.सी.पी.एस.) को क्रय आदेश जारी किया। आदेशित मात्रा दोनों फर्मो द्वारा जून 2009 के अंत तक आदेशित मूल्य ₹ 7.23 करोड़ पर आहरित की गयी।

हमने पाया (जुलाई 2012) कि कंपनी ने दो फर्मो से खरीद पर ₹ 2.06 करोड़ का अतिरिक्त व्यय किया। यद्यपि कंपनी ने वी.के.यू. द्वारा दी गई दो बैंक प्रतिभूतियों से ₹ 1.70 करोड़ की राशि वसूल की लेकिन शेष ₹ 36.46 लाख की राशि वसूल न हो सकी। फर्म के बिलों से रकम वसूल करने में कंपनी की असफलता के परिणामस्वरूप ₹ 36.46 लाख वसूल न हो सके।

लेखापरीक्षा टिप्पणी को स्वीकार करते हुए प्रबंधन ने कहा (अक्टूबर 2012) कि वी.के.यू. को ₹ 36.46 लाख के भुगतान/प्रेषण के लिए यथासंभव प्रयास किया जा रहा हैं हालांकि, अब तक (अक्टूबर 2012) भी सकारात्मक उत्तर प्राप्त नही हुआ है। उक्त राशि की वसूली के लिए उचित न्यायिक स्त्रोतो का उपयोग किया जायेगा।

पारेषण प्रणाली का कार्यनिष्पादन

2.1.18 गुणवत्तायुक्त विद्युत की बाधारहित आपूर्ति हेतु कंपनी का कार्य निष्पादन मूलतः अति उच्च दाब पारेषण तंत्र के दक्ष संधारण पर निर्भर है। उपकेन्द्रो तथा लाईनों के प्रचालन के दौरान जुड़ी उप प्रणालियों में मांग आपूर्ति प्रोफाईलों की पहचान की जाती है तथा वोल्टेज प्रोफाईल में सुधार के द्वारा विद्युत की विश्वसनीयता को सुनिशचित करने तथा लाईन हानियों को कम करने के लिये प्रणाली सुधार योजनाओं को अपनाया जाता है। यह योजनायें विद्यमान ट्रांसफॉर्मरों की क्षमता, अतिरिक्त ट्रांसफॉर्मरो की स्थापना, अतिरिक्त लाईनों का बिछाव तथा कैपेसिटर बैकों की स्थापना के लिये होती है। प्रणाली के संचालन एवं संधारण के संदर्भ में कंपनी के कार्यनिष्पादन की चर्चा आगामी परिच्छेद में की जाती है।

ट्रान्सफॉर्मेशन क्षमता

2.1.19 कंपनी, उत्पादन केन्द्रों से विद्युत की निकासी के लिए तथा राज्य के विभिन्न क्षेत्रों में लोड वृद्धि की पूर्ति करने के क्रम में विभिन्न अति उच्च दाब वोल्टेजो पर उपकेन्द्रो तथा लाईनों का निर्माण करती है। एक अति उच्च दाब उपकेन्द्र में ट्रांसफॉर्मर होता है जो ए.सी. वोल्टेज तथा विद्युत धारा को उच्च क्षमता के साथ विभिन्न वोल्टेजों में बदलता है। ए.सी. वोल्टेज में कमी या वृद्धि प्राप्त करने हेतु वोल्टेज स्तरों को प्रक्रिया में न्यूनतम हानि के साथ बढाया या घटाया जा सकता है। निकासी सामान्यत 220 के.व्ही. उपकेन्द्रो द्वारा की जाती है। कंपनी की निर्मित पारेषण क्षमता (220 के.व्ही.) साथ ही साथ ट्रांसफारमेशन क्षमता (उच्चतम आपूर्ति प्राप्त) प्रत्येक वर्ष के अंत में, पाँच वर्षो के दौरान मार्च 2012 को समाप्त होने वाले वर्ष हेतु निम्नानुसार है :

ट्रांसफॉर्मेशन क्षमता (एमव्हीए में)					
वर्ष	स्थापित	मार्जिन हेतु 30 प्रतिशत[6] छोड़ने के पश्चात	निर्बाध[7] (अनरेस्ट्रिक्टेड) मांग	उच्चतम मांग की पूर्ति	आधिक्य
1	2	3 = (2 का 70 प्रतिशत)	4	5	6 =(3-5)
2007-08	10230	7161	6843	6843	318
2008-09	11970	8379	7599	7388	991
2009-10	13610	9527	7314	6542	2985
2010-11	14350	10045	9219	8769	1276
2011-12	15110	10577	9417	8996	1581

(स्त्रोत : कंपनी के अभिलेखों से सकंलित)

उपरोक्त तालिका से यह निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि उपरोक्त सभी वर्षो में ट्रांसफॉर्मेशन क्षमता संदर्भित उच्चतम मांग से अधिक थी।

वर्ष 2011–12 में स्थापित क्षमता मांग से 1581 एम.व्ही.ए. अधिक थी जिसकी कीमत ₹ 61.66[8] करोड़ थी। यह उपभोक्ताओं पर गैरसूचित भार मूल्य प्रभावित करने को दर्शाता है।

प्रबंधन ने जवाब दिया (मार्च 2013) कि नियोजन के मानदण्ड के अनुसार दीर्घ समयावधि पहुंच उपलब्धता की भविष्य मांग के लिए उचित मार्जिन एवं तंत्र योजना के लिए एक पंचवर्षीय समय क्षितिज विचार में लिया गया। व्यवस्था के द्वारा उर्जा के अभाव के कारण

6 कार्यकारी समूह की 11वीं विद्युत योजना पर सिफारिशें

7 विद्युत की वास्तविक मांग जो पूरी की जानी है।

8 एक पावर ट्रांसफॉर्मर की प्रति एम.व्ही.ए. औसत लागत ₹ 3.90 लाख।

सीमित मांग की पूर्ति की जा सकी। आगे वर्णित किया गया कि व्यवस्था गैर सीमित मांग व न्यायोचित क्षमता निर्माण पर विचार के लिए निरूपित की गयी।

प्रबंधन का जवाब स्वीकार्य योग्य नही है क्योंकि 30 प्रतिशत मार्जिन स्वीकार करने के बावजूद भी वर्षो के लिए गैर सीमित माँग अधिक थी।

उपकेन्द्र

उपकेन्द्रों की पर्याप्तता

2.1.20 उर्जा मंत्रालय के द्वारा जून 1994 में जारी की गई मेन्यूल ऑफ ट्रांसमिशन प्लानिंग क्रायटिरीया (एम.पी.टी.सी.) विभिन्न अति उच्च दाब उपकेन्द्रो की स्वीकृत अधिकतम क्षमता निर्धारित करती है। यह स्वीकृत क्षमता 220 के. व्ही., अति उच्च दाब उपकेन्द्रो के लिए 320 एम.व्ही.ए. तथा 132 के. व्ही., अति उच्च दाब उपकेन्द्रो के लिए 150 एम.व्ही.ए. है।

विधमान क्षमता की जाँच से पता चलता है कि कंपनी का कोई भी 132 के.व्ही. अति उच्च उपकेन्द्र अधिकतम स्वीकार्य सीमा से अधिक नही थे जबकि आठ[9] 220 के.व्ही. एल.टी. उपकेन्द्र अधिकतम स्वीकार्य सीमा से अधिक थे।

आठ उपकेन्द्रो में स्वीकार्य स्तर से अधिक 1250 एम.व्ही.ए. विद्यमान क्षमता थी जिसका मूल्य ₹ 48.75 करोड़[10] था। इस अतिरिक्त क्षमता के सृजन के कारण उपभोक्ताओं पर टैरिफ के द्वारा अतिरिक्त भार डाला गया।

प्रबंधन ने (अक्टूबर 2012) बताया कि केवल कुछ ही ई.एस.टी. उपकेन्द्र निर्धारित सीमा से अधिक है तथा यह भी बताया गया कि यह सामान्य मापदण्ड है तथा उपकेन्द्र नियोजन के लिये अनिवार्य मानदण्ड नही है।

वास्तविकता यह है कि क्षमता ग्रिड कोड में वर्णित मानकों से अधिक है।

भारतीय विद्युत ग्रिड कोड संहिता (आई.ई.जी.सी.) के निर्धारित मानदण्डों के अनुसार ट्रांसफॉर्मरों का प्रावधान न होना :–

2.1.21 केन्द्रीय विद्युत नियामक आयोग द्वारा दिसंबर 2005 में जारी भारतीय विद्युत ग्रिड संहिता के अनुसार 132 के.व्ही. एवं अधिक क्षमता के उपकेन्द्रो में कम से कम दो ट्रांसफॉर्मर होने चाहिए।

132 के.व्ही. एवं अधिक क्षमता के उपकेन्द्रो की जाँच से पता चलता है कि, 132 के.व्ही. के 34, 220 के.व्ही. के 16 एवं 400 के.व्ही. का एक अति उच्च दाब उपकेन्द्र (कटनी) में केवल एक ही ट्रांसफॉर्मर है जो कि संहिता के कम से कम दो ट्रांसफॉर्मरों के निष्पादन के विरूद्ध है।

प्रबंधन ने बताया कि (अक्टूबर 2012) प्रांरभ में नवीन उपकेन्द्रो का निर्माण एक ही ट्रांसफॉर्मर के साथ किया जाता है तथा ट्रांसफॉर्मर में अतिभार की स्थिति में विद्युत की आपूर्ति सटे हुये दूसरे उपकेन्द्रो के ट्रांसफॉर्मर के द्वारा की जाती है जिससे विद्युत आपूर्ति बाधित नही होती है।

9 जबलपुर, इंदौर, भोपाल, सुजालपुर, दमोह, नागदा, बडनगर और आष्टा।

10 एक पावर ट्रांसफॉर्मर की प्रति एम.व्ही.ए. औसत लागत ₹ 3.90 लाख x अनुमोदित सीमा से अधिक स्थापित क्षमता।

उत्तर स्वीकार्य नही है क्योंकि उपकेन्द्रो का एक ही ट्रांसफॉर्मर के साथ में निर्माण ग्रिड संहिता के प्रावधानों के अनुरूप नही है।

वोल्टेज प्रबंधन

2.1.22 अंतर्राज्यीय पारेषण तंत्र का उपयोग करने वाले लाईसेन्स धारियों को ग्रिड वोल्टेज को सीमा के भीतर रखना सुनिश्चित करने हेतु यथासंभव समस्त प्रयास करने चाहिए। भारतीय विद्युत ग्रिड कोड के अनुसार राज्य पारेषण इकाई को 400 के.व्ही., 220 के.व्ही. तथा 132 के.व्ही. लाईन हेतु वोल्टेज को क्रमशः 380–420 के.व्ही. , 198–245 के.व्ही. तथा 122–145 के.व्ही. के मध्य बनाये रखना चाहिये।

400 के.व्ही. अति उच्चदाब उपकेन्द्रों पर 400 के.व्ही. वोल्टेज की वर्ष 2007–08 से 2011–12 की अवधि की कार्य निष्पादन क्षमता की समीक्षा से पता चलता है कि इस अवधि में 400 के.व्ही. अति उच्च दाब उपकेन्द्रों में न्यूनतम तथा अधिकतम वोल्टेज का स्तर 370 से 430 के मध्य रहा जो कि निर्धारित किये गये स्तर से अधिक है। वर्ष 2007–08 में चार ट्रांसफॉर्मरों पर निर्धारित स्तर से अधिक तथा एक ट्रांसफॉर्मर पर निर्धारित स्तर से नीचे वोल्टेज दर्ज किया गया। वर्ष 2011–12 के मध्य स्थिति में थोड़ा सुधार देखा गया किन्तु वर्ष 2011–12 के मध्य दो ट्रांसफॉमरों में अधिकतम वोल्टेज 424 तथा 426 दर्ज किया गया जो कि ग्रिड कोड द्वारा निर्धारित सीमा से अधिक है।

प्रबंधन ने कहा (नवम्बर 2012) कि उच्च वोल्टेज पर नियंत्रण प्रबंधन द्वारा रियेक्टरो की स्थापना कर रिएक्टिव लोडिंग के द्वारा किया जाता है तथा कंपनी ने और भी कैपिसिटर बैंक लगाये जाने की योजना बनायी है।

बसबार सुरक्षा पैनल (बी.बी.पी.पी.)

2.1.23 बसबार का उपयोग विद्युत उपकेन्द्रो पर ट्रांसमिशन लाईन एवं ट्रांसफॉर्मर का अर्न्तसंबंध करने के लिए एक युक्ति के रूप में किया जाता है। बी.बी.पी.पी. समग्र विद्युत तंत्र में बसबार त्रुटियों के प्रभाव को कम करती है जो अनावश्यक ट्रिपिंग को रोकता है बी. बी.पी.पी. केवल उन आवश्यक ब्रेकरों पर ट्रिप करने के लिए निर्मित किये जाते हैं जो कि बसबार त्रुटि को दूर करते है। ग्रिड मानकों एवं ट्रान्समिशन क्षेत्र में बेहतर व्यवहारों के अनुसार बी.बी.पी.पी. को सभी 220 के.व्ही. एवं उससे अधिक सभी उपकेन्द्रो में प्रणाली के स्थायित्व को ग्रिड व्यवधानों के दौरान भी बनाये रखने के लिए एवं 220 के.व्ही. बस की त्रुटियों के शीघ्र निवारण के लिए रखना होता है।

220 के.व्ही. के 55 उपकेन्द्रो में से 38 में बी. बी.पी.पी. उपलब्ध थे।

हमने पाया (मई 2012) कि कंपनी ने 55 के.व्ही. अति उच्च दाब उपकेन्द्रो में से केवल 38 उपकेन्द्रो में ही बी.बी.पी.पी. लगाया था तथा शेष बचे 17 अति उच्च दाब उपकेन्द्रो के लिये बी.बी.पी.पी. की आपूर्ति का आदेश (अक्टूबर 2012) अभी तक नही दिया गया है।

प्रबंधन ने बताया कि (अक्टूबर 2012) स्थापित 220 के.व्ही. तथा 400 के.व्ही. अति उच्च दाब क्षमता वाले उपकेन्द्रो की निधियों के उपलब्धता के अनुसार चरणबद्ध ढंग से सुरक्षा के प्रयास किये जा रहे है। बाकी बचे हुये 17 पैनल खरीदने हेतु निधियों की उपलब्धता होने पर आवश्यक कदम उठाए जायेगे।

संधारण

पावर ट्रांसफॉर्मरों का निष्पादन

2.1.24 पावर ट्रांसफॉर्मरों (पी.टी.) विद्युत ऊर्जा आपूर्ति नेटवर्क का सर्व प्रमुख एवं लागत साध्य घटक है। इसलिए यह अति आवश्यक है कि उनमें संधारण व्ययों को कम करते हुए उनकी जीवन अवधि में वृद्धि की जाए। निम्नलिखित तालिका 2007–08 से 2011–12 के दौरान ट्रांसफॉर्मरों की विफलता कि स्थिति प्रदर्शित करती है।

वर्ष	वर्ष के प्रारंभ में पी.टी. की संख्या	विफल पी.टी. की संख्या	गारंटी अवधि के अंदर विफल पी.टी. की संख्या	सामान्य जीवनकाल में विफल पी.टी. की संख्या	विफलता का प्रतिशत
2007–08	491	03	03	0	0.61
2008–09	523	10	03	07	0.19
2009–10	560	04	02	02	0.71
2010–11	589	08	–	08	1.36
2011–12	607	04	–	04	0.66

(स्त्रोत : कंपनी द्वारा प्रस्तुत की गई जानकारियाँ)

उपरोक्त से यह देखा जा सकता हैं कि वर्ष 2011–12 के प्रारंभ में स्थापित 607 पी.टी. में से केवल 21 पी.टी. (3.46 प्रतिशत), वर्ष 2011–12 तक समाप्त होने वाले पाँच वर्षो के दौरान सामान्य जीवन काल में विफल हुए, जो कंपनी द्वारा पी.टी. में उचित संधारण को प्रदर्शित करते हैं

हॉट लाईन संभागों/उप संभागों की कार्यप्रणाली

2.1.25 पारेषण प्रणाली का नियमित तथा समयबद्ध संधारण इसके अबाधित संचालन हेतु सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। लाईनों के समयबद्ध पेट्रोलिंग के अलावा लाईनों के संधारण हेतु देश में पारेषण की श्रेष्ठ कार्यविधियों को अद्यतन करते हुये समिति के प्रतिवेदन (जनवरी 2002) में निम्नलिखित तकनीकों को दिया गया है :

- हॉट लाईन संधारण
- हॉट लाईन वाशिंग
- इन्सूलेटर्स का हॉट लाईन पंचर डिटेक्शन
- पोर्टेबल हॉट लाईन उपकरणें के प्रयोग द्वारा सुरक्षात्मक संधारण
- लाईन का कंपन मापना
- थर्मो स्कैनिंग
- उपकरणों का प्रदूषण माप

प्रशिक्षित कार्मिकों की कमी के परिणामस्वरूप अति उच्च्दाब लाईनों के संधारण का अधिकांश कार्य हॉट लाईन तकनीक के स्थान पर शटडाउन लेकर किया गया।

हॉट लाईन तकनीक (एच.एल.टी.) मे उपकेन्द्रो एवं लाईनो को बंद किये बिना संधारण कार्यो जैसे हॉट स्पाट, नट एवं बोल्ट को कसना, कंडक्टर की क्षति, इन्सुलेटर्स की पुनःस्थापना इत्यादि करना निहित है। इसमें सुरक्षात्मक संधारण हेतु सभी लाईनों एवं उपकेन्द्रो की थर्मो स्कैनिंग शामिल है। भारत में एच.एल.टी. का प्रादुर्भाव 1958 में हुआ था।

अप्रैल 2007 को कंपनी के पाँच संधारण वृत्त, 12 हॉटलाईन संभाग और 20 उपसंभाग और 78 जनसंसाधन थे जो कि 31 मार्च 2012 को घटकर क्रमशः एक, छः, 20 और 58 हो गए।

हॉट लाईन क्रियाएं हॉट लाईन संधारण केन्द्र, बेंगलुरू के दिशा निर्देशों के अनुरूप संचालित की जाती है।

कंपनी के संभागों द्वारा हॉटलाईन के कार्य जैसे सस्पेंशन लोकेसन्स पर डिस्क इन्स्युलेटर्स का प्रतिस्थापन, डिस्क इंस्युलेटर के पंक्चर का डिटेक्शन, क्षतिग्रस्त कन्डक्टर्स की मरम्मत और सस्पेंशन क्लेम्प्स, वाइब्रेशन डेम्पर्स एवं हॉर्न्स की आर्किंग का प्रतिस्थापन इत्यादि किया जाता है ।

हमने पाया (जुलाई 2012) कि यद्यपि कंपनी के ट्रांसमिशन नेटवर्क का बसबार विस्तार होने के बावजूद हॉट लाईन संधारण में कार्यरत कर्मियों की संख्या में कमी आई। प्रशिक्षित कार्मिकों कीं कमी के परिणामस्वरूप अधिकांश अति उच्चदाब लाईन के संधारण कार्यो का निष्पादन शटडाउन लेने के बाद किया गया जो कि हॉट लाईन तकनीक का इस्तेमाल करते हुए किया जाना चाहिए था।

प्रबंधन ने स्वीकार किया (अगस्त 2012) कि अति उच्चदाब लाईन के संधारण का अधिकांश कार्य हॉट लाईन तकनीक का इस्तेमाल करने के बावजूद शटडाउन लेने के बाद किया गया। यह भर्ती पर प्रतिबंध तथा 40 वर्ष की आयु तक प्रशिक्षण की सीमा के कारण प्रशिक्षित कार्मिकों की कमी के फलस्वरूप हुआ।

पारेषण हानियाँः

2.1.26 जब विद्युत उत्पादन केन्द्र से उपभोक्ताओं तक पारेषण तथा वितरण नेटवर्क के माध्यम से पहुँचती है तो विद्युत का क्षय होता है, जिसे पारेषण एवं वितरण हानि कहते है। विद्युत उत्पादन केन्द्र/ग्रिड से प्राप्त विद्युत एवं विद्युत वितरण इकाई को भेजी गई विद्युत के अंतर की पारेषण हानि कहते है।

वर्ष 2007–08 से 2011–12 तक पारेषण हानि का विवरण निम्नांकित सारणी में दिया गया है :

क्र. सं.	विवरण	इकाई	वर्ष				
			2007-08	2008-09	2009-10	2010-11	2011-12
1	पारेषण हेतु प्राप्त विद्युत	एमयू	35148	34280	34346	37680	42175
2	शुद्ध पारेषित विद्युत	एमयू	33710	32878	32907	36271	40692
3	वास्तविक पारेषण हानि (1–2)	एमयू	1438	1402	1439	1409	1483
		प्रतिशत	4.09	4.09	4.19	3.74	3.51
4	एम.पी.ई.आर.सी. के मानक के अनुसार पारेषण हानि का लक्ष्य	प्रतिशत	4.9	4.9	4.7	4.7	अनिर्धारित
5	सी. ई.ए. के मानक के अनुसार पारेषण हानि का लक्ष्य	प्रतिशत	4.0	4.0	4.0	4.0	4.0

(स्त्रोत : कंपनी द्वारा दी गई जानकारी से आकड़ों का संकलन)

कंपनी ने बिना वित्तीय जवाबदेही के पारेषण हानियों को कम करने की एक नवीन अवधारणा विकसित की है।

उपरोक्त से यह देखा जा सकता है कि वर्ष 2007–08 से 2011–12 के दौरान पारेषण हानि मध्य प्रदेश राज्य विद्युत नियामक आयोग के द्वारा निर्धारित मानको की तुलना में कम थी। यधपि ये हानियाँ 2007–08 तथा 2008–09 के दौरान स्थिर रही, इसमें वर्ष 2009–10 में वृद्धि हुई। वर्ष 2010–11 तथा 2011–12 के दौरान पारेषण हानियाँ मात्र 3.74 तथा 3.51 प्रतिशत थी अतः उक्त वर्षो के दौरान कंपनी का निष्पादन संतोषजनक था।

कंपनी ने बिना वित्तीय जबावदेही के रियेक्टिव एनर्जी[11] के प्रबंध द्वारा पारेषण हानियों को कम करने की एक नवीन अवधारणा विकसित की है जिसमें ट्रांसफॉर्मरों पर टैप्स का समायोजन कर पारेषण तंत्र से रियेक्टिव एनर्जी को कम कर पारेषण हानियों को कम किया है। इसके लिए कंपनी को उर्जा कंपनियों की परिषद, नई दिल्ली के द्वारा "भारतीय उर्जा पुरस्कार 2011" से सम्मानित किया गया है।

ग्रिड प्रबंधन

ग्रिड का रखरखाव एवं एस.एल.डी.सी. का निष्पादन

2.1.27 उत्पादन केन्द्रो से वितरण कंपनियों/उपभोक्ताओं तक सुचारू रूप से विद्युत प्रवाह हेतु पारेषण एवं ग्रिड प्रबंधन महत्वपूर्ण कार्य है। ग्रिड प्रबंधन आपस में जुड़े हुए विद्युत तंत्र की विश्वसनीयता, सुरक्षा, मितव्ययता एवं दक्षता सुनिश्चित करता है। भारत में ग्रिड प्रबंध सी.ई.ए. द्वारा जारी किए गए ग्रिड कोड के मानक/निर्देशों के अनुसार किया जाता है। राष्ट्रीय ग्रिड में पाँच क्षेत्र यथा उत्तरी, पूर्वी, पश्चिमी, पूर्वोत्तर एवं दक्षिणी क्षेत्र सम्मिलित है। संबंधित क्षेत्र में विद्युत तंत्र के सुचारू संचालन सुनिश्चित करने के लिए इन सभी क्षेत्रों में

[11] विद्युत जो लगातार स्त्रोत और भार के बीच आगे पीछे जाती है तथा उस ऊर्जा को प्रदर्शित करती है जिसे प्रथम बार संचित किया जाता है तथा उसके बाद केपेसिटर के विद्युतीकृत क्षेत्र अथवा चुम्बकीय क्षेत्र में छोड़ दिया जाता है।

एक उच्चतम निकाय क्षेत्रीय भार प्रेषण केन्द्र है। पश्चिमी क्षेत्र भार प्रेषण केन्द्र की एक इकाई मध्य प्रदेश राज्य भार प्रेषण केन्द्र है जो कि जबलपुर में स्थित है। एस.एल.डी.सी. मध्य प्रदेश में विद्युत तंत्र के एकीकृत संचालन को सुनिश्चित करता है। राज्य सरकार ने अधिसूचित किया (मई 2004) कि एस.एल.डी.सी. कंपनी के द्वारा संचालित किया जाएगा। एस.एल.डी.सी. जबलपुर को दो प्रांतीय लोड डिस्पैच सेंटरों (ए.एल.डी.सी.) एक भोपाल में तथा दूसरा इंदौर के द्वारा सहायता प्रदान की जाती है, जो कि सूचना संग्रहण तथा एस. एल.डी.सी. को हस्तान्तरण एवं 400/220/132 के.व्ही. उपकरणों के पर्यवेक्षीये नियंत्रण के लिए एस.एल.डी.सी. वितरण लाइसेन्सियों/ओपन एक्सेस ग्राहको से फीस तथा शुल्क का आरोपण एवं एकत्रीकरण करता है।

भार निगरानी के लिए आधारभूत ढाँचा

2.1.28 रिमोट टर्मिनल इकाईयाँ (आर.टी.यू.) पर्यवेक्षीय नियंत्रण एवं सूचना संग्रहण (एस.सी.ए.डी.ए.) का एक महत्वपूर्ण भाग है जो कि विभिन्न स्त्रोतों से एस.एल.डी.सी. को समय पर आँकड़ों का स्थानान्तरण एवं निरंतर स्थिति को इंगित करती है। आर.टी.यू. ग्रिड मानको के अनुसार ट्रांसमिशन सिस्टम की कार्यकुशलता तथा भार प्रेषण केन्द्रो में आपात स्थिति में भार की निगरानी करने के लिए आवश्यक है इसलिए यह अति आवश्यक है कि सभी उत्पादन केन्द्रो और अति उच्चदाब उपकेन्द्रों को आर.टी.यू. एवं एस.एल.डी.सी. से जोड़ा जाए एवं स्थापित किए गए आर.टी.यू. पर निगरानी रखी जाए तथा उचित तरीके से रखरखाव कर आँकड़ों की प्राप्ति निरंतर सुनिश्चित की जाए। किसी भी आर.टी.यू. में आई खराबी आँकड़ो के प्रवाह को बाधित कर सकती है जिससे परिचालन संबधी समस्या उत्पन्न हो सकती है।

एस.एल.डी.सी. के अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत उत्पादन केन्द्रो तथा अति उच्चदाब उपकेन्द्रो की संख्या तथा आर.टी.यू. प्रदत्त केन्द्रो/उपकेन्द्रो की संख्याएं निम्नांकित तालिका में दी गयी है।

विवरण	मार्च 2012 को	आर.टी.यू.के साथ प्रदत्त संख्या	कार्यरत अवस्था में आर.टी.यू. की संख्या	कमी (प्रतिशत)
तापीय उत्पादन केन्द्र	4	4	4	निंरक
जलीय उत्पादन केन्द्र	9	9	9	निंरक
400 के.व्ही. अति उच्चदाब उपकेन्द्र	5	5	5	निंरक
220 के.व्ही. अति उच्चदाब उपकेन्द्र	55	35	34	36.36
132 के.व्ही.आर.एच.टी. उपकेन्द्र	187	11	10	94.12

(स्त्रोत : कंपनी के द्वारा प्रदत्त सूचना)

यह पाया गया कि यद्यपि सभी उत्पादक केंद्र आर.टी.यू. प्रदत्त थे, 400/220/132 के.व्ही. क्षमता के 247 अति उच्चदाब उपकेन्द्रो में से केवल 51 उपकेन्द्र कुशल (20.65 प्रतिशत) ऊर्जा प्रबंधन तंत्र के लिए रियल टाईम डाटा रिकॉर्डिंग के लिए आर.टी.यू. प्रदत्त थे एवं आर.टी.यू. के प्रावधान में 220 के.व्ही. अति उच्चदाब उपकेन्द्रो के मामले में 36.36 प्रतिशत तथा 132 के.व्ही. उच्चदाब उपकेन्द्रो के मामले में 94.12 प्रतिशत की गिरावट आई।

220 के.व्ही. एवं नीचे के 242 उपकेन्द्रो में से केवल 46 में आर.टी.यू. स्थापित किए गए।

इसके अतिरिक्त, आँकड़ा संप्रेषण के लिए विद्युत तार वाहक संप्रेषण (पी.एल.सी.सी.) मार्ग उपलब्ध न होने के कारण 220 के.व्ही. उपकेन्द्र टीकमगढ़ का आर.टी.यू. 2008 से कार्यरत नहीं था। नये निर्माणाधीन 220 के.व्ही. उपकेन्द्र छतरपुर में आँकड़ा संयोजन मार्ग स्थापित

किया जा रहा था। आँकड़ा संप्रेषण संयोजन में समस्याओं के कारण 132 के व्ही उपकेन्द्र मोरवा भी फरवरी 2012 से संचालन में नही था। एक वैकल्पिक आँकड़ा संप्रेषण मार्ग की स्थापना (नवंबर 2012)प्रगति पर थी ।

इस प्रकार कंपनी अपनी पारेषण तंत्र की कार्यकुशलता की निगरानी रखने और भार जाँच करने की वास्तविक समय आधारित क्षमता को सीमित करते हुए एस.एल.डी.सी. से केवल 20.65 प्रतिशत ही अति उच्च दाब केन्द्रों से जुडा हुआ था ।

सचिव (ऊर्जा), म.प्र. शासन ने निर्गम सम्मेलन (अक्टूबर 2012) में सभी 132 के.व्ही. अति उच्चदाब उपकेन्द्रों और उससे नीचे को एस.सी.ए.डी.ए. के माध्यम से निगरानी रखने के लिए आवश्यक आधारभूत ढ़ांचा स्थापित करने के लिए कंपनी को निर्देशित किया तथा इस संबंध में तुरंत कदम उठाने को आश्वस्त किया।

ग्रिड अनुशासन/नियमावली

आवृत्ति प्रबंधन और ग्रिड अनुशासन का उल्लंघन

2.1.29 ग्रिड के दक्ष कार्य के लिए पारेषण कंपनी को ग्रिड कोड के अनुसार ग्रिड अनुशासन बनाये रखने की आवश्यकता होती है। सभी सदस्यों से ग्रिड आवृति 49 और 50. 50 हर्ट्ज (49.20 एवं 50.30 हर्ट्ज अप्रैल 2009 से) के बीच रखने की अपेक्षा की जाती है । यद्यपि विभिन्न कारणों जैसे उत्पादन क्षमता में कमी उच्च माँग लोड उत्पादन संतुलन में ग्रिड अनुशासनहीनता अपर्याप्त निगरानी एवं प्रबंधन के कारण फ्रिक्वेंसी दी गई सीमा के नीचे या उपर जाती है। ग्रिड अनुशासन को लागू करने हेतु डब्ल्यू.आर.एल.डी.सी. तीन तरह के उल्लंघन संदेश (ए/बी/सी) जारी (अप्रैल 2010 से) करता है। जब फ्रिक्वेंसी 49.2 हर्टज से कम हो तथा अति आहरण 50 मेगावाट से अधिक या अनुसूची का दस प्रतिशत में से जो भी कम हो की स्थिति में "ए" संदेश जारी किया जाता है। जब फ्रिक्वेंसी 49.2 हर्टज से कम हो तथा अति आहरण 50 तथा 200 मेगावाट 5 मिनट से अधिक के लिए होने पर "बी" संदेश जारी किया जाता है। संदेश सी (गंभीर प्रकृति), संदेश बी के पंद्रह मिनट बाद जारी किया जाता है। जब आवृति लगातार 49.2 हर्ट्ज से नीचे लगातार बनी रहे और अति आहरण 100 मेगावाट से अधिक हो या अनुसूची का 10 प्रतिशत, जो भी कम हो रहे। वर्ष 2009–10 और वर्ष 2011–12[12] के बीच उल्लंघन एवं शास्ति अधिरोपित करने का विवरण निम्नलिखित है :–

क्रमांक	उल्लंघन का वर्ष	उल्लंघन के अवसरो की संख्या	अधिरोपित शास्ति (लाख रूपये में)
1	2009-10	12	0
2	2010-11	169	0
3	2011-12	258	0

(स्त्रोतः कंपनी द्वारा प्रदत्त सूचना)

एस एल डी सी जबलपुर डब्ल्यू आर एल डी सी मुबंई का एक घटक हैं हमने पाया कि यद्यपि ग्रिड अनुशासन के उल्लंघन के अवसरों की संख्या बढ़ रही है पर कोई शास्ति डब्ल्यू.आर.एल.डी.सी. द्वारा एस.एल.डी.सी. पर अधिरोपित नही किया गया।

[12] 2007–08 और 2008–09 के की अवधि के आँकड़े (ए. बी. और सी.) संदेशों का विभक्तिकरण एस.एल.डी.सी. के पास उपलब्ध नही था।

बैकिंग डाउन अनुदेशन (बी.डी.आई.)

कंपनी ने 211 अवसरों पर बी.डी. आई. जारी किये जो की सभी उत्पादकों के द्वारा अनुपालन किया गया।

2.1.30 जब आवृति आदर्श सीमा का अतिक्रमण करती है जैसे उत्पादन अधिक होना तथा आहरण कम होने पर (50 हर्ट्ज आवृति से ऊपर) एस.एल.डी.सी. प्रदेश में समग्र ग्रिड प्रचालन सुनिश्चित करने और ऊर्जा तंत्र के प्रचालन में मितव्ययी एवं दक्षता प्राप्त करने के लिए, उत्पादकों को उत्पादन घटाने के लिए बैकिंग डाउन निर्देश (बी.डी.आई.) के माध्यम से निर्देश जारी करता है। एस.एल.डी.सी. के निर्देशों का पालन न करना ग्रिड कोड का उल्लघंन माना जाएगा एवं शास्ति के लिए दायी होगा। कंपनी ने 211 अवसरों पर अनुपालन के लिए बी डी आई जारी किए, निष्पादन लेखापरीक्षा की अवधि के अंदर उत्पादनकर्ता द्वारा उन सभी का अनुपालन किया गया।

आपदा प्रबंधन

2.1.31 आपदा प्रबंधन (डी.एम.) का उद्देश्य तंत्र में आई किसी वृहत खराबी के प्रभाव को कम करना और कम से कम संभव समय में पुनः स्थापित करना होता है। देश में पारेषण तंत्र में श्रेष्ठ व्यवहार के अनुसार (जनवरी 2012) के अनुसार सभी विद्युत इकाई को पारेषण तंत्र में वृहत विफलता के घटित होने पर तत्काल पुनः स्थापित करने के लिए आपदा प्रबधंन तैयार करना चाहिए। यह इमरजेंसी रिस्टोरेशन स्टिम, डीजल जनरेटिंग सेट, वाहनों, अग्निशामक उपकरणों, दक्ष एवं विशेषज्ञ मानव संसाधन द्वारा किया जाता है।

आपदा के संबंध में आपदा प्रबधंन केंद्र, राष्ट्रीय भार प्रेषण केंद्र, नई दिल्ली केंद्रीय नियंत्रण कक्ष के रूप में कार्य करता है। आपदा प्रबंधन कार्यक्रम के भाग के रूप में ब्लैक स्टार्ट[13] ऑपरेशन के दौरान उत्पादन केंद्रो के शुरू करने के लिए कंपनी द्वारा मॉक ड्रील आवधिक अंतराल में किया जाना था।

आपदा प्रबंधन के लिए अपर्याप्त सुविधा

2.1.32 बड़े उत्पादन केंद्रो से संबद्ध अति उच्च दाब उपकेन्द्रों में डीजल जनरेटिंग (डी.जी.) सेट एवं सिन्क्रोनोस्कोप[14] आपदा प्रबंधन सुविधा का हिस्सा हैं कंपनी द्वारा संचालित पारेषण तंत्र में 220 अति उच्चदाब उपकेन्द्र और उससे ऊपर के 60 अति उच्चदाब उपकेन्द्र (220 के.व्ही. के 55 एवं 400 के.व्ही. के पाँच) सम्मिलित थे।

यह देखा गया कि 60 अति उच्च दाब उपकेन्द्रो में से :

- 220 के.व्ही. के 55 अति उच्च दाब उपकेन्द्र में से किसी में भी सिन्क्रोनोस्कोप उपलब्ध नहीं था।
- केवल तीन[15] 220 के.व्ही. के अति उच्च दाब उपकेन्द्र में डी जी सेट उपलब्ध थे।
- केवल चार[16] 440 के.व्ही. के अति उच्च दाब उपकेन्द्र में डी जी सेट और सिन्क्रोनोस्कोप उपलब्ध थे।
- कटनी के 440 के.व्ही. अति उच्च दाब उपकेन्द्र में न तो डी जी सेट और न ही सिन्क्रोनोस्कोप स्थापित था।

13 आंशिक या संपूर्ण ब्लेकआउट से सामान्य स्थिति में लाने हेतु आवश्यक प्रक्रिया।

14 ए.जी. विद्युत तंत्र में यह एक उपकरण है जो दो सिस्टम उत्पादक या विद्युत नेटवर्क आपस में किस अंश में संयोजित हुआ है को दर्शाता है।

15 इटारसी, बड़वाना और भोपाल स्थित उपकेन्द्र

16 बीना, भोपाल, इंदौर और नागदा स्थित उपकेन्द्र

इसके अतिरिक्त, यह भी पाया गया कि स्थापित किए गए सात डी.जी. सेट में से दो[17] पिछले एक वर्ष से कार्यरत अवस्था में नही थे परिणामस्वरूप वैकल्पिक विद्युत आपूर्ति उपलब्ध नही थी।

इस प्रकार, कंपनी द्वारा निर्मित आपदा प्रबंधन सुविधाएँ अपर्याप्त थी और बड़े आकस्मिक घटना में पारेषण तंत्र को पुनः स्थापित करने में पर्याप्त रूप से सक्षम नहीं थी।

एस.एल.डी.सी. ने 12 हाइडल जनरेटिंग स्टेशनों में से नौ[18] को राज्य में ब्लैक स्टार्ट के लिए चिन्हित किया । तापीय उत्पादक इकाईयों के साथ–साथ क्रांतिक आवश्यक भार की पूर्ति को पुनः यह इकाईयाँ प्रणाली के ब्लैकआउट होने की अवस्था में भी संचालित की जा सकती हैं जो कि तापीय उत्पादन इकाईयों को चालू करने के लिए विद्युत प्रदाय करने के साथ–साथ अति भार की स्थिति में पुनर्स्थापित करने में सक्षम है। एस.एल.डी.सी. द्वारा चिन्हित किए गए हाइडल जनरेटिंग स्टेशनों पर ब्लैक स्टार्ट मॉक ड्रील अभ्यास प्रारम्भ किया जा चुका है। इंदिरा सागर एच पी एस (मई 2011) और बरगी एच.पी.एस. (फरवरी 2012) पर ब्लैक स्टार्ट मॉक ड्रील सफलता पूर्वक संचालित किया गया। शेष चिन्हित हाइडल स्टेशनों के लिए ब्लैक स्टार्ट मॉक ड्रील सफलतापूर्वक संचालित किया गया। शेष चिन्हित हाइडिल स्टेशनों के लिए ब्लैक स्टार्ट मॉकड्रील की योजना दिसंबर 2012 से जनवरी 2013 के बीच बनायी जा चुकी है।

वित्तीय प्रबंधन

2.1.33 राष्ट्रीय विद्युत नीति, 2005 के मुख्य उद्देश्यों में से एक ऊर्जा में वित्तीय सुदृढ़ता तथा वाणिज्यिक व्यवहारता को सुनिश्चित करना था।

वित्तीय स्थिति

2.1.34 कंपनी की वित्तीय स्थिति वर्ष 2011–12 में पाँच वर्ष की अवधि की समाप्ति पर ***परिशिष्ट 9*** में संलग्न है।

वर्ष 2007–08 में ₹ 39.94 करोड़ से वर्ष 2011 – 12 में ₹ 3.10 करोड़ कंपनी की कर से पूर्व हानि में कमी 92.24 प्रतिशत हुई।

हमने पाया कि कर से पूर्व कंपनी की हानि वर्ष 2007–08 में ₹ 39.94 करोड़ से ₹ 92.24 प्रतिशत घटकर 2011–12 में ₹ 3.10 करोड़ हो गई।

यद्यपि उधारियाँ वर्ष 2007–08 से 2011–12 तक ₹ 2016.95 से बढ़कर 2713.31 हुई किंतु उक्त अवधि में अंश पूँजी में ₹ 1149.13 करोड़ से (2007–08) ₹ 2184.44 करोड़ (2011–12) की वृद्धि के कारण ऋण समता अनुपात में 1.76:1 (2007–08) से 1.24:1 (2011–12) की कमी आई।

नियोजित पूंजी में वृद्धि के कारण नियोजित पूँजी[19] पर वापसी का प्रतिशत 5.04 (2007–08) से घटकर 2.86 (2011–12) हो गया किंतु पी.बी.आई.टी.[20] में परस्पर समान अनुपात में वृद्धि नहीं हुई।

17 बड़वाहा और इटारसी स्थित उपकेन्द्र

18 इन्दिरा सागर एच.पी.एस., बार्गी एच.पी.एस., गांधी सागर एच.पी.एव., पेंच एच.पी.एस., टोंस एच.पी.एस., मधिखेडा एच. पी.एस., राजघाट एच.पी.एस., बारसिंगपुर एच.पी.एस. और ओंकारेश्वर एच.पी.एस.

19 विनियोजित पूँजी = शुद्ध स्थायी संपति + पूँजीगत कार्य प्रगति पर + चालू संपति चालू देयताओं और ; विनियोजि पूँजी पर रिटर्न का प्रतिशत = कुल रिटर्न /विनियोजित पूँजी x 100

20 ब्याज एवं कर से पूर्व लाभ

संचालन परिणाम

2.1.35 कार्यशील परिणामों का विवरण जैसे राजस्व वसूली, शुद्ध आधिक्य/हानि और प्राप्ति और पारेषण की प्रति इकाई लागत ***परिशिष्ट 10*** में संलग्न है।

यह देखा जा सकता है कि 2007–08 से 2011–12 के दौरान प्रति इकाई में वृद्धि ₹ 0.2351 से ₹ 0.4220 (79.50 प्रतिशत) हुई व परिवर्तनशील लागत में (असामान्य मद को जोड़कर) प्रति इकाई में वृद्धि ₹ 0.0047 से ₹ 0.0111 (136.17 प्रतिशत) संबंधित वर्ष के दौरान हुई। इसके अतिरिक्त उक्त वर्ष के दौरान अंशदान प्रति इकाई ₹ 0.2304 से ₹ 0.4109 (78.34 प्रतिशत) बढ़ा था।

यद्यपि प्रति इकाई वसूली तथा प्रति इकाई अंशदान बढ़ रहा था तथापि कंपनी ने प्रति इकाई हानि उठाई क्योंकि टर्मिनल लाभ लागत, प्रशासनिक व सामान्य व्यय तथा कर्मचारी लागत में वृद्धि हुई।

वितरण कंपनियों से विद्युत प्रदाय उपलब्धता प्रभार की वसूली न होना

2.1.36 कुशल वित्तीय प्रबंधन उचित समय पर अनुकूल शर्तो के आधार पर ऋणों एवं उपलब्ध संसाधनों के सर्वोत्तम उपयोग के एक उपकरण की तरह कार्य करता है इसमें देय रकम का समय पर दावा, ऐसी राशियों के लिए अनुवर्ती कार्यवाही/संग्रहण/ वसूली करना और ऋणों का कुशल उपयोग, शीघ्र वूसली/ब्याज का भुगतान एवं अन्य संबंधित लेनदेन।

कंपनी के लिए विद्युत वितरण कंपनियों के साथ अति उच्च दाब/उच्च दाब ग्राहको को ऊर्जा उपलब्ध कराने के लिए आधारभूत ढाँचा के विकास के लिए कार्य करना आवश्यक है, जिसमें उपकेन्द्र में नये खण्ड का निर्माण का कार्य उपकेन्द्र से मापन बिंदु तक नयी लाईनों के निर्माण कार्य शामिल है। आधारभूत ढांचे के विकास तथा कंपनी के द्वारा की जाने वाली गतिविधियों हेतु अति उच्चदाब/उच्चदाब ग्राहकों को वितरण कंपनियों को "विद्युत प्रदाय उपलब्धता प्रभार" का भुगतान करना होता है।

मध्य प्रदेश विद्युत नियामक आयोग (एम.पी.ई.आर.सी.) ने उनके एम.पी.ई.आर.सी. (विद्युत प्रदाय के प्रयोजन से विद्युत लाईन प्रदाय करने अथवा उपयोग किये गए संयत्र हेतु व्ययों तथा अन्य प्रभारों की वसूली) विनियम (पुनरीक्षण प्रथम), 2009 के द्वितीय संशोधन में अधिसूचित किया (7 सिंतबर 2009) कि "विद्युत प्रदाय उपलब्धता प्रभार" अनुबंधित माँग पर ₹ 750 प्रति के.व्ही.ए. या उसके भाग की दर से सभी श्रेणी के अति उच्चदाब/उच्चदाब उपभोक्ताओं द्वारा देय होगा एवं उपभोक्ताओं से एकत्रित राशि मे से अनुबंधित माँग पर ₹ 650 प्रति के.व्ही.ए. उसके भाग की दर से वितरण कंपनी के द्वारा कंपनी को आधारभूत ढ़ाँचा तंत्र विकास के व्ययों आंशिक वित्त के रूप में दिया जाएगा। ये शुल्क उन उपभोक्ताओं पर भी लागू होंगे जिन्होंने भार वृद्धि हेतु आवेदन किया हो, उपरोक्त विनियम 7 सिंतबर 2009 से प्रभावी हुए है।

संबंधित अभिलेखों की जाँच से, हमने पाया कि वितरण कंपनी द्वारा विद्युत प्रदाय उपलब्धता प्रभार अति उच्चदाब/उच्चदाब ग्राहकों से पूर्ण रूप से एकत्र किया गया, पारेषण लाइसेंसियों का अंश समय पर नियमित रूप से नही भेजा रहा था। कंपनी के संचालक मंडल ने 20 सिंतबर 2011 को 46वीं बैठक में विषय पर परिचर्चा की थी जहाँ यह पारित किया गया कि मामला सभी तीन वितरण कंपनी के मुख्य प्रबंध निदेशकों के साथ उठाया जाएगा। जिसके अनुसार, कंपनी के प्रबंध संचालक ने (29 सिंतबर 2011) वितरण कंपनियों के द्वारा एकत्रित किए गए विद्युत प्रदाय उपलब्धता प्रभार भेजने की प्रार्थना की। तीन वितरण कंपनियों से अदत्र देय (सितम्बर 2011) ₹ 8.17 करोड़ (म.प्र. मध्य क्षेत्र विद्युत

वितरण कंपनी लिमिटेड, भोपाल ₹ 2.70 करोड़, म.प्र. पूर्व क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड, जबलपुर ₹ 2.27 करोड़, तथा म.प्र. पश्चिम क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड, इंदौर ₹ 3.20 करोड़) हो गए।

हमने पाया कि –

- कंपनी ने प्रत्येक वितरण कंपनी से दावों की राशि की विस्तृत सूचनाएँ तैयार नहीं की थी तथा अपने दावों को वितरण कंपनियों के द्वारा, उनके द्वारा देय राशि की स्वघोषणा के आधार पर प्राथमिकता दी।

- कंपनी ने सिंतबर 2011 तक किसी भी दावे को प्राथमिकता नहीं दी। उसके बाद कंपनी ने मामला वितरण कंपनियों के साथ केवल एक बार अप्रैल 2012 में उठाया। दावों गैर–अनुसरण के कारण, विद्युत प्रदाय उपलब्धता प्रभार का देय 30 सिंतबर 2011 को ₹ 8.17 करोड़ तक बढ़ गये थे।

गैर–अनुसरण के कारण, विधुत प्रदाय उपलब्धता प्रभार का देय ₹ 8.17 करोड़ तक बढ़ गए।

इस तरह इसके बकाया का विलंब से दावा करने के कारण वितरण कंपनियों से विद्युत प्रदाय उपलब्धता प्रभार के रूप में ₹ 8.17 करोड़ वसूल हो न सके (जुलाई 2012)। फण्ड की समय पर प्राप्ति कंपनी को कार्यशील पूँजी ऋण पर ब्याज के भार के कम करने में सहयोगी होती।

प्रबंधन ने बताया (अक्टूबर 2012) कि उपभोक्ता प्राथमिक रूप से विद्युत सयोंजन प्राप्त करने एवं उस पर विधुत प्रदाय उपलब्धता प्रभार की राशि जमा करने के लिए संबंधित वितरण कंपनियों से सम्पर्क करते है। विधुत प्रदाय उपलब्धता प्रभार की गणना के लिए उपभोक्ताओं की अनुबंधित मांग के वितरण की आवश्यकता थी तथा यह वितरण कंपनियों के द्वारा उपलब्ध कराया जाना था। अतः कंपनी विधुत प्रदाय उपलब्धता प्रभार की गणना नही कर सकी। विधुत प्रदाय उपलब्धता प्रभार को प्रेषित करने का प्रकरण हल कर लिया जायेगा।

कंपनी का उत्तर स्वीकार्य नही है क्योंकि आवश्यक आधारभूत संरचना के विकास के लिए कंपनी से उच्चदाब उपभोक्ताओं को संयोजन प्राप्त करने के लिए स्वीकृति की एक प्रति वितरण कंपनियों द्वारा कंपनी को उपलब्ध करायी जाती है, जिसके आधार पर विधुत प्रदाय उपलब्धता प्रभार की समय पर प्राप्ति के लिए कंपनी को विषय यथासंभव शीघ्रता से संज्ञान में लेना चाहिए था।

रोकड़ प्रवाह तंत्र की प्रक्रिया

2.1.37 विद्युत सुधार अंतरण नियम 2006 की अनसूची 3 का संबंध मण्डल के विद्युत के एक मुश्त क्रय एवं आपूर्ति से संबंधित कार्यो के अंतरण के साथ–साथ नवनिर्मित म.प्र. पावर ट्रेड़िग कंपनी लिमिटेड, जबलपुर के नाम से अनुबंधो व व्यवस्थायों से है, नव क्षेत्र संरचना के अतंर्गत एक रोकड़ प्रवाह तंत्र, 2006 (सी.एफ.एम.) जून 2006 में अधिसूचित की गयी।

रोकड़ प्रवाह तंत्र का मुख्य उद्देश्य मण्डल से निर्मित (मई 2002) छः कंपनियों[21] में जब तक रोकड़ समस्या का समाधान हो या राज्य सरकार से आदेश प्राप्त हो रोकड़ प्रबंधन का केन्द्रीयकरण निरंतर रहेगा एवं इस व्यवस्था की मुख्यः विशेषताऐं निम्न थी :–

[21] 1.मध्य प्रदेश पावर जनरेटिंग कंपनी लिमिटेड 2. मध्य प्रदेश पावर ट्रान्समिशन कंपनी लिमिटेड 3. मध्य प्रदेश मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड 4. मध्य प्रदेश पूर्व क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड 5. मध्य प्रदेश पश्चिम क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड 6.मध्य प्रदेश पावर ट्रेडिंग कंपनी लिमिटेड।

- वितरण कंपनियों द्वारा सम्पूर्ण रोकड़ संग्रहण कर मण्डल के खाते में अंतरण किया जावेगा एवं;
- मण्डल द्वारा कंपनियों के मध्य व्ययों के भुगतान हेतु रोकड़ का आंवटन पूर्व निर्धारित प्राथमिकता के आधार पर किया जावेगा।

किश्त के पुर्नभुगतान में विलंब के कारण अतिरिक्त व्यय

2.1.38 कंपनी ने वर्ष 2005–06 और वर्ष 2007–08 के दौरान लाईन, अति उच्चदाब उपकेन्द्रों के निर्माण के संबंध में वित्तीय सहायता के लिए पावर फाइनेन्स कारपोरेशन लिमिटेड (पीएफसी) के साथ तीन ज्ञापित अनुंबध (मार्च 2006, जुलाई 2007 से दिसंबर 2007 में) किये। कंपनी ने ऋण राशि समय–समय पर आहरित की।

ऋण स्वीकृती आदेश के नियम व शर्तो के उपवाक्य 2.0 के अनुसार ऋणी (कंपनी) को प्रत्येक अदायगी के समय प्रचलित ब्याज दर के साथ ही समय–समय पर लागू ब्याज कर दरों का भी भुगतान करना होगा। कंपनी द्वारा समय पर किश्त के भुगतान करने पर 0.25 प्रतिशत की छूट प्राप्त कर सकेगी।

इसी तरह, ब्याज/ब्याज कर या मूलधन भुगतान न करने की दशा में उपवाक्य 2.0 मे उल्लेखित पी.एफ.सी. को देय ब्याज की दर पर दो प्रतिशत दण्ड ब्याज की दर उपवाक्य 6.10 के अनुसार देय होगी।

हमने पाया कि वर्ष 2009–10 से वर्ष 2011–12 तक के दौरान कंपनी ने मूलधन व उसके ब्याज का भुगतान समय पर नही कर सकी जिसके कारण पीएफसी ने उपवाक्य 6.10 के अनुसार दण्ड ब्याज व ब्याज के ऊपर ब्याज राशि ₹ 1.91 करोड़ आरोपित की।

किश्तों के पुर्नभुगतान में विलब के परिणामस्वरूप दण्ड ब्याज के रूप में ₹ 1.91 करोड़ का अतिरिक्त व्यय हुआ।

प्रबंधन ने बताया कि (अक्टूबर 2012) सी.एफ.एम के अनुसार ऋण से संबंधित कार्यवाही मण्डल द्वारा की गयी। परिस्थिति की आवश्यकतानुसार व फण्ड की उपलब्धता के आधार पर मण्डल द्वारा पीएफसी को भुगतान किया गया व कंपनी की इस विषय में कोई भूमिका नही थी। इसी तरह कहा गया कि ब्याज पर ब्याज को जोड़कर ₹ 1.34 करोड़ को जोड़ते हुए परिहार्य व्यय ₹ 1.91 को परिहार्य व्यय नही माना जा सकता क्योंकि निधि का उपयोग पीएफसी को भुगतान न कर अन्य जगह किया गया।

तथ्य अभी भी शेष है कि सीएफएम जो कि कोष के कुशल प्रबंधन के लिए लाया गया अपने उद्देश्य को प्राप्त नही कर सका। यदि कंपनी ने पीएफसी को समय से भुगतान किया होता तो दण्ड ब्याज व ब्याज के ऊपर ब्याज ₹ 1.91 करोड़ टाला जा सकता था ।

सामग्री प्रबंध

2.1.39 सामग्री प्रबंध का मुख्य कार्य स्कंध नियंत्रण नीति बनाना, सामग्री की प्राप्ति एवं अप्रचलित स्कंध का निपटान करना है।

कंपनी वर्तमान में मण्डल के समय में निर्धारित सामग्री खरीद नीति का अनुसरण करती है तथा स्कन्ध का भण्डारण एवं खपत का विश्लेषण एक्स वाई जेड[22] एवं ए बी सी[23] विधि द्वारा किया जाता है ।

22 वह वस्तुयें जो कि स्कंध के मूल्य में 90 प्रतिशत हिस्सा रखती है के निरीक्षण द्वारा भण्डार की वस्तुओं के निरीक्षण का विश्लेषण

23 भण्डार के उपभोग के निरीक्षण का विश्लेषण उसे उसके मूल्य के अनुसार ए बी और सी के आधार पर वर्गीकृत करके

2.1.40 सामग्री को रखने तथा उपयोग करने एवं अप्रचलित स्कंध के निराकरण से संबंधित मुद्दो पर चर्चा/विवरण निम्न है।

अंतिम स्कन्ध

2.1.41 कंपनी तीन पारेषण भण्डार जबलपुर, इंदौर तथा इटारसी और सिहोर में एक कार्यशाला संभाग (भण्डार) का संचालन करती है। वर्ष के दौरान उपयोग, अंतिम स्कन्ध भण्डार अभिलेखों के अनुसार एवं अवधि वर्ष 2007–08 से 2011–12 तक के लेखो के अनुसार निम्नलिखित तालिका में दिए गए है–

(₹ करोड़ में)

वर्ष	उपयोग (प्रति वर्ष)				औसत मासिक उपयोग			शुद्ध अंतिम स्टॉक	
	पूँजी	संचारण एवं संधारण	अन्य निर्गम	कुल उपयोग (आंतरिक भण्डार निर्गम को शामिल करते हुए)	पूँजी	संचारण एवं संधारण	कुल उपयोग (आंतरिक भण्डार निर्गम को शामिल करते हुए)	भण्डार अभिलेखों के अनुसार	लेखों के अनुसार
2007-08	267.08	9.10	6.64	282.82	22.26	0.76	23.57	55.95	35.03
2008-09	554.33	14.22	35.66	604.21	46.20	1.19	50.36	100.61	84.28
2009-10	436.73	10.90	17.70	465.33	36.39	0.90	38.76	81.52	70.95
2010-11	186.61	13.50	14.72	214.83	15.55	1.13	17.90	68.28	48.21
2011-12	367.37	28.03	11.17	406.57	30.61	2.33	33.87	83.51	63.58

(स्त्रोत : कंपनी द्वारा प्रदत्त जानकारी)

लेखे में दर्शाये गए अंतिम स्कंध का मूल्य भण्डार अभिलेखों में दिखाए गए मूल्य से मेल नही किया।

उपरोक्त से यह देखा जा सकता है कि सामग्री के अंतिम स्कंध का मूल्य वर्ष 2010–11 तक घटते हुए क्रम में था, लेकिन वर्ष 2011–12 में यह बढ़ा।

लेखे में दर्शाए गए अंतिम स्कंध का मूल्य भण्डार अभिलेखों में दर्शाएं गए मूल्य से मेल नहीं किया। चार्टर्ड एकाउण्टेण्ट ने भी वर्ष 2007–08 से 2011–12 की अवधि के लेखे पर अपने प्रतिवेदन में भण्डार अभिलेखों से मिलान न होने का उल्लेख किया है।

प्रबंधन ने बताया कि (अक्टूबर 2012) भण्डार के स्कंध को कम करने के लिए भण्डार के एक्स वाय जेड और ए बी सी विश्लेषण को अपनाया गया एवं सामग्री की खरीद भण्डार की आवश्यकता और उपलब्धता को ध्यान में रखकर की गयी। इन भण्डारों एवं कार्यशालाओ का भौतिक सत्यापन वार्षिक किया जाता है । इसके अतिरिक्त यह भी बताया गया कि (अक्टूबर 2012) भण्डार अभिलेखों का लेखा अभिलेखों के साथ मिलान विचाराधीन था एवं शीघ्र ही पूर्ण कर लिया जायेगा।

अप्रचलित/अनुपयोगी/अवशिष्ट एवं गैर–चालित भण्डार

2.1.42 पिछले पाँच वर्षो में प्रत्येक वर्ष की समाप्ति पर भण्डार में रखे हुए अप्रचलित/अनुपयोगी/अवशिष्ट सामग्री का मूल्य निम्नलिखित तालिका में दिया जा रहा है:

(₹ करोड़ में)

विवरण	2007-08	2008-09	2009-10	2010-11	2011-12
अप्रचलित/अनुपयोगी/अवशिष्ट	3.45	2.89	3.41	3.13	5.01
गैर–चालित	10.71	16.54	17.55	16.54	16.70
कुल	**14.16**	**19.43**	**20.96**	**19.67**	**21.71**
अंतिम स्कंध के प्रतिशत के रूप में कुल	25.31	19.31	25.71	28.81	26.00

(स्त्रोत : कंपनी द्वारा प्रदत्त जानकारी)

उपरोक्त से यह देखा गया कि अप्रचलित/अनुपयोगी/अवशिष्ट के निरंतर निपटान के बावजूद वर्ष 2007–12 की अवधि में अप्रचलित/अनुपयोगी/अवशिष्ट और स्थिर भण्डार का मूल्य सामान्यतः अंतिम स्कंध के 25 प्रतिशत से अधिक था।

प्रबंधन ने बताया (अक्टूबर एवं नवम्बर 2012) कि भण्डार में उपलब्ध गैर–चालित सामग्री को पहचान कर प्रयोग किया जाना है एवं अप्रचलित/अनुपयोगी सामग्री के संबंध में उसके निराकरण के लिए कार्यवाही की जानी थी।

निगरानी एवं नियंत्रण

आन्तरिक नियंत्रण तथा आन्तरिक लेखापरीक्षा

2.1.43 कंपनी ने जुलाई 2002 से स्वतन्त्रतापूर्वक कार्य शुरू किया। चूँकि कंपनी के उस समय के मंडल ने किसी भी कर्मचारी को आन्तरिक लेखापरीक्षा के लिए नियुक्त नही किया इसलिए फरवरी 2007 तक कंपनी का आन्तरिक लेखापरीक्षा नही किया गया। कंपनी ने मई 2005 में इस कार्य को चार्टर्ड एकाउण्टेण्ट फर्म को वाह्य स्त्रोत से करने का निर्णय लिया जो कि मार्च 2007 से प्रभावी हुआ। आन्तरिक लेखापरीक्षकों की फर्मो को सौंपे गये कार्यक्षेत्र में मुख्यता पूँजीगत तथा आयगत व्ययों की लेखापरीक्षा थी। हालांकि, हमने पाया कि आन्तरिक लेखापरीक्षा के अवलोकन में, स्थापना, रजिस्टरों का संधारण, बैंक समाधान विवरणों को बनाना, वाहनों का संचालन एवं किराये पर लेना, संचारण एवं संधारण, निम्न मूल्यों के अनुबन्ध की गयी लागत व्ययों के समाधान में देरी तथा कार्यो पर भार आदि संबंधित मुद्दें केन्द्रित रहे। आन्तरिक लेखापरीक्षा ने कंपनी की मुख्य क्रियाएँ जैसे कि पारेषण लाईनों का संचालन एवं संधारण, अति उच्चदाब उपकेन्द्रों आदि को सम्मिलित नही किया।

वैधानिक अंकेक्षण ने भी अपने लेखापरीक्षा प्रतिवेदन, जो कि कंपनी के 2007–08 से 2011–12 के वार्षिक खातों पर आधारित था, बार–बार यह उल्लेख किया है कि ''आन्तरिक लेखापरीक्षा का कार्य अपर्याप्ताओं से ग्रसित है जैसे कि कार्यक्षेत्र, समाहितता (कवरेज), नियमित एवं विस्तारित प्रस्तुतीकरण (रिपोर्टिंग)।'' वैधानिक अंकेक्षको ने आन्तरिक नियंत्रण प्रणाली में क्षेत्रीय लेखाधिकारी तथा मुख्यालय कार्यालयों के बीच आपूर्तिकर्ताओं के भुगतानों में समाधान, अप्रयुक्त सामग्री को वापस करना जिसके लिए नई सामग्री जारी कर दी गयी है जैसे क्षेत्रों मे कर्मियों का उल्लेख किया है। उन्होंने राय भी दी कि ''आन्तरिक नियंत्रण प्रणाली को व्यापार की प्रकृति एवं उसके आकार के अनुरूप सशक्त करने की आवश्यकता है'' एवं आन्तरिक नियंत्रण प्रणाली को कुछ निश्चित क्षेत्रों मे सशक्त करने की आवश्यकता है।

वैधानिक अंकेक्षकों के आन्तरिक लेखापरीक्षा के कार्यक्षेत्र के ऊपर बार–बार उठायी गयी आपत्तियों के बावजूद, आन्तरिक लेखापरीक्षा के कार्यो एवं उसके क्षेत्रों मे न तो वृद्धि हुई और न ही विद्यमान आन्तरिक नियंत्रण प्रणाली को, सशक्त बनाने के लिए पुनः निरीक्षित किया गया। इस प्रकार कार्यक्षेत्र के पुनरीक्षण एवं विस्तार न किये जाने के कारण कई क्षेत्रों में आन्तरिक लेखापरीक्षा अपर्याप्त रही।

कंपनी ने (अक्टूबर 2012) कहा कि वे आन्तरिक नियंत्रण एवं आन्तरिक लेखापरीक्षा प्रणाली को सुदृढ़ बनाने के लिए लगातार प्रयास कर रहे हैं एवं इसी दिशा में आन्तरिक लेखापरीक्षा कराने के लिए दो चार्टर्ड एकाउण्टेण्ट फर्मो को नियुक्त किया जा रहा है। यह भी उल्लेख किया गया कि प्रमुख अंकेक्षण की सिफारिशों के अनुपालन में, लेखापरीक्षा के कालक्रम को

तय करने के उद्देश्य से कार्यालयों को उनके वित्तीय गतिविधियों एवं लेखांकन संबंधी लेन–देन वर्गीकृत किया जा चुका है।

अंकेक्षण समिति

2.1.44 अंकेक्षण समिति कंपनी के वित्तीय प्रबन्धन की विश्वसनीयता बनाये रखने मे एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। कंपनी अधिनियम 1956 के धारा 292 A की आवश्यकता के अनुसार जून 2006, कंपनी ने, अंकेक्षण समिति का गठन किया। समिति का पुनर्गठन 2007 में किया गया।

समिति की सभाएँ, जो कि सितम्बर 2007 तथा सितम्बर 2011 के बीच सम्पन्न हुई, के कार्यसूची एवं कार्यवृत्त के सूक्ष्म परीक्षण से ज्ञात हुआ कि–

- धारा 292 A (5) प्रावधान करती है कि वैधानिक अंकेक्षकों एवं आन्तरिक अंकेक्षकों को भी समिति की सभाओं में भाग लेना चाहिए। यह पाया गया कि आन्तरिक अंकेक्षकों ने किसी भी सभा में भाग नही लिया। हालांकि प्रबंधन ने उल्लेख किया (जुलाई 2012) कि आंतरिक अंकेक्षकों को नियमित रूप से सभाओं मे बुलाया गया था।
- धारा 292 A (6) प्रावधान करती है कि समितियों का समय–समय पर वैधानिक अंकेक्षकों के साथ अन्य बातों को सम्मिलित करते हुए आन्तरिक नियंत्रण प्रणाली पर चर्चा होनी चाहिए। वैधानिक अंकेक्षकों के द्वारा, अंकेक्षण समिति की सभाओं में भाग न लेने के कारण यह नही किया जा सका।

इस प्रकार, वैधानिक अंकेक्षकों एवं आन्तरिक अंकेक्षकों के द्वारा अंकेक्षण समिति की सभाओं में उपस्थित न होने के कारण, आन्तरिक नियंत्रण प्रणाली पर चर्चा नही की जा सकी। परिणामस्वरूप अंकेक्षण समितियों के गठन स्वरूप, प्राप्त होने वाले लाभ को स्पष्ट रूप से टाला गया।

निष्कर्ष

कंपनी नयी अति उच्चदाब उपकेन्द्र लाईनों तथा अतिरिक्त परिवर्धित पारेषण क्षमता के नियोजित परिवर्धित पारेषण क्षमता के नियोजित विकास एवं निर्माण के लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर सकी। कार्य में देरी के कई उदाहरण मौजूद थे जिनका वित्तीय एवं भौतिक उद्देश्यों पर महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ा तथा अति उच्चदाब उपकेन्द्रो एवं लाईनें अपयुक्त पड़ी रही। ट्रांसफॉर्मरों की आपूर्ति की देरी में त्रुटिपूर्ण परिसंविदा शर्त के उपयोग के परिणामस्वरूप तरल क्षति की कम वसूली हुई। कंपनी ने पारेषण हानियों को बिना किसी वित्तीय जवाबदेही के कम करने के लिए एक नवचारित धारणा का विकास किया है। वी.वी.पी.एस. प्रणाली में स्थिरता बनाये रखने की स्थिति में नहीं था तथा अति उच्चदाब उपकेन्द्र लगातार बसबार त्रुटियों से प्रभावित होने की स्थिति में थी। 220 के.व्ही. एवं उससे नीचे के 242 अति उच्चदाब उपकेन्द्रों में से केवल 46 में आर.टी.यू.एस. की स्थापना की गयी। किस्तों के पुर्नभुगतान में काफी विलंब हुआ जिससे दंडित ब्याज एवं ब्याज पर ब्याज के कारण अतिरिक्त व्यय हुआ। लेखों में प्रदर्शित स्कन्ध का मूल्य भण्डार अभिलेखों में दर्शाये गये मूल्य से भिन्न था।

सिफारिशें

कंपनी को चाहिए–

- अति उच्चदाब उपकेन्द्र लाईनों ने निर्माण में हुए विलंब के कारणों का विश्लेषण करना तथा वैकल्पिक स्त्रोतों का पता लगाना जिससे कि कार्य निर्धारित अवधि में पूरे किये जा सके।
- तरल क्षति की वसूली प्रसंविदा के प्रावधानों के अनुसार सुनिश्चित करना।
- अति उच्चदाब उपकेन्द्रों की सुरक्षा के लिए बसबार प्रतिरक्षा प्रणाली की स्थापना को सुनिश्चित करना।
- सभी अति उच्चदाब उपकेन्द्रों में आर.टी.यू.एस. की स्थापना को सुनिश्चित करना।
- सुनिश्चित करना कि ग्रिड अनुशासनों के उल्लंघन के अवसर कम से कम हो।
- अप्रचलित एवं गैर–चालित भण्डारों की सूची बनाना तथा इन सूचियों को सभी वितरण कंपनियों को वितरित करना जिससे कि उनके द्वारा इनका सम्भावित उपयोग किया जा सके।

2.2 मध्यप्रदेश राज्य पर्यटन विकास निगम की कार्यप्रणाली पर निष्पादन लेखापरीक्षा

कार्यकारी सारांश

प्रस्तावना

मध्यप्रदेश राज्य पर्यटन विकास निगम की स्थापना (मई 1978) में मध्यप्रदेश सरकार की पूर्ण स्वामित्व वाली कंपनी के रूप में, राज्य में पर्यटन के विकास के लिये किया गया था। वर्तमान निष्पादन लेखापरीक्षा पर्यटन नीति तथा मध्यप्रदेश सरकार से निष्पादित समझौता ज्ञापन में निहित उद्देश्य को मितव्ययिता प्रभावशाली तथा कुशलता पूर्वक मूल्याकंन जाँचने हेतु किया गया।

राज्य पर्यटन नीतियां एवं मध्यप्रदेश सरकार से समझौता ज्ञापन

मध्यप्रदेश सरकार द्वारा वर्ष 1995 की पर्यटन नीति में निहित उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए तथा पर्यटन के संतुलित एवं सम्पूर्ण विकास के लिये नई पर्यटन नीति अक्टूबर 2010 में निर्मित की गयी। कंपनी ने राज्य में पर्यटन के विकास के लिए कोई योजना तैयार नहीं की और पर्यटन के विकास के लिये संयुक्त उद्यमों के माध्यम से निजी क्षेत्र को आंमत्रित करने में असफल रही। पर्यटक आगमन वर्ष 2007–08 में ₹ 141.28 लाख से बढ़कर वर्ष 2011–12 में ₹ 443.89 लाख हो गया। (वृद्धि 214.19 प्रतिशत) जो कि पर्यटन आगमन के आँकड़ो में नये केन्द्र को शामिल करने के कारण था। आगे यह भी कि कंपनी के लेखों को अंतिम रूप न दिये जाने के कारण मध्य प्रदेश सरकार से निष्पादित समझौता ज्ञापन में कंपनी ने लाभ के प्रावधिक आँकड़े प्रतिवेदित किये।

ईकाईयों का चालन निष्पादन

कंपनी के पास पर्यटको की शिकायतों को जानने की कार्यप्रणाली थी तथा होटल/रेस्टोरेन्ट में साफ सफाई आदि की समुचित व्यवस्था थी। भोपाल–इन्दौर मार्ग पर चलने वाली बसों का निष्पादन संतोषजनक था। कंपनी की ईकाईयां, कंपनी द्वारा निर्धारित किये गये चालन अनुपात प्राप्त करने में असमर्थ रही। वर्ष 2008–09 से 2011–12 के दौरान चालन अनुपात का लक्ष्य 56 से 65.75 प्रतिशत था जबकि वास्तविक चालन अनुपात 66 और 73 प्रतिशत के मध्य रहा। वर्ष 2007–08 से 2011–12 के दौरान औसत आक्युपेंसी 44 तथा 48 प्रतिशत के बीच रही, जो कि अखिल भारतीय औसत आक्युपेंसी की सीमा 59.90 से 69.4 प्रतिशत से कम थी। कंपनी ने वर्ष 2007–08 से 2011–12 के दौरान 9 होटलों की टैरिफ दरो में 27 से 102 प्रतिशत की वृद्धि की, यह वृद्धि उक्त होटलों की कम आक्युपेन्सी (15 से 44 प्रतिशत के बीच) को ध्यान में रखकर नही की गयी थी। इसके परिणाम स्वरूप पाँच होटलों की आक्युपेंसी में कमी हुई तथा शेष चार होटलों की आक्युपेंसी में नाममात्र वृद्धि हुई। कंपनी की 32 ईकाईयां न तो चालन अनुपात, लक्षित स्तर पर रख सकी और न ही निर्धारित खाद्यान्न सीमा के मेन्टेन कर सकी, जिसके परिणामस्वरूप ₹ 2.81 करोड़ की खाद्यान्न लागत अधिक रही। कंपनी ने वर्ष 2007–08 से 2011–12 के दौरान 13 ईकाईयों को लिजिंग/निजीकरण हेतु पहचान की, किन्तु दिसम्बर 2012 तक केवल चार ईकाईयां लीज पर दी जा सकी। कंपनी को भूमि के अल्प मूल्यांकन के कारण ₹4.56 करोड़ की हानि हुई।

विपणन

कंपनी ने वर्ष 2007–08 से 2011–12 की अवधि में प्रचार तथा पर्यटन के संवर्धन हेतु राज्य सरकार तथा वित्त आयोग से ₹ 76.95 करोड़ प्राप्त किये तथा ₹ 78.07 करोड़ खर्च किये। कंपनी ने इलेक्ट्रोनिक मिडिया पर दिये गये विज्ञापनों पर, डायरेक्टरेट ऑफ ऑडियो विजियुवल पब्लिसिटी (डीएव्हीपी) द्वारा निर्धारित दरो से अधिक दरो पर भुगतान किया तथा डीएव्हीपी दरों पर विज्ञापन देने से असफल रही।

वित्तीय प्रबंधन

कंपनी ने वर्ष 2007–08 में ₹ 58.54 करोड़ की आय के विरूद्ध ₹ 1.67 करोड़ का लाभ अर्जित किया जो वर्ष 2010–11

में ₹ 89.41 करोड़ की आय के विरूद्ध, घटकर ₹ 0.65 करोड़ रह गया। कंपनी ने वर्ष 2007–08 से 2010–11 के दौरान स्थायी जमा में रखे गये अव्ययतीत अनुदान के ब्याज ₹ 18.80 करोड़ की स्वंय की आय दिखाया। कंपनी द्वारा विविध देनदारी की वसूली की प्रगति उल्लेखनीय नही थी। कंपनी ने वर्ष 2007–08 से 2011–12 के दौरान ₹ 248.94 करोड़ अनुदान के रूप में भारत सरकार, वित्त आयोग तथा मध्य प्रदेश सरकार से प्राप्त किये। वर्ष 2007–08 से 2011–12 की अवधि में उपलब्ध अनुदानों की उपयोगिता का प्रतिशत 42.52 से 56. 32 प्रतिशत के मध्य रहा। कंपनी ने अनुदान खर्च किये बिना ₹ 3.12 करोड़ वित्त आयोग की 10 योजनाओं में, ₹ 4.90 करोड़ भारत सरकार की सात योजनाओं में तथा ₹ 0.93 करोड़ मध्य प्रदेश सरकार की चार योजनाओं में उपयोगिता प्रमाणपत्र प्रस्तुत किये। साथ ही वित्त आयोग की पांच योजनाओं में ₹ 1.53 करोड़ तथा भारत सरकार की तीन योजनाओं में ₹ 0.72 करोड़ का विचलन किया।
कंपनी ने भारत सरकार की 13 योजनाओ में ₹ 21.36 करोड़ समर्पित न करते हुए अनुदान शर्तो का उल्लंघन किया।

सूचना प्रोद्योगिकी प्रणाली का क्रियान्वयन

कंपनी ने वर्ष 2007–08 से 2011–12 की अवधि में ₹ 24.59 लाख का व्यय परियोजना प्रबंधन, होटल प्रबंधन तथा वित्त एवं पेरोल प्रबंधन हेतु विकासशील सॉफ्टवेयर पर किया किन्तु इन साफ्टवेयर का सफलतापूर्वक क्रियान्वयन नही करा सकी (दिसंबर 2012)।

जनशक्ति प्रबंधन

कंपनी के पास 2287 कर्मचारियों की आवश्यकता के विरूद्ध, 1909 कर्मचारी उपलब्ध थे (662 नियमित तथा1247 ऐजेन्सी कर्मचारी) अतः 378 कर्मचारी कम थे।

निगरानी, आंतरिक नियंत्रण तथा आंतरिक अंकेक्षण

कंपनी द्वारा संचालन मंडल के समक्ष वार्षिक चालन योजना, राजस्व बजट, पूंजीगत बजट, राज्य सरकार के साथ समझौता ज्ञापन, तिमाही परिचालन परिणाम आदि प्रस्तुत नही किये गये। आंतरिक नियंत्रण की पर्याप्त व्यवस्था नही थी साथ ही समयावधि में संपत्तियों स्टॉक, रोकड़, स्टोर्स आदि के भौतिक सत्यापन भी नहीं किया गया। कंपनी के पास अपने व्यवसाय के समरूप तथा प्रकृति के अनुसार आंतरिक अंकेक्षण की प्रभावी प्रणाली का आभाव था।

निष्कर्ष एवं अनुशंसाए

कंपनी ने पर्यटन निधियों के उद्देश्यों को ध्यान में रखते हुए कोई योजना नही बनाई तथा नई ईकाईयों तथा हानि दर्शाने वाली ईकाईयों की निजी क्षेत्र में, लीजिंग करने में असफल रही। आक्युपेंसी की दर अखिलभारतीय औसत से बहुत कम रही। प्रभावी प्रचार–प्रसार तथा पर्यटन संवर्धन हेतु कोई विपणन निति नहीं बनाई। कंपनी लेखाओं के शीघ्र अंतिमिकरण तथा विविध देनदारी के विवेकपूर्ण प्रबंधन में वित्तीय दूरदर्शिता लाने में असफल रही। कंपनी भारत सरकार/मध्य प्रदेश सरकार से प्राप्त अनुदानों में स्वीकृत की शर्तो पर अमल करने में असमर्थ रही। कारपोरेट प्रबंधन को अपनाने में कमी रही तथा आंतरिक अंकेक्षण अपर्याप्त था।

हम अनुशंसा करते है कि कंपनी पर्यटन निति के परिपेक्ष मे अपनी क्रियाओं को परिभाषित करते हुए एक कारपोरेट प्लान बनाये, आक्युपेंसी मानक वैज्ञानिक रूप से निर्धारित करे, समय पर लेखाओं की पूर्णता सुनिश्चित कर, वित्तीय प्रबंधन में सुधार करे, अनुदानों की शर्तो पर अमल करते हुए उनका सही उपयोग करें, आंतरिक नियंत्रण व आंतरिक अंकेक्षण को मजबूत करते हुए कारपोरेट प्रबंधन को मजबूत करें।

प्रस्तावना

2.2.1 मध्य प्रदेश राज्य पर्यटन विकास निगम (कंपनी) की स्थापना (मई 1978) पर्यटन के विकास हेतु पर्यटकों को आवास प्रदान करने, पर्यटकों की रूचि के स्थान विकसित करने, पर्यटकों को परिवहन सुविधा प्रदान करने और बड़ी संस्था में पर्यटकों को आकर्षित करने

के लिये आवश्यक तरीके तथा साधन अपनाने के लिये मध्य प्रदेश सरकार की एक पूर्ण स्वामित्व वाली कंपनी के रूप में किया गया था।

कंपनी होटलों एवं मोटलो, केफेटेरिया, रेस्टोरेन्ट, मार्गस्थ सुख सुविधाओं, वाटर स्पोर्ट काम्पलेक्सेज, ध्वनि एवं प्रकाश शोज के निर्माण, अनुरक्षण तथा परिचालन और पर्यटकों हेतु परिवहन सुविधा प्रदान करने का कार्य कर रही थी। कंपनी के छः[1] क्षेत्रीय कार्यालय, 66 परिचालन ईकाईयाँ[2] तथा 9 मार्केटिंग कार्यालय[3] है।

कंपनी, राज्य सरकार की नोडल एजेन्सी के रूप में, पर्यटन के विकास के लिये पर्यटन मंत्रालय, भारत सरकार, वित्त आयोग तथा राज्य शासन के बजट से राशि प्राप्त करती है जिसका उपयोग पर्यटन संरचना के विकास संबंधित कार्यो में किया जाता है। साथ ही कंपनी राज्य शासन से प्रचार व प्रसार हेतु, राज्य के प्रमोशन के लिये अनुदान प्राप्त करती है। जिसका उपयोग टी.व्ही. चैनलों, समाचार पत्र एवं पत्रिकाओं, प्रचार सामग्री, मेलो एवं त्योहारों, सड़क प्रदर्शन का आयोजन इत्यादि मे विज्ञापन अभियान के माध्यम से किया जाता है।

कंपनी का प्रबंधन संचालन मंडल में निहित है, जिसमें 11 संचालक एक प्रबंध संचालक सहित तथा एक अध्यक्ष राज्य सरकार द्वरा नियुक्त किया जाता है। प्रबंध संचालक मुख्य कार्यकारी अधिकारी होता है, जिसकी सहायता के लिये एक कार्यकारी निदेशक, दो मुख्य महाप्रबंधक (एक योजना तथा एक मार्केटिंग एवं चालन), एक मुख्य अभियंता निर्माण कार्यो हेतु तथा चार महाप्रबंधक (वित्त, यातायात, वाटर स्पोर्ट एवं मुख्यालय) है। कंपनी की चुकता पूंजी मार्च 2012 में ₹ 24.97 करोड़ थी। कंपनी ने वर्ष 2010–11 तक अपने लेखे पूर्ण किये है तथा ₹ 0.65 करोड का लाभ अर्जित किया (₹ 87.41 करोड की आय के विरूद्ध) ।

लेखापरीक्षा क्षेत्र तथा पद्धति

2.2.2 कंपनी की पिछली निष्पादन लेखापरीक्षा भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक के लेखापरीक्षा प्रतिवेदन वर्ष 2006–07 मध्य प्रदेश सरकार में की गई थी। सार्वजनिक उपक्रमों संबंधी समिति (कोपू) की बैठक (अगस्त 2010) में उक्त निष्पादन लेखापरीक्षा पर चर्चा की गयी तथा समिति की अनुशंसाए अभी प्राप्त नहीं हुई है। हमने, सरकारी उपक्रमों संबंधी समिति के समक्ष प्रबंधन द्वारा दिये गये वक्तव्यो की समीक्षा की तथा उन्हें वर्तमान निष्पादन लेखापरीक्षा को संबंधित कंडिकाओं में शामिल किया है। मार्च 2012 से जुलाई 2012 तक की गयी वर्तमान निष्पादन समीक्षा में वर्ष 2007–08 से 2011–12 अवधि के लिये कंपनी के निष्पादन की समीक्षा की गयी जिसमें 66 चालन इकाई मे से 38 इकाईया (57.58 प्रतिशत कुल ईकाईयों का) सभी छः रीजनल कार्यालय तथा नौ में से दो मार्केटिंग[4] कार्यालयों को विस्तृत जांच शामिल किया गया। इन ईकाईयों का चयन सरल रेण्डम सेम्पलिंग के आधार पर किया गया।

लेखापरीक्षा पद्धति के संदर्भ में लेखापरीक्षा के लक्ष्य प्राप्त करने के लिये अंगीकृत लेखापरीक्षा प्रणाली के अंतर्गत प्रबंधन को लेखापरीक्षा उद्देश्य समझाने, मुख्यालय[5] पर अभिलेखों की समीक्षा तथा चयनित ईकाईयों के अभिलेख, प्रबंधन से विचार–विमर्श तथा

1 भोपाल, ग्वालियर, इंदौर, जबलपुर, पचमढ़ी तथा खजुराहो ।
2 52 होटलें, 10 रेस्टोरेंट, तीन ध्वनि एवं प्रकाश शो तथा एक वाटर स्पोर्ट्स काम्पलेक्स ।
3 अहमदाबाद, हैदराबाद, कोलकाता, लखनऊ, मुम्बई, नागपुर, नई दिल्ली, पुणे और रायपुर ।
4 विपणन कार्यालय – नई दिल्ली और नागपुर ।
5 भोपाल में ।

लेखापरीक्षा आपत्तियों पर प्रबंधन से चर्चा तथा लेखापरीक्षा निष्पादन प्रतिवेदन प्रबंधन/सरकार को जारी करना था।

2.2.3 हमने लेखापरीक्षा के उद्देश्यों को प्रबंधन के समक्ष दिनांक 14 मार्च 2012 को ऐन्ट्री कान्फ्रेंस में चर्चा की जो कि कंपनी के प्रबंध संचालक की उपस्थिति में हुई थी। लेखापरीक्षा निष्कर्ष कंपनी प्रबंधन/सरकार को सूचित (अगस्त 2011) किये गये तथा जिस पर नवम्बर 2012 की एग्जिट कान्फ्रेन्स में चर्चा की गई जिसमें प्रमुख सचिव, पर्यटन विभाग मध्य प्रदेश शासन तथा कंपनी के प्रबंध संचालक ने भाग लिया। सरकार तथा प्रबंधन द्वारा एग्जिट कान्फ्रेंस में व्यक्त किये गये विचार तथा उनके द्वारा प्रेषित उत्तरों (दिसंबर 2012) के आधार पर प्रतिवेदन को अंतिम रूप दिया गया।

लेखापरीक्षा उद्देश्य

2.2.4 निष्पादन लेखापरीक्षा यह सुनिश्चित करने के लिये की गई थी कि क्याः–

- कंपनी का निष्पादन राज्य पर्यटन नीतियों तथा राज्य सरकार से हस्ताक्षरित समझौता ज्ञापन के अनुसार है;
- होटल/रेस्टोरेन्टस का चालन मितव्ययिता, प्रभाविकता तथा कुशलता पूर्वक किया गया है;
- पर्यटकों को रिझाने के लिये पूर्ण परिभाषित मार्केटिंग नीति है;
- कंपनी के पास प्रभावी वित्तीय प्रबंधन है तथा भारत सरकार/राज्य सरकार से प्राप्त अनुदानों का उपयोग प्रभावी तथा कुशलता–पूर्वक अनुदान स्वीकृति की शर्तो के अनुसार किया गया है।
- कंपनी के पास प्रभावी प्रबंधन तथा ईकाईयों के चालन हेतु पर्याप्त जनशक्ति उपलब्ध हैः तथा
- कंपनी के पास पर्याप्त तथा प्रभावी नियंत्रण प्रणाली तथा आंतरिक अंकेक्षण व्यवस्था है।

लेखापरीक्षा मापदंड

2.2.5 लेखापरीक्षा के लक्ष्य प्राप्त करने के लिये लेखापरीक्षा पद्धति निम्न प्रकार है :–

- पर्यटन के उत्थान के लिये मध्य प्रदेश सरकार की नीतिया;
- पर्याप्त मंत्रालय, भारत सरकार/मध्य प्रदेश सरकार द्वारा जारी निर्देश तथा अन्य नियम और भारत सरकार/मध्य प्रदेश सरकार द्वारा समय–समय जारी नियमावली;
- कपंनी तथा राज्य सरकार के मध्य हस्ताक्षरित समझौता पत्रक; तथा
- समयावधि लक्ष्य/कंपनी द्वारा निर्धारित मानक।

लेखापरीक्षा निष्कर्ष

राज्य पर्यटन नीतियां तथा मध्य प्रदेश सरकार से समझौता ज्ञापन

पर्यटन नीति का अनुपालन

2.2.6 मध्य प्रदेश सरकार द्वारा जनवरी 1995 से राज्य में पर्यटन के विकास के लिये पर्यटन नीति निर्धारित की जो 19 अक्टूबर 2010 तक प्रभावशाली थी। उसके बाद मध्य प्रदेश सरकार ने अक्टूबर 2010 में संतुलित तथा समेकित पर्यटन हेतु तथा राज्य पर्यटन नीति 1995 के उद्देश्यों को पूर्ण करने के लिये बनायी। मध्य प्रदेश सरकार द्वारा ईको तथा साहसी पर्यटन के प्रमोशन के लिये ईको तथा साहसी पर्यटन नीति 2001'' बनायी जो कि पर्यटन नीति 1995 में निहित थी।

उक्त पर्यटन नीतियों के साथ–साथ कंपनी की भूमिका निम्न बिन्दुओं में निर्धारित की गयी थी :–

- पर्यटन रूचि वाले दूरस्थ स्थानों पर पर्यटक संरचना बनाना तथा विकास के पश्चात् उनका निजीकरण करना तथा उसके पश्चात् अविकसित स्थानों पर इसी प्रकार संरचना बनाना;
- राष्ट्रीय व अंतरराष्ट्रीय विपणन के माध्यम से राज्य के पर्यटन स्थलों हेतु संवर्धन क्रियाओ के माध्यम से अधिक पर्यटको को आकर्षित करना;
- संयुक्त निवेश कंपनियों के निर्माण से निजी निवेश को बढावा देना तथा चयनित क्षेत्रों का मास्टर प्लान बनाना।
- ऐसी ईकाईयां जो कि संतोषजनक लाभ केन्द्र नही है उनमें विनिवेश करना तथा उन्हें प्रबंधकीय या अल्प अवधि लीज पर निजी क्षेत्र में देना;
- कंपनी द्वारा वाणिज्यिक क्रियाओ से अर्जित लाभ को नये क्षेत्रों की पर्यटन संरचना के विकास में निवेशित करना; तथा
- पर्यटन मंत्रालय, भारत सरकार से वित्तीय सहायता तथा अन्य वित्तीय संस्थाओं से ऋण लेना जारी रखना।

हमने कंपनी द्वारा पर्यटन नीतियों के क्रियान्वयन की समीक्षा की तथा निम्न कमियॉ पायी:–

कंपनी ने पर्यटन महत्व के दूरस्थ स्थानों की पहचान तथा विकास के लिये सूक्ष्म स्तर पर प्रभावी योजना के लिये और पर्यटन के विकास के लिये निजी निवेश, हानि में चल रही ईकाईयो के विनिवेश हेतु कोई भी योजना तैयार नही की जैसा कि मध्य प्रदेश सरकार की पर्यटन नीति में निहित था।

- कंपनी ने सूक्ष्म स्तर योजना को प्रभावित करने के लिये नीति के बारीक क्षेत्रों को नही पहचाना तथा अल्पकालीन तथा दीर्घकालीन समय हेतु कोई लक्ष्य निर्धारित नही किये।
- कंपनी ने पर्यटन महत्व के दूरस्थ स्थानों की पहचान करते हुए कोई भी योजना तैयार नही की तथा विकास की संभावनाओं को देखते हुए पर्यटन संरचना नही विकसित की।
- कंपनी ने पर्यटन के विकास हेतु निजी क्षेत्र के निवेश को बढावा देने के लिये संयुक्त उधम कंपनीयों की स्थापना हेतु किसी प्रकार के अनुबंध निष्पादित नही किये।
- कंपनी संपत्तियों के विनिवेशीकरण में असफल रही, जो कि संतोषजनक लाभ केन्द्र नही थी तथा दिसंबर 2012 तक एक बंद ईकाई (होटल राहिल, खजुराहो) को

लीज पर दे सकी। एक हानि में चलने वाली एक इकाई (टूरिस्ट मोटल, खलघाट) प्रबधंकीय लीज पर निजी क्षेत्र को जनवरी 2011 में दी गई।

- कंपनी ने मार्च 2012 तक अपने स्वंय के संसाधनों से दो गतिविधियां केम्पिंग तथा वाटर स्पोर्ट्स किया 9 जगहो पर चालू कर सकी, जबकि ईको तथा साहसी पर्यटन नीति, 2001 में 28 स्थानों पर 13 गतिविधियां पहचानी गयी थी। कंपनी दिसंबर 2012 तक इन क्षेत्रों मे निजी निवेश आकर्षित नही कर सकी, जो कि नीति मे निहित था।

सरकार ने जवाब (दिसंबर 2012) में बताया कि कंपनी पर्यटन मास्टर प्लान विकसित करने की प्रक्रिया कर रही है तथा दूरस्थ क्षेत्रों के विकास के लिये निजी निवेश को आमंत्रित करने हेतु प्रयास कर रही है। कंपनी ने 9 भूमि/संपत्ति के प्रकरणों में विनिवेश किया है। किंतु सत्य यह है कि कंपनी अपने निर्गमन की अवधि से अभी तक पर्यटन मास्टर प्लान नही बनाया तथा कंपनी दूरस्थ क्षेत्रों में पर्यटन के विकास हेतु संयुक्त उद्यमों की आकर्षित करने में असमर्थ रही। साथ ही, सरकार द्वारा बताये गये 9 प्रकरणों में से 8 प्रकरण लेण्ड बैंक के अंतर्गत राज्य सरकार द्वारा कंपनी को उपलब्ध करायी गयी भूमि के निराकरण से संबंधित है जिनकी चर्चा ***कंडिका 2.2.18*** में की गई है।

राज्य में पर्यटन का विकास

2.2.7 राज्य पर्यटन नीति के अनुसार कंपनी की विभिन्न भूमिकाओं में शामिल बिन्दुओं में राष्ट्रीय व अंतराष्ट्रीय विपणन के माध्यम से राज्य के पर्यटन स्थलों हेतु प्रमोशनल क्रियाओं के माध्यम से पर्यटकों को आकर्षित करना है। कंपनी राज्य में पर्यटकों के आगमन संबंधी ऑकड़े, विभिन्न एजेन्सियों के माध्यम से जो कि आर्कियोलॉजी विभाग भारत सरकार, राज्य के वन विभाग, कंटोनमेन्ट बोर्ड तथा स्थानीय प्रशासन आदि से एकत्र कर राज्य में विकास का आंकलन कर पर्यटन विभाग, भारत सरकार को भेजती है। 31 मार्च 2012 को पांच वर्ष की अवधि में भारत में भ्रमण पर आये तथा मध्य प्रदेश भ्रमण पर आये पर्यटकों की संख्या निम्नानुसार है :–

(संख्या लाख में)

स.क्र.	विवरण	2007	2008	2009	2010	2011
1.	घरेलू पर्यटकों की संख्या	5265.64	5629.15	6688.00	7402.14	8510.00
2.	भारत में भ्रमण करने वाले विदेशी पर्यटकों की संख्या	132.67	141.12	143.72	178.53	195.00
3.	**योग (सं.क्र. 1 + सं.क्र. 2)**	**5398.31**	**5770.27**	**6831.72**	**7580.67**	**8705.00**
मध्य प्रदेश भ्रमण करने वाले पर्यटक						
4.	घरेलू	138.94	220.89	231.06	380.79	441.20
5.	विदेशी	2.34	2.52	2.01	2.50	2.69
6.	**योग(सं.क्र. 4 + सं.क्र. 5)**	**141.28**	**223.41**	**233.07**	**383.29**	**443.89**
7.	कुल पर्यटकों से घरेलू पर्यटको का प्रतिशत **(सं.क्र. 4x100/ सं.क्र. 1)**	2.64	3.92	3.45	5.14	5.18
8.	कुल विदेशी पर्यटकों का राज्य में भ्रमण पर आये विदेशी पर्यटकों से प्रतिशत	1.76	1.79	1.40	1.40	1.38
पर्यटक जिन्होंने कंपनी की आवास सुविधा का लाभ उठाया						
9.	घरेलू	1.32	1.52	1.70	1.84	1.93

10.	विदेशी	0.10	0.10	0.08	0.09	0.09
11.	**योग (सं.क्र. 9 + सं.क्र. 10)**	**1.42**	**1.62**	**1.78**	**1.93**	**2.02**
कंपनी के आवास सुविधा का लाभ उठाने वाले पर्यटको का प्रतिशत						
12.	घरेलू **(सं.क्र. 9 x 100/सं.क्र. 4)**	0.95	0.69	0.74	0.48	0.44
13.	विदेशी **(सं.क्र. 10x100/सं.क्र. 5)**	4.27	3.97	3.98	3.60	3.35

(स्त्रोतः भारत सरकार के पर्यटन मंत्रालय की वेवसाईट से एकत्रित आंकडे तथा कंपनी से प्राप्त आकड़े)

उपरोक्त तालिका से यह पाया गया कि राज्य में पर्यटकों के भ्रमण की संख्या 141.28 लाख (2007) से बढ़कर 443.89 लाख वर्ष 2011 (वृद्धि 214.91 प्रतिशत) में हो गयी। जबकि विदेशी पर्यटकों का प्रतिशत वर्ष 2007 में 1.76 की तुलना में घटकर 1.38 वर्ष 2011 में हो गया। आगे यह देखा गया कि 2007–11 की अवधि में ऐसे घरेलू पर्यटक जो कंपनी की आवास सुविधाओं का लाभ उठा रहे थे वह भी 0.95 से घटकर 0.44 प्रतिशत रह गये तथा विदेशी पर्यटक का प्रतिशत में 4.27 से घटकर 3.35 रह गया। कंपनी के द्वारा अवधि 2007–11 में दिखाई गयी पर्यटकों को आगमन की विकास दर, पर्यटकों की गणना हेतु नये केन्द्रो को शामिल करने, स्थानीय लोगो को पर्यटकों के रूप में गिनने तथा एक ही पर्यटक की विभिन्न स्थानों पर गणना के कारण थी, जिसे आगे की कंडिकाओं में चर्चा की गयी है;

पर्यटक आगमन की गणना का वैज्ञानिक आधार न होने के कारण कंपनी द्वारा तैयार किये गये पर्यटक आगमन के आकड़े विश्वसनीय नहीं थें।

- कंपनी ने राज्य में पर्यटकों की गणना के लिये पर्यटक केन्द्रो के निर्धारण हेतु कोई प्रक्रिया निर्धारित नही की। कंपनी ने वर्ष 2010 में सात[6] नये केन्द्र पर्यटकों की गणना हेतु शामिल किये, इन नये केन्द्रो में पर्यटक आगमन संस्था वर्ष 2010 में ₹ 1.54 करोड़ तथा वर्ष 2011 में ₹ 1.83 करोड़ थी। जबकि कुल पर्यटकों में वृद्धि वर्ष 2010 में 1.50 करोड़ तथा वर्ष 2011 में 0.61 करोड़ ही थी। यदि नये केन्द्रो के आंकड़े, कुल पर्यटक भ्रमण के आकड़ो में शामिल न किये जाये तो वर्ष 2010 में पर्यटक विकास दर नकारात्मक हो जाती है।

सरकार ने बताया (दिसंबर 2012) राज्य के सभी पर्यटन स्थलों में पर्यटक आगमन के आधार पर केन्द्रो के आकड़े दिखाये गये। उत्तर लेखापरीक्षा को मान्य नही है क्योंकि पर्यटक आगमन के आकड़ों में वृद्धि का कारण नये केन्द्रो को शामिल करना था। सरकार, एक्जिट कान्फ्रेन्स में, नये केन्द्रो के आंकड़े को अलग से दिखाने पर सहमत हुई।

- वर्ष 2010 में शामिल किये गये केन्द्रो में से, चार [7] केन्द्र मध्य प्रदेश के धार्मिक स्थल थे, जहॉ पर मूल रूप से स्थानीय लोग विभिन्न धार्मिक पर्व जैसे नवरात्रि, पूर्णिमा, अमावस्या, नर्मदा जयंती आदि पर दर्शनार्थ भ्रमण पर आये थे। जैसे कि मैहर में कुल भ्रमण करने वालो की संख्या वर्ष 2011 में 118.70 लाख थी, जिसमें से 20 लाख (अप्रैल 2011) तथा 25 लाख (अक्टूबर 2011) में नवरात्रि के कारण थी जिसे पर्यटक आगमन नही मान्य किया जा सकता।

सरकार ने बताया (दिसंबर 2012) कि सामान्य स्थिति में किसी व्यक्ति का अपने निवास स्थान से दूर जाना पर्यटक की श्रेणी मे आता है, जिसे पर्यटक के रूप में गिना जाता है साथ ही एक जिले से दूसरे जिले में जाने वाला यात्री भी पर्यटक माना जायेगा। उत्तर मान्य नहीं है क्योकि पर्यटक की परिभाषा के अनुसार, एक व्यक्ति जो किसी स्थान पर 24 घंटे या अधिक और 12 माह से कम रहता है तथा आवास व्यवस्था का उपयोग पर्यटक के रूप में करता है उसे पर्यटक माना जायेगा। कंपनी द्वारा इन नये केन्द्रो पर जो पर्यटन संस्था बतायी है। इनमें स्थानीय लोग जो धार्मिक अवसरों पर शामिल किया गया है। आगे

6 तीन मुख्य शहर–भोपाल, इंदौर और जबलपुर तथा चार धार्मिक स्थान – मैहर, दतिया, सलकनपुर और होशंगाबाद ।

7 मैहर, दतिया, सलकनपुर और होशंगाबाद ।

यह भी कि इन नये केन्द्रों पर पर्याप्त मात्रा में आवास सुविधा भी उपलब्ध नही है। अतः धार्मिक अवसरों पर लोगो के भ्रमण को पर्यटक की श्रेणी में नही रखा जा सकता।

- विभिन्न साधनों[8] से एकत्रित पर्यटक आगमन आंकडे यह दर्शाते हैं कि एक स्थान पर एक से अधिक जगहों पर पर्यटकों द्वारा भ्रमण किया जाता है। कंपनी ने विभिन्न जगहो पर भ्रमण किये पर्यटकों को जोड़कर पर्यटक आगमन आंकड़ो को अंतिम रूप दिया। इस कारण एकत्रित आकड़े में दोहरीकरण हुआ है। सरकार/कंपनी द्वारा वास्तविक रूप से पर्यटक आगमन आकड़े जानने के लिये कोई प्रणाली विकसित नही की। इसी प्रकार से वर्ष 2010 में नये शामिल केन्द्रो में इन्दौर और जबलपुर दो मुख्य रेलवे जंक्शन है, जहॉ से पर्यटक माण्डू, ओमकारेश्वर, महेश्वर (इंदौर) आदि तथा भेड़ाघाट, बांधवगढ़, कान्हा (जबलपुर) आदि की यात्रा करते है। अतः इन स्थानों के आंकडे अलग से शामिल करने के कारण वास्तविक आगमन आकड़े सही रूप से प्राप्त नही हो सके।

कंपनी ने एक्जिट कान्फ्रेन्स में बताया (नवम्बर 2012) की भारत सरकार द्वारा पर्यटक आगमन के वास्तविक आंकड़े की गणना करने के लिये एक भिन्न एजेन्सी की नियुक्ति की गयी है।

पर्यटकों के आगमन आकड़े की गणना तथा नये केन्द्र बढाने हेतु वैज्ञानिक तरीके के आभाव के कारण एवं कंपनी द्वारा एकत्रित एवं भारत सरकार को प्रेषित पर्यटन विकास के ऑकड़े विश्वसनीय नही थे।

राज्य सरकार से समझौता ज्ञापन

2.2.8 कंपनी अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए तथा पर्यटन नीति मे निहित उद्देश्यों की पूर्ति के लिये प्रत्येक वर्ष मध्य प्रदेश सरकार के साथ समझौता ज्ञापन हस्ताक्षरित करती है समझौता ज्ञापन में विभिन्न लक्ष्य जैसे कि आय लाभ, मध्य प्रदेश सरकार को देय लांभाश, योजनाओ का समय पर पूर्ण होना आदि निर्धारित किये जाते है साथ ही वर्तमान वर्ष के लक्ष्यों के साथ गतवर्ष की उपलब्धि दर्शाई जाती है। वर्ष 2007–08 से 2011–12 तक के समझौता ज्ञापनों कि विस्तृत परीक्षा में पाया गया कि अंकेक्षित लेखो के अनुसार दिखाया गया कर पश्चात् लाभ, समझौता ज्ञापन में प्रतिवेदित किये गये कर पश्चात् लाभ से बहुत कम था जैसा कि तालिका से स्पष्ट होता है –

(₹ करोड़ में)

स. क्र.	वर्ष	समझौता ज्ञापन के अनुसार कर पश्चात् लाभों का लक्ष्य	मध्य प्रदेश सरकार को प्रतिवेदित कर पश्चात् लाभ प्रावधिक लेखो के अनुसार	कर पश्चात् वास्तविक लाभ अंकेक्षित लेखो के अनुसार
1.	2007-08	5.37	6.00	1.67
2.	2008-09	7.00	9.00	1.51
3.	2009-10	10.00	3.70	0.23
4.	2010-11	8.00	6.00	0.65
5.	2011-12	9.00	3.61	लेखे तैयार नही

कंपनी समझौता ज्ञापन के लक्ष्यों को प्राप्त करने में असफल रही तथा लेखे पूर्ण होने में विलंब के कारण मध्य प्रदेश सरकार को अधिकतम प्राविधिक लाभ प्रतिवेदित किया ।

(स्त्रोत:* कंपनी के वार्षिक लेखे तथा मध्य प्रदेश सरकार के साथ संपादित एम.ओ.यू.*)

उपरोक्त तालिका से स्पष्ट है कि वर्ष 2007–08 से 2010–11 के दौरान समझौता ज्ञापन में दिखाई गयी लक्षित लाभ की उपलब्धि तथा अंतिम लेखों के अनुसार वास्तविक लाभ में बहुत अंतर था। कंपनी ने लेखे तैयार होने मे विलंब के कारण सरकार को प्राविधिक लाभ

[8] कन्टोनमेंट बोर्ड, आर्कियोलाजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, राज्य के राष्ट्रीय उद्यान, स्थानीय प्रशासन, पुलिस विभाग, वन विभाग, मंदिर समिति, कंपनी के प्रबंधक और क्षेत्रीय प्रबंधक।

अधिकतम प्रतिवेदित करना जारी रखा। साथ ही, कंपनी वर्ष 2007–08 से 2010–11 में समझौता ज्ञापन में लक्षित लाभ अर्जित नही कर सकी। लेखे तैयार होने मे विलंब के कारण वर्ष 2011–12 मे कंपनी के निष्पादन की जांच नही की जा सकी।

ईकाईयों का चालन निष्पादन

2.2.9 वर्ष 2007–08 से 2011–12 के दौरान ईकाईयों का चालन निष्पादन लक्षित आय, व्यय तथा उसके विरूद्ध वास्तविक उपलब्धि दर्शाते हुए निम्न प्रकार है :

(₹ करोड़ में)

स. क्र.	विवरण	2007-08	2008-09	2009-10	2010-11	2011-12 (प्राविधिक)
1.	ईकाईयों की संख्या	58	62	62	66	66
2.	लक्षित आय	5100.00	4695.00	5300.00	6800.00	7084.06
3.	वास्तविक आय	3247.38	3715.88	4673.72	5463.51	6600.75
4.	वास्तविक आय का लक्षित आय से प्रतिशत	63.67	79.15	88.18	80.35	93.18
5.	लक्षित व्यय (चालन अनुपात) प्रतिशत में	-[9]	65.75	60	58.25	56
6.	लक्षित व्यय	--	2443.19	2804.23	3182.49	3696.42
7.	वास्तविक व्यय	2468.64	2525.35	3226.84	3988.50	4358.69
8.	अधिक व्यय (7–6)	---	82.16	422.61	806.01	662.27
9.	वास्तविक चालन लाभ/ हानि	778.74	1190.53	1446.88	1475.01	2242.06
10.	कुल व्यय का आय से प्रतिशत	76	68	69	73	66
11.	लाभ दर्शाने वाली ईकाईयां	43	55	51	48	58
12.	हानि दर्शाने वाली ईकाईयां	15	7	11	18	8

(स्त्रोत:कंपनी से प्राप्त आकड़ें)

उपरोक्त तालिका से स्पष्ट है कि ईकाईयों के चालन लाभ वर्ष 2007–08 से ₹ 7.79 करोड़ था जो कि वर्ष 2011–12 मे बढ़कर ₹ 22.42 करोड़ हो गया किन्तु कंपनी का लाभ ₹ 1.67 करोड़ (2007–08) से घटकर ₹ 0.65 करोड़ (2010–11) रह गया जैसा कि ***कंडिका 2.2.8*** में दर्शाया गया है। साथ ही ईकाईयों का वास्तविक व्यय ₹ 24.69 करोड़ (2007–08) से बढ़कर ₹ 43.59 करोड़ (2011–12) हो गया।

आगे के विश्लेषण मे हमने देखा:

- कंपनी के पास पर्यटको की शिकायतों तथा फीडबैक जानने के लिये कार्यप्रणाली थी। सभी होटलों एवं रेस्टोरेंट के स्वागत काऊंटरों पर सुझाव तथा शिकायत पुस्तिका उपलब्ध थी। प्रत्येक कक्ष में फीडबैक फार्म भी उपलब्ध थे। ईकाईयों द्वारा की गयी सकारात्मक कार्यवाही पर मुख्यालय स्तर से कंपनी द्वारा नियंत्रण नियमित रूप से किया जा रहा था।
- हानि दर्शाने वाली ईकाईयों की संख्या वर्ष 2008–09 में घटकर 7 ईकाईयां हो गयी जो कि वर्ष 2007–08 में 15 ईकाईयां थी। जो कि पुनः बढकर वर्ष 2010–11 में 18 ईकाईयां हो गयी किंतु वर्ष 2011–12 में घटकर 8 ईकाईयों हो गयी। इन ईकाईयों के निम्न निष्पादन के कारण कंपनी को वर्ष 2007–08 से 2011–12 के

[9] वर्ष 2007–08 में चालन अनुपात निर्धारित नहीं था ।

दौरान ₹ 2.29 करोड की हानि हुई। कंपनी ने बताया (मई 2012 तक) कि निजी ईकाईयों से प्रतियोगिता तथा आसपास के पर्यटकों पर निर्भरता के कारण ईकाईयां हानि दर्शा रही थी। हमने आगे यह पाया कि निम्न आक्युपेंसी तथा उच्च खाद्य लागत के कारण भी उक्त ईकाईयां हानि दर्शा रही थी जैसा कि ***कंडिका 2.2.10 तथा 2.2.12*** मे चर्चा की गयी है।

- कंपनी ने ईकाईयों के स्तरीय निष्पादन की गणना करते समय लाभदायकता को प्रभावित करने वाले विभिन्न तत्व जैसे संपत्तियों पर मूल्यह्रास, मुख्यालय एव क्षेत्रीय कार्यालय के व्यय का ईकाईयों पर भारित करना तथा कार्यशील पूंजी पर ब्याज आदि को मान्य नही किया। उक्त के आभाव में वास्तविक रूप में लाभ/हानि दर्शाने वाली ईकाईयों की संख्या हम नही बता सके।

- ईकाईयों निर्धारित वर्ष 2008–09 से 2011–12 के दौरान निर्धारित चालन अनुपात प्राप्त नहीं कर सकी तथा वास्तविक चालन अनुपात 66 और 73 प्रतिशत के मध्य रही, जो कि लक्षित अनुपात 56 से 65.75 प्रतिशत से अधिक था। चालन अनुपात अधिक होने का कारण निम्न आक्युपेंसी के कारण लक्षित आय प्राप्त न होना था जैसा कि कंडिक 2.2.10 में चर्चा की गयी है। साथ ही अधिक खाद्य सामग्री लागत, ध्वनि एवं प्रकाश शोज का खराब निष्पादन तथा गजल कार्यक्रम में परिहार्य व्यय के कारण, ईकाईयां व्ययों के लक्ष्य प्राप्त नही कर सकी जैसा की ***कंडिका 2.2.10 एवं 2.2.14 तथा 2.2.15*** में चर्चा की गयी है। सरकार ने बताया (दिसंबर 2012) कि मार्केट इंडेक्स मे बदलाव के कारण वास्वविक व्यय अधिक हुआ। उत्तर मान्य नही है क्योंकि कंपनी ने अधिक व्यय के कारणों का विश्लेषण नही किया, जिसके कारण कंपनी सुधारात्मक कदम उठाने मे असमर्थ रही।

अक्युपेन्सी का स्तर

2.2.10 वर्ष 2007–08 से 2011–12 के दौरान संचालित इकाईयों की संख्या व उनकी अक्युपेन्सी के प्रतिशत से संबंधित निष्पादन विवरण निम्न है:

वर्ष	इकाईयों की संख्या (होटल तथा मोटल)	कमरों की संख्या	बिस्तरों की संख्या	अक्युपेन्सी					
				इकाईयों की संख्या					
				20 प्रतिशत से कम	20 और 39 प्रतिशत के बीच	40 और 59 प्रतिशत के बीच	60 तथा 79 प्रतिशत के बीच	80 प्रतिशत तथा उससे अधिक	कम्पनी की औसत अक्युपेन्सी
2007-08	39	703	1579	1	13	19	6	0	44
2008-09	43	767	1693	0	12	24	6	1	48
2009-10	51	767	1661	2	13	23	12	1	48
2010-11	52	830	1787	2	15	22	13	0	47
2011-12	51[10]	847	1815	3	12	21	15	0	46

(स्त्रोतः कम्पनी से प्राप्त डाटा)

[10] वर्ष 2011–12 के दौरान सम्पूर्ण प्रदेश में कम्पनी की 52 आवासीय इकाईयाँ थी परन्तु दो पंचमढ़ी में स्थित दो आवासीय इकाईयों होटल अमलतास तथा होटल हिलटाप बंगला को अक्युपेन्सी की गणना हेतु एक ही इकाई माने जाने के कारण, कुल आवासीय इकाईयों को 51 गिना गया है ।

उपरोक्त तालिका से यह देखा जा सकता है कि:–

- इस अवधि के दौरान[11],अखित भारतीय औसत अक्युपेन्सी, जो कि 59.90 और 69.40 प्रतिशत के मध्य थी, की तुलना में कम्पनी के होटलों की औसत अक्युपेन्सी 44 और 48 प्रतिशत के मध्य रही ।

कम्पनी, वर्ष 2007–08 से 2011–12 के दौरान, अखिल भारतीय औसत अक्युपेन्सी प्राप्त नहीं कर सकी

- प्रबंध संचालक ने, जनवरी 2008 में, सभी इकाईयों को 80 प्रतिशत अक्युपेन्सी प्राप्त करने के निर्देश दिये थे । निष्पादन लेखापरीक्षा की आवृत अवधि में हमने पाया कि कम्पनी की कोई भी इकाई (सिवाय वर्ष 2008–09 में होली डे होम्स–अमरकन्टक तथा वर्ष 2009–10 में टूरिस्ट विलेज–शिवपुरी) 80 प्रतिशत की लक्षित अक्युपेन्सी को प्राप्त नहीं कर सकी ।

- कम्पनी ने, वर्ष 2011–12 सें, इकाईयों की पिछले वर्ष की अक्युपेन्सी के आधार पर, अक्युपेन्सी के इकाई बार लक्ष्य तय किये परन्तु वर्ष 2011–12 के दौरान कुल 51 प्रतिशत इकाईयों में से केवल चार इकाईयाँ[12] ही लक्ष्यों को प्राप्त कर सकी ।

हमने पाया कि कम्पनी ने, लक्ष्य निर्धारित करते समय, कई तथ्यों जैसे कि समविच्छेद अक्युपेन्सी, संचालन की स्थिर तथा परिवर्तनशील लागत, बाजार की वर्तमान परिस्थितियाँ जैसे निजी होटल संचालकों के साथ प्रतिस्पर्धा, उसी स्थान पर होटलों की उपलब्धता आदि, को ध्यान में नहीं रखा ।

यद्यपि, पिछले वर्षों में कम्पनी के होटलों की अक्युपेन्सी के प्रतिशत में सीमान्त वृद्धि हुई परन्तु निष्पादन लेखापरीक्षा की आवृत अवधि के दौरान, कम्पनी कभी भी अखिल भारतीय औसत अक्युपेन्सी को प्राप्त नहीं कर सकी । कम्पनी द्वारा (मई 2012) बताये गये निम्न अक्युपेन्सी के कारणों में – निजी संचालकों के साथ प्रतिस्पर्धा, खराब अधोसंरचना जैसे खराब पहुंच मार्ग, सरकारी व्यवसाय पर निर्भरता तथा विपणन कार्यालयों से प्राप्त कम बुकिंग आदि थे । हमने पाया कि कम्पनी द्वारा सस्ते होटलों की व्यवस्था न करना, जिसके बारे में पर्यटन नीति में भी कहा गया है, तथा होटलों के कमरों के उन्नयन तथा नवीनीकरण में देरी इत्यादि भी कम अक्युपेन्सी के कारण थे ।

सरकार ने जवाब दिया (दिसम्बर 2012) कि एफ.एच.आर.ए.आई. के सदस्य होटल महानगरों तथा बड़े टूरिस्ट स्थानों पर स्थित हैं जबकि कम्पनी के होटल दूरदराज के स्थानों पर स्थित थे जहां पर्यटन का सीजन कुछ समय के लिये ही होता है । सरकार द्वारा दिया गया उत्तर अमान्य है क्योंकि एफ.एच.आर.ए.आई. के सदस्य होटल छोटे स्थानों पर भी स्थित है तथा कम्पनी के भी 15 होटल एफ.एच.आर.ए.आई. के सदस्य है ।

टैरिफ निर्धारण

2.2.11 कम्पनी ने होटलों के टैरिफ निर्धारण/पुनरीक्षण के लिये कोई नीति नहीं बनाई । वर्ष 2007–08 से 2011–12 के दौरान, कम्पनी के होटलों का टैरिफ, या तो इकाईयों के प्रबंधकों/क्षेत्रीय प्रबंधकों द्वारा दिये गये प्रस्तावों के आधार पर या कम्पनी द्वारा स्वयं अपने विवेक से, 10 से 255 प्रतिशत तक पुनः निर्धारित किया गया । कम्पनी की लॉजिंग से आय, होटल की अक्युपेन्सी में बिना किसी महत्वपूर्ण वृद्धि के, मुख्यतः टैरिफ में वृद्धि के कारण से ₹ 14.09 करोड़ (2007–08) से बढ़कर ₹ 24.49 करोड़ (2011–12) हो गई । हमने टैरिफ के निर्धारण में निम्नलिखित कमियाँ पाईः–

11 फेडरेशन ऑफ होटल एण्ड रेस्टोरेन्ट ऑफ इंडिया (एफ.एच.आर.ए.आई.) की वर्ष 2011–12 के लिये अखिल भारतीय औसत अक्युपेन्सी उपलब्ध नहीं थी अतः पिछले वर्ष 2010–11 के लिये अक्युपेन्सी को ही वर्ष 2011–12 के लिये तुलना हेतु लिया गया हैं ।

12 हलाली रिट्रीट–हलाली, टूरिस्ट मोटल–कटनी, सुरबहार – मेहर तथा रॉक–एन–मेनोर–पचमढ़ी ।

टैरिफ नीति के अभाव में कम्पनी बैज्ञानिक तरीके से टैरिफ निर्धारण में असफल रही ।

- कम्पनी के पास, बाजार की वर्तमान परिस्थितयों तथा निजी होटल संचालकों से प्रतिस्पर्धा को ध्यान में रखते हुये, टैरिफ के निर्धारण व पुनरीक्षण से सम्बन्धित कोई नीति नहीं थी । साथ ही कम्पनी के होटलों के टैरिफ का पुनरीक्षण करते समय कोई भी व्यवस्थित अध्यन जैसे समविच्छेद विश्लेषण, सीमान्त लाभ विश्लेषण आदि नहीं किया ।

- कम्पनी ने, टैरिफ में एक आदर्श वृद्धि की सीमा निर्धारण के लिये, कभी भी टैरिफ में वृद्धि से पड़ने वाले प्रभाव का अध्ययन नहीं किया जैसा कि कम्पनी के नौ[13] होटलों की अक्युपेन्सी, उनके टैरिफ में लगातार वृद्धि के बावजूद भी, 60 प्रतिशत से ज्यादा रही ।

- कम्पनी ने वर्ष 2007–08 से 2011–12 के दौरान, अपने नौ[14] होटलों का टैरिफ, उनकी निम्न अक्युपेन्सी (15 से 44 प्रतिशत के बीच) को ध्यान में रखे बगैर ही, 27 से 102 प्रतिशत तक बढ़ाया जिसके परिणामस्वरूप पांच होटलों की अक्युपेन्सी और कम हो गयी तथा शेष चार होटलों की अक्युपेन्सी में मामूली सी वृद्धि हुई । आगे, कम्पनी ने दो[15] होटलों के टैरिफ में मामूली सी वृद्धि की जबकि उनकी अक्युपेन्सी में लगातार वृद्धि दर्ज की गई ।

- कम्पनी होटल टूरिस्ट मोटल–मण्डला के उचित टैरिफ निर्धारण में असफल रही । कम्पनी ने, इस होटल की अक्युपेन्सी में बिना किसी महत्वपूर्ण बदलाव के जो कि 27 और 37 प्रतिशत के बीच थी, इसके टैरिफ में दो बार (जनवरी 2009 तथा अक्टूबर 2010) प्रत्येक बार 20 प्रतिशत की दर से कमी की तथा दो बार (सितम्बर 2009 तथा अप्रैल 2011) में, 25 औ 22 प्रतिशत की, वृद्धि की ।

सरकार ने एक्जिट कॉन्फ्रेस (नवम्बर 2012) में इन तथ्यो को स्वीकार किया और कहा कि कम्पनी भविष्य में टैरिफ निर्धारित करते समय मांग तथा पूर्ति एवं बाजार की वर्तमान परिस्थितियों को ध्यान में रखेगी ।

केटरिंग

2.2.12 31 मार्च 2012 को, कम्पनी अपनी 62 इकाईयों में केटरिंग की सुविधा संचालित कर रही थी । हमने पाया कि कम्पनी के होटलों/रेस्टोरेन्टों में कार्यरत कर्मचारियों, वेटरों तथा रसोईयों आदि की सावधिक स्वास्थ्य परीक्षण की व्यवस्था थी । कम्पनी की इकाईयों में परोसे जाने वाली खाध सामग्री की कीमतो में, इकाई प्रबन्धकों की अनुशंसा पर, मुख्यालय/क्षेत्रीय कार्यालयों द्वारा समय–समय पर परिवर्तन किये गये । इन खाद्य सामग्रियों की सम्पूर्ण लागत का नियन्त्रण, उनके तालिका दर के संदर्भ में तथा बिना विस्तृत लागत विश्लेषण किये हुये, प्रत्येक होटल में उपयोग की जाने वाली कच्ची सामग्री की सीमा निर्धारित कर, किया जाता था ।

कम्पनी ने (जून 2007) सभी इकाईयों के लिये खाघ मूल्य की सीमा उनकी केटरिंग आय के 33 प्रतिशत पर तय की जो मार्च 2008 में 25 प्रतिशत कर दी गई । यदि किसी इकाई की खाघ मूल्य इस सीमा से अधिक होती थी तो सम्बन्धित इकाई प्रबन्धक को जिम्मेदार ठहराया जाता था । आगे, कम्पनी ने (अप्रैल 2008) चालन अनुपात (कुल खर्चों का कुल आय के साथ प्रतिशत) की अवधारणा प्रारंभ की और उदारता का दृष्टिकोण रखते हुये, उन

13 बघीरा लाग हट्स–किसली, होटल पलाश–भोपाल, होटल तानसेन–ग्वालियर, टूरिस्ट विलेज – शिवपुरी, होटल शिप्रा–उज्जैन, अमलताश–पचमढ़ी, होटल कलचुरी–जबलपुर, होटल हाइलैण्ड–पचमढ़ी तथा होटल पचवटी – पचमढ़ी ।

14 गेटवे रिट्रीट – साँची, होटल पायल तथा झंकार – खजुराहो, मुक्की, व्हाइट टाइगर फॉरेस्ट लॉज – बांधवगढ़, किपलिंग कोर्ट – पेंच, तवा रिसोर्ट–तवा, टूरिस्ट बंगला – चंदेरी तथा जंगल कैम्प – देलावाड़ी

15 हाइवे ट्रीट – भीमबेटका तथा रॉक–एन–मेनोर पचमढ़ी ।

इकाईयों को जो खाद्य मूल्य की सीमा को 25 प्रतिशत पर बनाये नहीं रख पा रही थी परन्तु संचालन अनुपात बनाये रखने में सक्षम थी, वसूली की इस शर्त से मुक्त कर दिया ।

चालन अनुपात की अवधारणा की प्रारंभ करने के कारण कम्पनी फूड कास्ट पर नियंत्रण नहीं रख सकी तथा अतिरिक्त फूड कास्ट की राशि ₹ 2.81 करोड़ की वसूली करने में असफल रही।

हमने पाया कि वर्ष 2007–08 से 2011–12 के दौरान, कम्पनी की कुल 62 इकाईयों में से 32 इकाईयों की खाद्य मूल्य, 25 प्रतिशत की तय सीमा पार कर, 26 से 49 प्रतिशत के बीच रही तथा ये अपना संचालन अनुपात बनाये रखने में भी असफल रही जिसके परिणामस्वरूप फूड कास्ट पर ₹ 2.81 करोड़[16] का अतिरिक्त खर्चा हुआ । आगे, शान–ए–भोपाल रेस्टोरेन्ट, जो प्रारंभ से (मार्च 2007) ही लगातार घाटे में चल रहा था तथा जिसको 25 प्रतिशत की खाद्य मूल्य की सीमा बनाये रखने के लिये विशेष निर्देश दिये गये थे, भी खाद्य मूल्य की सीमा बनाये रखने में असफल रहा तथा वर्ष 2009–10 से 2011–12 के दौरान इसकी वास्तविक फूड कास्ट 28 से 45 प्रतिशत के बीच रही ।

सरकार ने (दिसम्बर 2012) व्यक्त किया कि तालिका दर होटल के स्तर, ग्राहक के स्तर, कच्ची सामग्री की लागत इत्यादि को ध्यान में रखकर तय किये जाते थे । आगे, यह भी बताया गया कि संचालन अनुपात को बनाये रखना कई तथ्यों जैसे टूरिस्ट सीजन, मार्केट इण्डेक्स तथा व्यवसाय की मात्रा आदि पर निर्भर करता है । सरकार द्वारा दिया गया उत्तर अमान्य है क्योंकि संचालन अनुपात को बनाये रखने के लिये फूड कास्ट एक बड़ा कारक था तथा कंपनी उन इकाइयों के विरूद्ध जो फूड कास्ट तथा संचालन अनुपात दोनो को ही बनाये रखने में असमर्थ रही, कोई कार्यवाही करने में असफल रही ।

ट्रान्सपोर्टेशन

2.2.13 कामर्शियल वाहनों, स्टाफ वाहनों तथा भोपाल–इन्दौर मार्ग पर चलने वाली कामर्शियल बसों के संचालन तथा रखरखाव एवं पर्यटकों को यातायात सुविधा उपलब्ध कराने हेतु कम्पनी का एक यातायात अनुभाग भोपाल में स्थित है । 31 मार्च 2012 को, कम्पनी के पास कुल 121 वाहनों[17] का एक बेड़ा था । इन वाहनों में दो वाहन एक वर्ष से कम अवधि पुराने, 41 वाहन एक वर्ष से अधिक तथा तीन वर्ष से कम पुराने, 34 वाहन तीन वर्ष से अधिक तथा पांच वर्ष से कम पुराने तथा 44 वाहन पांच वर्ष से अधिक पुराने थे । वर्ष 2007–08 से 2011–12 के मध्य यातायात अनुभाग के कामर्शियल वाहनों (बसों सहित) की आय तथा व्यय निम्नानुसार थे:–

(₹ करोड़ में)

वर्ष	आय	व्यय	खर्चों का आय के साथ प्रतिशत
2007-08	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
2008-09	4.66	4.04	87
2009-10	4.75	3.66	77
2010-11	5.35	3.63	68
2011-12	6.05	4.00	66

(स्त्रोतः कम्पनी से प्राप्त डाटा)

कामर्शियल वाहनों की निष्पादन समीक्षा से यह प्रदर्शित होता है कि भोपाल–इन्दौर मार्ग पर चलने वाली कामर्शियल बसों का निष्पादन संतोषजनक था । कम्पनी ने वर्ष 2008–09 से 2011–12 के दौरान ₹ 11.28 करोड़ के कुल संचालन व्ययों के विरूद्ध ₹ 16.45 करोड़ की आय अर्जित की जबकि इसी अवधि के दौरान समस्त कमर्शियल वाहनों की आय से उनके

16 अतिरिक्त खर्चा = सम्बन्धित इकाई की केटरिंग आय x (इकाई की वास्तविक फूड कास्ट का प्रतिशत– 25 प्रतिशत) / 100 ।

17 नौ बसें, तीन केरवान वाहन, 45 कामर्शियल वाहन तथा 64 स्टॉफ वाहन ।

खर्चों का प्रतिशत 66 तथा 87 प्रतिशत के मध्य रहा । इन वाहनों के खर्चों का निर्धारण, मुख्यालय तथा क्षेत्रीय कार्यालयों के विभाजित खर्चों तथा इन वाहनों पर मूल्यह्रास की गणना को ध्यान में न रखते हुये किया गया । आगे, कम्पनी ने इन वाहनों के अधिकतम उपयोग करने हेतु ,वाहन वार मापदण्ड तय नहीं किये जिसकी वजह से इनकी क्षमता दोहन का मूल्यांकन नहीं किया जा सका ।

सरकार ने (दिसम्बर 2012) जवाब दिया कि यंत्रों की बढ़ी हुई लागत तथा पूर्णरूप से ह्रसित वाहन ही अधिक खर्चों का मुख्य कारण थे । सरकार द्वारा दिया गया उत्तर अमान्य है क्योंकि वर्ष 2009–10 से 2011–12 के दौरान, कम्पनी द्वारा दिखाया गया लाभ, मुख्यालय तथा क्षेत्रीय कार्यालयों के विभाज्य खर्चों तथा इन वाहनों पर लगने वाले मूल्यह्रास को ध्यान में रखे बिना ही निकाला गया था ।

ध्वनि एवं प्रकाश शो का खराब निष्पादन

2.2.14 कम्पनी, खजुराहो, ओरछा तथा ग्वालियर में तीन ध्वनि एवं प्रकाश शो (एस.ई.एल.) संचालित कर रही थी । इन एस.ई.एल. शो की आय ₹ 62.70 लाख (2007–08) से सीमान्त रूप से बढ़कर ₹ 70.21 लाख (2011–12) हो गई यद्यपि इनका लाभ ₹ 31.96 लाख (2007–08) से घटकर ₹ 25.92 लाख (2011–12) हो गया । खजुराहो में एस.ई.एल. शो के दर्शकों की संख्या 0.31 लाख (2007–08) से घटकर 0.22 लाख (2011–12) तथा एस.ई.एल. ग्वालियर की संख्या 0.20 लाख (2007–08) से घटकर 0.18 लाख (2011–12) हो गई । कम्पनी ने (मई 2012) एस.ई.एल. शो के खराब निष्पादन का कारण निजी संचालकों द्वारा आयोजित किये जाने वाले अन्य सांस्कृतिक शो से प्रतिस्पर्धा बताया । हमने पाया कि एस.ई.एल. शो के व्यवसाय में कमी आने का मुख्य कारण तीनों एस.ई.एल. शो का एक ही पर्यटन सर्किट ग्वालियर–ओरछा–खजुराहो में स्थित होना था ।

सरकार ने (दिसम्बर 2012) जवाब दिया कि ये एस.ई.एल. शो पर्यटकों को अतिरिक्त आकर्षण प्रदान करने के लिये संचालित किये जा रहे थे और इन्हें न सिर्फ वित्तीय रूप से बल्कि सामजिक और आर्थिक रूप से भी देखा जाना चाहिये । सरकार ने, आगे कहा कि बेहतर नियंत्रण के कारण अब ये शो लाभ कमाने लगे है । सरकार का उत्तर मान्य नहीं है क्योंकि ग्वालियर तथा खजुराहो में एस.ई.एल. शो देखने वालों की संख्या वर्ष दर वर्ष घटी है तथा इनके राजस्व में वृद्धि मुख्यतः इनके टिकटों के मूल्यों में वृद्धि के परिणामस्वरूप है।

होटल पलाश में चलने वाले गजल कार्यक्रमों पर व्यर्थ खर्च

2.2.15 कम्पनी ने (मई 2007) कलाकारों की एक मण्डली, मेसर्स डी.डी. म्युजिक अकादमी, भोपाल को, बिना किसी अनुबंध के, होटल पलाश में शाम के वक्त एक गजल कार्यक्रम करने के लिये ₹ 1400 प्रतिदिन पारिश्रमिक के हिसाब से एक वर्ष के लिये मई 2008 तक के लिये नियुक्त किया । यह नियुक्ति मई 2011 तक जारी रही तथा कम्पनी ने इसका पारिश्रमिक बढ़ाकर ₹ 2,000 प्रतिदिन कर दिया । कम्पनी ने इसे वर्ष 2007–08 से 2011–12 के दौरान कुल ₹ 27.46 लाख पारिश्रमिक चुकाया ।

कम्पनी ने प्रतिस्पर्धात्मक दरें प्राप्त करने के लिये कोई कोटेशन आमंत्रित नहीं किये तथा आगे भी कोई कोटेशन आमंत्रित किये बिना ही उसी पार्टी को पांच वर्ष की अवधि तक जारी रखा । प्रबंध संचालक ने (मार्च 2008) इस पार्टी से मोलभाव कर इसके पारिश्रमिक को घटाने का निर्देश दिया क्योंकि कम्पनी के ही एक अन्य रेस्टोरेन्ट शान–ए–भोपाल में एक अन्य पार्टी कम पारिश्रमिक पर कार्य कर रही थी । हॉलांकि, होटल प्रभारी/क्षेत्रीय प्रबंधक ने इस संबंध में कोई कार्यवाही नहीं की । प्रबंध संचालक के आदेश के बावजूद भी,

कम्पनी ने (मई 2011), बिना किसी औचित्य के तथा शाम के वक्त में इस कार्यक्रम से रेस्टोरेन्ट की आय पर पड़ने वाले प्रभाव का आंकलन किये बगैर ही, म्युजिक अकादमी के पारिश्रमिक में 43 प्रतिशत की वृद्धि कर दी । चूँकि होटल पलाश का व्यवसाय मुख्य रूप से सरकारी व्यवसाय पर ही निर्भर था तथा इस कार्यक्रम के माध्यम से रेस्टोरेन्ट की आय पर पड़ने वाले प्रभाव का आंकलन किये बगैर ही, म्यूजिक अकादमी द्वारा गजल कार्यक्रम को जारी रखना सही नहीं था ।

सरकार ने (दिसम्बर 2012) जवाब दिया कि गजल कार्यक्रम प्रसिद्ध गजल गायकों द्वारा किया जा रहा था जिसके लिये पारिश्रमिक उस समय की जरूरत के हिसाब से तय किया गया था तथा लाइव म्युजिक कार्यक्रम ने पर्यटकों में आकर्षण पैदा किया जिसके परिणामस्वरूप व्यवसाय में वृद्धि हुई । आगे यह भी कहा गया कि एक कलाकार का पारिश्रमिक मापी तथा तय नहीं की जा सकती । सरकार का उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि कम्पनी के प्रबंध संचालक ने (मार्च 2008) स्वयं, पार्टी से मोलभाव करके, इसके पारिश्रमिक को उसी प्रकार कम करने को कहा था जिस प्रकार एक अन्य पार्टी द्वारा ऐसी ही सेवा कम्पनी के एक अन्य रेस्टोरेन्ट शान–ए–भोपाल में कम दरों पर प्रदाय की जा रही थी ।

सम्पत्तियों की लीजिंग

किसी निर्धारित लीजिंग नीति के अभाव में, कंपनी लीजिंग के लिये चिन्हित की गयी 13 इकाइयों मे से केवल चार इकाइयाँ ही लीज पर दे सकी।

2.2.16 मध्य प्रदेश सरकार की पर्यटन नीति (1995) के अनुसार, कम्पनी का मुख्य कार्य, दूरस्थ क्षेत्रों में अधोसंरचनात्मक सुविधाओं का विकास करना तथा विकास के पश्चात उनका निजीकरण करना था । आगे, पर्यटन नीति 2010 में भी कम्पनी की ऐसी इकाईयां जो संतोषप्रद लाभ का केन्द्र नहीं थी, को निजी क्षेत्रों को प्रबन्धकीय आधार पर या लम्बी अवधि की लीज पर देकर, इनके विनिवेश करने पर जोर दिया गया था । कम्पनी के पास कोई भी लीजिंग नीति न होने के कारण लीजिंग हेतु इकाईयों का चुनाव प्रकरण दर प्रकरण किया गया ।

कम्पनी ने वर्ष 2007–08 से 2011–12 के दौरान, लीजिंग/निजीकरण हेतु कुल 13[18] इकाईयों की पहचान की और दिसम्बर 2012 तक कुल चार इकाईयों को ही लीज पर दे सकी । कम्पनी को चार इकाईयों[19] के लिये कोई निविदा प्राप्त नहीं हुई जबकि अन्य पांच इकाईयों[20] के लिये अब तक (दिसम्बर 2012) कम्पनी कोई निविदा आमंत्रित नहीं कर सकी।

हमने सम्पत्तियों के लिजिंग में निम्न कमियां पाईः

निविदायें आमंत्रित न करना

जैसा कि उपर व्यक्त किया गया है, कम्पनी ने उन पांच इकाईयों के लिये, जिनकी पहचान लीजिंग के लिये की गई थी, दिसम्बर 2012 तक कोई भी निविदा आमंत्रित नहीं की । इन पांच इकाईयों में से दो इकाईयाँ हलाली रिट्रीट–हलाली तथा टूरिस्ट मोटल–नौगांव लगातार हानि में चल रही थी तथा जिनकी संचित हानि क्रमशः ₹ 7.04 लाख तथा

18 हाइवे ट्रीट – नौगांव, टूरिस्ट मोटल – कटनी, होटल अवन्तिका – उज्जैन, टूरिस्ट मोटल खलघाट, हाइवे ट्रीट रूखड़, वे साइड एमिनिटीस – वाणसागर, हलाली रिट्रीट – हलाली, वे साइड एमिनिटीस – देवरी, वे साइड एमिनिटीस – तेन्दुखेड़ा, वे साइड एमिनिटीस – धार, वे साइड एमिनिटीस – सागर, वे साइड एमिनिटीस – बावई तथा होटल राहिल – खजुराहो।

19 टूरिस्ट मोटल खलघाट, वे साइड एमिनिटीस – बावई, वे साइड एमिनिटीस – वाणसागर तथा होटल राहिल – खजुराहो ।

20 हलाली रिट्रीट–हलाली, हाइवे ट्रीट–नौगांव, टूरिस्ट मोटल–कटनी, हाइवे ट्रीट–रूखड़ तथा होटल अवन्तिका–उज्जैन।

₹ 10.41 लाख थी जबकि शेष तीन इकाईयाँ हाल ही में लाभ अर्जित करने वाली इकाईयाँ बनी थी ।

बिड प्राप्त न होने की वजह से सम्पत्तियों का बेकार पड़े रहना

कम्पनी ने तीन[21] नवनिर्मित इकाईयाँ, जो 2010 में बनकर तैयार हुई थी, की लिजिंग के लिये निविदायें (अगस्त 2010 से अप्रैल 2011 के बीच) आमंत्रित की परन्तु कोई भी बिड प्राप्त नहीं हुई । कम्पनी द्वारा इन इकाईयों के संचालन न कर पाने के कारण से, इन इकाईयों पर निर्मित की गई ₹ 1.19 करोड़ की सम्पत्तियां (जमीन की लागत को छोड़कर) बेकार पड़ी हुई थी तथा कम्पनी इन सम्पत्तियों के निर्माण का मूलभूत उद्देश्य प्राप्त करने से वंचित रही ।

हानि में चलने वाली इकाईयों की पहचान न करना

कम्पनी ने (अगस्त 2010) कोपू को आश्वस्त किया था कि हानि में चलने वाली इकाईयों की लीजिंग हेतु त्वरित कार्यवाही की जायेगी । हमने पाया (मार्च 2012) कि कम्पनी की 11 इकाईयाँ वर्ष 2007–08 से 2011–12 के दौरान लगातार हानि में चल रही थी जिसमें से कम्पनी केवल चार इकाईयों की लीजिंग हेतु पहचान कर सकी तथा शेष सात इकाईयों यथा शान–ए–भोपाल रेस्टोरेन्ट भोपाल, टूरिस्ट मोटल–पिपरिया, टूरिस्ट मोटल–दतिया, विण्डस एण्ड वेव्स–टिघरा, हाइवे ट्रीट–भीमवेटका, टूरिस्ट विलेज–खजुराहो तथा पिकनिक @ केरवा–केरवा की लीजिंग के लिये अभी तक पहचान नहीं की जा सकी ।

सरकार ने (दिसम्बर 2012) जवाब दिया कि हानि में चलने वाली कुछ इकाईयाँ, लाभ अर्जन करने लगी थी अतः उनके लिये निविदायें आमंत्रित नहीं की गई । सरकार ने आगे व्यक्त किया कि कम्पनी ने हानि में चलने वाली इकाईयों के लिए निविदायें आमंत्रित की थी परन्तु कई कारणों से ऐसा नहीं हो सका तथा कम्पनी ऐसी इकाईयों की पुनः निविदा करने की प्रक्रिया में है । सरकार द्वारा व्यक्त किया गया कथन कि, हानि में चलने वाली कई इकाईयाँ अब लाभ अर्जित करने लगी है, पर सरकार को पुर्नावलोकन करना होगा क्योंकि इन लाभ कमाने वाली इकाईयों की लाभदायकता निकालते समय कई तथ्यों जैसे इकाई की सम्पतियों पर मूल्यहास, मुख्यालय तथा क्षेत्रीय कार्यालयों की ओर से इन इकाईयों पर किये गये खर्चों को, सम्बन्धित इकाईयों के खर्चों में न डालना तथा कार्यशील पूंजी पर ब्याज इत्यादि जिसके बारे में कंडिका क्रमांक ***2.2.9*** में दिया गया है, को ध्यान में नहीं रखा गया हैं।

लीज रेन्ट (किराया) की वसूली न कर पाना

कम्पनी ने (जनवरी 2011) दो इकाईयों यथा मार्गस्थ सुविधा (डब्ल्यु.एस.ए.) बाबई तथा खलघाट को वार्षिक लायसेंस शुल्क क्रमशः ₹ 3.43 लाख तथा ₹ 24.55 लाख पर, लीज रेन्ट में प्रतिवर्ष पांच प्रतिशत की वृद्धि की शर्त पर, लीज पर दिया । कम्पनी, जुलाई 2011 से जून 2012 की अवधि के लिये, डी.के. मोटल्स एण्ड रिसोर्ट (लीजी) से वार्षिक लायसेंस शुल्क तथा दाण्डिक ब्याज की रकम ₹ 41.33 लाख की वसूली नहीं कर पाई तथा साथ ही उसके विरूद्ध कोई कार्रवाई भी नहीं कर सकी।

सरकार ने (दिसम्बर 2012) जवाब दिया कि लीज पर दी गई भूमि के क्षेत्रफल पर असहमति होने के कारण से लीजी ने लीज रेन्ट का भुगतान नहीं किया । तथ्य यह है कि कम्पनी ने न तो भूमि के क्षेत्रफल में भिन्नता के मामले को सुलझाने की कोशिश की और न ही लीज रेन्ट की वसूली के लिये कोई कार्यवाही की ।

[21] वे साइड एमिनिटीस–तेन्दूखेड़ा, धार तथा सागर।

लीज पर दी गई सम्पत्ति के अपसेट मूल्य में कमी

भूमि के अपसेट मूल्य में कमी किये जाने के कारण, कम्पनी को ₹ 4.56 करोड़ की हानि हुई।

2.2.17 मध्य प्रदेश सरकार के प्रोजेक्ट क्लियरेंश तथा इम्पलीमेंटेशन बोर्ड (पी.सी.आई.बी.) ने (दिसम्बर 2008) कम्पनी के एक असंचालित होटल यथा होटल राहिल–खजुराहो, को निजी अभिकरणों को दीर्घ अवधि की लीज पर देने के लिये, अपना अनुमोदन प्रदान किया। कलेक्टर द्वारा जारी की गई मार्गदर्शिका में दी गई उस क्षेत्र की वाणिज्यिक दरों (₹ 2200 प्रति वर्गमीटर) के आधार पर भूमि का अपसेट मूल्य[22] ₹ 5.36 करोड़ तथा सम्पूर्ण सम्पत्ति की कीमत ₹ 5.76 करोड़[23] तय की गई जिसे पी.सी.आई.बी. ने भी अनुमोदित कर दिया । बाद में, (जनवरी 2009), उक्त सम्पत्ति के अपसेट मूल्य को, आसपास के क्षेत्र में लागू कृषि भूमि की दर (₹ 15 लाख प्रति हैक्टेयर) के आधार पर, घटाकर ₹ 0.49 करोड़ कर दिया गया तथा सम्पूर्ण सम्पत्ति का कुल अपसेट मूल्य ₹ 1.58 करोड़[24] निर्धारित किया गया । कम्पनी ने इस सम्पत्ति को मेसर्स यश लॉजिस्टिक प्रायवेट लिमिटेड (एच–I) को पुनरीक्षित अपसेट मूल्य ₹ 1.58 करोड़ के विरूद्व, ₹ 2.61 करोड़ (₹ 0.80 करोड़ भूमि के लिये तथा ₹ 1.81 करोड़ भवन के लिये) में लीज पर दे दिया । हमने अवलोकन किया कि कम्पनी को मुख्य भूमि, जिस पर भवन निर्मित था, के लिय केवल ₹ 0.80 करोड़ ही प्राप्त हुये, जिसका अपसेट मूल्य पी.सी.आई.बी. ने, कृषि भूमि की दर के बजाय वाणिज्यिक दरों पर, ₹ 5.36 करोड़ तय किया था । अतः उक्त भूमि के अपसेट मूल्य के अधोमूल्यन के कारण कम्पनी को ₹ 4.56 करोड़ की हानि हुई ।

सरकार ने (दिसम्बर 2012) जवाब दिया कि पी.सी.आई.बी. (मध्य प्रदेश सरकार के प्रमुख सचिव की प्रधानता वाले एक सरकार निकाय) द्वारा कृषि भूमि की दरों के आधार पर, भूमि का अपसेट मूल्य तय किया गया था । सरकार द्वारा दिया गया उत्तर मान्य नहीं है क्योंकि अति महत्वपूर्ण जगह पर स्थित वाणिज्यिक भूमि का मूल्यांकन, कृषि भूमि के लिये तय की गई दरों पर नहीं किया जा सकता तथा इस प्रकार अपसेट मूल्य में कमी करना न्यायसंगत नहीं था।

पर्यटन विकास के लिये बनाई गई लैण्ड बैंक पॉलिसी के अंतर्गत भूमियों को लीज पर देने का खराब निष्पादन

2.2.18 मध्य प्रदेश सरकार ने (फरवरी 2008) राज्य में पर्यटन विकास के लिये सरकारी भूमियों के निस्तारण हेतु लैण्ड बैक पॉलिसी (पॉलिसी) शुरू की । पॉलिसी के अनुसार भूमियों के निस्तारण के लिये, एक प्रोसेस मैनेजर के रूप में, कम्पनी का कार्य पर्यटन विकास के लिए क्रियाकलापों की पहचान करना, सलाहकारों का चुनाव करना, विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डी.पी.आर.) तैयार करना तथा पारदर्शी तरीके से भूमियों की नीलामी करना था ।

निष्पादन लेखापरीक्षा की आवृत्त अवधि में, हमने पाया कि मध्य प्रदेश सरकार ने, इस पॉलिसी के अंतर्गत, कम्पनी को 36 स्थानों पर 513.14 हैक्टेयर भूमि का स्वामित्व सौंपा था परन्तु कम्पनी आठ स्थानों[25] पर कुल 58.10 हैक्टेयर भूमि ही लीज पर दे सकी । जहाँ दो मामलों[26] (8.415 हैक्टेयर) में सम्भाव्यता प्रतिवेदन (फिजीबिलिटी रिपोर्ट) तैयार की जा चुकी

22 वह न्यूनतम मूल्य जिस पर किसी सम्पत्ति या सम्पत्ति की मद को सार्वजनिक विक्रय हेतु नीलाम किया जाता है या बेचा जाता है ।

23 भूमि के लिये ₹ 5.36 करोड़ + भवन के लिये ₹ 0.40 करोड़ ।

24 भूमि के लिये ₹ 0.49 करोड़ + भवन के लिये ₹ 1.09 करोड़ ।

25 पन्ना, होशंगाबाद, सिवनी, उज्जैन, टीकमगढ़, भोपाल, उमरिया तथा रीवा ।

26 खण्डवा तथा दतिया ।

थी तथा पांच मामलों[27] (32.815 हैक्टेयर) में फिजीबिलिटी रिपोर्ट बनाई जा रही थी वही कम्पनी ने शेष बची हुई 413.81 हैक्टेयर भूमि के संबंध में कोई कार्यवाही शुरू नहीं की थी।

सरकार ने (दिसम्बर 2012) तथ्यों को स्वीकारते हुये कहा कि कम्पनी इन भूमियों के शीघ्रता से निस्तारण हेतु अधिकाधिक प्रयास कर रही है ।

विपणन (मार्केटिंग)

2.2.19 कम्पनी, राज्य में पर्यटन के प्रचार और प्रसार के लिये, मध्य प्रदेश सरकार तथा वित्त आयोग से अनुदान/सहायता प्राप्त करती है । कम्पनी टेलीविजन (टी.व्ही.) चैनलों/रेडियो/समाचार पत्रों आदि के माध्यम से विज्ञापन, दैनिक पत्रिकाये/मैगजीन इत्यादि में प्रकाशन तथा प्रचार सामग्रियों के मुद्रण आदि के माध्यम से प्रचार प्रसार करती है । कम्पनी को वर्ष 2007–08 से 2011–12 के दौरान राज्य में पर्यटन के प्रचार तथा प्रसार के लिये कुल ₹ 76.95 करोड़ (मध्य प्रदेश सरकार से ₹ 61 करोड़ तथा बारहवें वित्त आयोग की अनुशंसा पर केन्द्र सरकार से ₹ 15.95 करोड़) प्राप्त हुये । कम्पनी ने इसी अवधि में प्रचार तथा प्रसार पर ₹ 78.07 करोड़ खर्च किये । वर्ष 2007–08 से 2011–12 के दौरान प्राप्त अनुदान तथा उसके उपयोग से सम्बन्धित विवरण नीचे दिया गया है:–

(₹ करोड़ में)

वर्ष	मध्य प्रदेश सरकार से प्राप्त अनुदान	बारहवें वित्त आयोग से प्राप्त अनुदान	कुल	उपयोगिता प्रमाण पत्र के अनुसार खर्च
2007-08	10.00	4.50	14.50	14.52
2008-09	10.00	4.75	14.75	14.77
2009-10	8.00	6.70	14.70	15.75
2010-11	16.50	-	16.50	16.53
2011-12	16.50	-	16.50	16.50
कुल	**61.00**	**15.95**	**76.95**	**78.07**

(स्त्रोतः कम्पनी से प्राप्त डाटा)

हमने पाया कि :–

- पर्यटन के प्रभावी प्रचार तथा प्रसार के लिये कम्पनी के पास कोई प्रभावी विज्ञापन नीति नहीं थी । कम्पनी के पास, टेलीविजन चैनल के टेलीविजन रेटिंग पाइंट (टी. आर.पी.) तथा समाचार पत्रों एवं मैगजीनों के प्रचलन आदि को ध्यान में रखते हुये कोई मीडिया प्लान भी नहीं था ।
- कम्पनी ने, मैगजीनों/समाचारपत्रों की लोकप्रियता का आंकलन किये बिना ही ₹ 4 करोड़, इन मैगजीनों/समाचार पत्रों में तदर्थ आधार पर, विज्ञापन में खर्च किये ।
- कम्पनी के पास अपनी होटलों के विज्ञापन तथा प्रचार के लिये अपना कोई बजट नहीं था । यह पूर्णतः सरकार से मिलने वाले अनुदान पर निर्भर थी ।
- कम्पनी ने (जून 2006) एक विज्ञापन एजेन्सी को तीन वर्ष के लिये टेलीविजन, रेडियों तथा प्रिन्ट मीडिया के माध्यम से अखिल भारतीय स्तर पर विज्ञापन सामग्री के सृजन, प्रबन्धन तथा उनके प्रसारण के लिये नियुक्त किया तथा इस एजेन्सी का कार्यकाल वार्षिक आधार पर मार्च 2012 तक, बिना नई निविदा बुलाये, बढ़ा दिया

[27] जबलपुर, ग्वालियर, धार, मंदसौर तथा रायसेन ।

गया । कम्पनी में, एजेन्सी का चुनाव, केवल उनके द्वारा प्रस्तुत की गई अवधारणा, मीडिया प्लान तथा चार्ज किये जाने वाले कमीशन के आधार पर, विभिन्न टी.व्ही. चैनलों की दरें तथा एजेन्सियों द्वारा इन दरों पर दी जाने वाली छूटों को ध्यान में न रखते हुये किया । आगे, उच्च गुणवत्ता वाले विज्ञापन का फायदा लेने तथा प्रतिस्पर्धात्मक दरों पर अधिकतम छूट प्राप्त करने के लिये दो अलग–अलग एजेन्सियों की नियुक्ति करने के बजाय, एक ही एजेन्सी को दोनो कार्यो यथा विज्ञापन के निर्माण तथा उसके प्रसारण के लिये नियुक्त किया गया ।

आगे हमने पाया कि कम्पनी ने वर्ष 2007–08 से 2011–12 के दौरान इस विज्ञापन एजेन्सी के माध्यम से प्रचार अभियान पर ₹ 30.16 करोड़ (15 प्रतिशत की दर से एजेन्सी के कमीशन सहित) खर्च किये । वर्ष 2009–10 तथा 2010–11 के संव्यवहारों की नमूना जांच में पाया कि एजेन्सी द्वारा चार्ज की गई दरे, डायरेक्टोरेट ऑफ आडियों विजुअल पब्लिसिटी (डी.ए.व्ही.पी.) द्वारा तय की गई दरो से अधिक थी । एजेन्सी ने प्राइम टाइम तथा नॉन प्राइम टाइम दोनों के लिये एक ही रेट चार्ज किया जो निम्नानुसार है:–

कम्पनी ने डी.ए.व्ही.पी. द्वारा निर्धारित दरों का पालन नहीं किया तथा बिना नई निविदा बुलाये विज्ञापन एजेन्सी के कार्यकाल में वृद्धि की ।

क्र.	चैनल का नाम	कम्पनी द्वारा चुकाई गई दरें (प्रति 10 सेकेन्ड़) / ₹	डी.ए.व्ही.पी. द्वारा तय की गई दरें (प्रति 10 सेकेन्ड़) / ₹	
1.	डिस्कवरी ट्रेवल / लिविंग	800	7-12 AM 12PM-11 PM	100 495
2.	एन.डी.टी.व्ही. 24 x 7	2700	7 AM-7PM 7PM-8 PM 8PM-11PM	743 1239 1735
3.	एन.डी.टी.व्ही. गुड टाइम	600	7AM-9AM 9AM -11PM	100 495
4.	सी.एन.एन आई.बी.एन.	2200	7 AM-7PM 7PM-8PM 8PM-11 PM	743 1487 1735
5.	टाइम्स नाऊ	3500	7AM-9AM 9AM-12Noon 12PM-7 PM 7PM-8 PM 8PM-11 PM	495 743 991 1239 1983

(स्त्रोतः कम्पनी से प्राप्त डाटा)

एजेन्सी के चयन की गलत प्रक्रिया तथा उसके द्वारा चार्ज की गई अप्रतिस्पर्धात्मक दरों के परिणामस्वरूप, टूरिस्टों की संख्या में वृद्धि से आश्वस्त हुये बिना ही, कम्पनी को प्रचार तथा प्रसार पर अधिक खर्च करना पड़ा ।

सरकार ने (दिसम्बर 2012) जवाब दिया कि डी.ए.व्ही.पी. की दरें केवल सरकारी संस्थानों के लिये ही वैध है तथा कम्पनी के लिये नहीं। अतः दरों में भिन्नता थी। सरकार द्वारा दिया गया उत्तर अमान्य है क्योंकि मध्य प्रदेश सरकार द्वारा (मई 2007) बनाये गये विज्ञापन नियमों के अनुसार इलेक्ट्रोनिक मीडिया की दरों का निर्णय करने से पहले डी.ए.व्ही.पी. द्वारा तय की गई दरों को ध्यान में रखा जाना चाहिये था। कम्पनी, मीडिया एजेन्सी से मोलभाव करने में भी असफल रही क्योंकि एजेन्सी द्वारा चार्ज की गई दरें, डी.ए.व्ही.पी. द्वारा तय की गई दरों की तुलना में अत्यधिक थी। यद्यपि सरकार ने एक्जिट कॉन्फ्रेंस (नवम्बर 2012) के दौरान, कम्पनी को इस विषय पर आगे जॉच करने के निर्देश दिये।

विपणन कार्यालयों (एम.ओ.) का निष्पादन

2.2.20. कम्पनी के होटलों के व्यवसाय आवर्धन तथा प्रचार एवं कम्पनी के व्यवसाय आवर्धन के लिये, कम्पनी के नौ विपणन कार्यालय–अहमदाबाद, हैदराबाद, कोलकाता, मुम्बई, नागपुर, लखनऊ, पुणे, रायपुर तथा नई दिल्ली में स्थित है। नीचे दी गई तालिका, वर्ष 2007–08 से 2011–12 के दौरान, इन कार्यालयों के निष्पादन को दर्शाती है:–

(₹ करोड़ में)

वर्ष	व्यवसाय के लक्ष्य (₹)	वास्तविक व्यवसाय (₹)	लक्ष्य का वास्तविक व्यवसाय से प्रतिशत	विपणन कार्यालयों के कुल खर्चे (₹)	कुल खर्चों का वास्तविक व्यवसाय से प्रतिशत
2007-08	9.50	7.61	80.11	3.12	41
2008-09	10.85	8.73	80.46	3.47	40
2009-10	13.50	9.89	73.26	4.39	44
2010-11	18.75	12.17	64.91	4.52	37
2011-12	18.25	15.15	83.01	5.17	34

(स्त्रोतः कम्पनी से प्राप्त डाटा)

हमने पाया कि:

सभी विपणन कार्यालय, केवल एम.ओ., पुणे को छोड़कर अवधि 2007–08 से 2011–12 के दौरान अपने टर्नओवर लक्ष्य प्राप्त करने में असफल रहे। रद्दीकरण की प्रतिशतता 10.54 से 50.75 के बीच रही। एम.ओ., लखनऊ एवं हैदराबाद के विज्ञापन एवं प्रचार प्रसार को शामिल करते हुये, स्थापना व्यय असाधारण रूप से अधिक रहे।

- सभी विपणन कार्यालय अवधि 2007–08 से 2011–12 के दौरान, पुणे कार्यालय को वर्ष 2011–12 में छोड़कर, टर्नओवर लक्ष्य प्राप्त करने में असफल रहें।
- कंपनी द्वारा ट्रेवल अभिकर्ताओं को बिना अग्रिम के ब्लॉक बुकिंग के अधिकार दिये गये थे। हमारे द्वारा विश्लेषित किया गया कि लक्ष्य प्राप्त न करने का प्रमुख कारण विविध ट्रेवल अभिकर्ताओं द्वारा ऑनलाइन आरक्षण व्यवस्था में ब्लॉक बुकिंग का रद्दीकरण था। अवधि 2010–11 एवं 2011–12 के दौरान रद्दीकरण की प्रतिशतता 10.54 और 50.75 के बीच रहा। कंपनी द्वारा ट्रेवल अभिकर्ताओं के साथ, व्यवसाय के लक्ष्य निर्धारण हेतु, कोई करारनामा नहीं किये गये। किसी करारनामे की अनुपस्थिति में, कंपनी द्वारा वृहत्त रद्दीकरण के लिये ट्रेवल अभिकर्ताओं के खिलाफ कोई कदम नहीं उठाये गये। अवधि 2010–11 एवं 2011–12 के दौरान एम.ओ., लखनऊ, दिल्ली तथा हैदराबाद में रद्दीकरण असाधारण रूप से अधिक जो कि 30.16 से 50.76 के बीच रहा।
- कंपनी द्वारा इन विपणन कार्यालयों के विज्ञापन व प्रचार प्रसार को सम्मिलित करते हुये स्थापना व्ययों के कोई मापदण्ड निर्धारित नहीं किये गये हैं। एम.ओ. के वास्तविक व्यय उनके कुल व्यवसाय के 34 से 44 प्रतिशत के बीच रहे, जो कि असाधारण रूप से अधिक रहे। अवधि 2008–09 से 2011–12 के दौरान, एम. ओ–लखनऊ के व्यय 89 से 175 प्रतिशत के बीच एवं एम.ओ–हैदराबाद के व्यय 30 से 60 प्रतिशत के बीच रहे। कंपनी ने इन दोनों कार्यालयों की निष्पादनता में सुधार के लिये, उनके द्वारा दिये गये व्यवसाय की मात्रा एवं उनके स्थापना व्यय के संदर्भ में, कोई कदम नहीं उठाये गये, इन दोनों कार्यालयों द्वारा अवधि 2008–09 से 2011–12 के दौरान कुल व्यवसाय ₹ 3.71 करोड़ (लक्ष्य ₹ 6.20 करोड़) किया गया, जिसके विरूद्व कुल स्थापना लागत ₹ 2.33 करोड़ रही।
- एम.ओ. अपने द्वारा किये गये व्यवसाय के साथ, ट्रेवल अभिकर्ताओं से भी व्यवसाय प्राप्त करते हैं तथा उनके द्वारा प्रदत्त व्यवसाय पर 15 प्रतिशत की दर से कमीशन दिया जाता है। दो नमूना जांच मामलों[28] में हमने पाया कि, इन एम.ओ. ने अपने

[28] विपणन कार्यालय दिल्ली और मुम्बई ।

कुल व्यवसाय का 28 से 35 प्रतिशत व्यवसाय ट्रेवल अभिकर्ताओं से प्राप्त किया। ट्रेवल अभिकर्ताओं के कमीशन को सम्मिलित न करते हुये उनका कुल व्यय 40 से 106 प्रतिशत के बीच रहा, जैसा कि ***परिशिष्ट 11*** में विवरण दिया गया है। परिशिष्ट से यह प्रमाणित होता है, कि एम.ओ. द्वारा किये गये व्यवसाय का भाग, उनके विज्ञापन एवं प्रचार प्रसार को सम्मिलित करते हुये भारी स्थापना व्ययों के बाद भी, ट्रेवल अभिकर्ताओं की तुलना में, जिनकों कि केवल 15 प्रतिशत कमीशन दिया जाता है, काफी कम रहा। अतः इन एम.ओ. को चालू रखने के लिये उनके द्वारा दिये जा रहे व्यवसाय एवं उनके स्थापना व्यय के संदर्भ में समीक्षा किये जाने की आवश्यकता है।

सरकार ने जवाब दिया (दिसम्बर 2012) कि, ऑनलाइन आरक्षण व्यवस्था के अंतर्गत ब्लॉक बुकिंग के अधिकार ट्रेवल अभिकर्ताओं को नहीं दिये गये थे, परन्तु उद्योग की प्रचलित रीतियों के अंतर्गत ट्रेवल अभिकर्ताओं की ओर से विपणन कार्यालयों द्वारा यह किया जाता है, और विपणन कार्यालय प्रचार–प्रसार पर व्यय बजट से करते है, जिसका राजस्व से कोई संबंध नहीं हैं। इसके अलावा, विपणन कार्यालयों को बनाये रखना पर्यटक सूचना, तालमेल कार्य तथा राज्य के विविध स्थानों की ख्याति के लिये आवश्यक है। उत्तर मान्य नहीं है, क्योंकि राज्य के बाहर एम.ओ. की स्थापना का प्राथमिक उद्देश्य, कंपनी के व्यवसाय की उन्नति करने के साथ राज्य के पर्यटन की प्रोन्नति करना है, तथा एम.ओ. का कार्य निष्पादन उनके द्वारा प्रदत्त व्यवसाय तथा उनके कुल व्यय से ही मापा जा सकता है। प्रचार–प्रसार पर व्यय, चाहे वह प्रचार–प्रसार बजट से हो, या किसी अन्य शीर्ष से, एम.ओ. के व्यवसाय का उनके द्वारा किये गये व्ययों से सीधा संबंध होता है।

वित्तीय प्रबंधन तथा सरकारी अनुदानों का उपयोग

पूँजी संरचना

2.2.21 कंपनी की प्रदत्त पूँजी, 31 मार्च 2012 को ₹ 24.97 करोड़ थी। कंपनी ने वर्ष 2010–11 तक अपने लेखे पूर्ण किये है। कंपनी की वित्तीय स्थिति तथा कार्यचालन परिणाम वर्ष 2007–08 से 2010–11 तक की अवधि के अंकेक्षित लेखों के अनुसार ***परिशिष्ट 12 एवं 13*** में दिये गये हैं।

वित्तीय स्थिति पर टिप्पणियाँ

- कुल (एम्प्लॉयड) पूँजी पर प्रतिफल की दर वर्ष 2007–08 में 0.93 प्रतिशत से घटकर वर्ष 2008–09 में 0.64 प्रतिशत तक वर्ष 2009–10 मं 0.11 प्रतिशत तक कम हुई एवं वर्ष 2010–11 में हल्की वृद्वि के साथ 0.23 प्रतिशत रही । लाभ में निरंतर कमी तथा म.प्र. सरकार, भारत सरकार तथा वित्त आयोग से प्राप्त अनुदानों से निर्मित आस्तियों को पूर्ण कार्य के स्थान पर कार्य चालू स्थिति में रखना इस असामान्य भिन्नता के प्रमुख कारण थे।
- पूँजी संचय में निरंतर वृद्धि का कारण भारत सरकार/म.प्र. सरकार तथा वित्त आयोग से प्राप्त अनुदानों का लेखा, पूँजी संचय शीर्ष में करना था।
- समान रूप से, अनुदानों की अव्ययतीत राशि को बैंक खातों में स्थायी जमा के रूप में रखना, चालू संपत्तियों, ऋण तथा अग्रिमों में वृद्धि का कारण था।

कार्यचालन परिणामों पर टिप्पणियाँ

कम्पनी का शुद्ध लाभ अवधि 2007–08 से 2010–11 में ₹ 1.67 करोड़ से घटकर ₹ 0.65 करोड़ रहा, तथा अनुदानों की अव्यतीत राशियों पर प्राप्त ब्याज की राशि ₹ 18.80 करोड़ को कंपनी द्वारा अपनी आय के रूप में दर्शाया गया।

2.2.22 कंपनी ने वर्ष 2007–08 के दौरान ₹ 1.67 करोड़ का लाभ कमाया (टर्नओवर ₹ 58.54 करोड़) और वह 2008–09 एवं 2009–10 में कम होते हुये क्रमशः ₹ 1.51 करोड़ (टर्नओवर 66.53 करोड़) तथा ₹ 0.23 करोड़ (टर्नओवर ₹ 76.32 करोड़) रहा, जो कि वर्ष 2010–11 में ₹ 87.41 करोड़ के टर्नओवर पर बढ़कर ₹ 0.65 करोड़ रहा। अर्थात, कंपनी का टर्नओवर क्रमशः बढ़ता क्रम तथा लाभदायता क्रमशः घटता क्रम दर्शाती है। अवधि 2007–08 से 2010–11 के दौरान टर्नओवर पर शुद्ध लाभ की प्रतिशतता, तीव्रता से घटकर 3.96 से 0.78 प्रतिशत रही। स्थापना व्ययों में वृद्धि (₹ 11.23 करोड़ वर्ष 2007–08 से ₹ 20.97 करोड़ वर्ष 2010–11 में) तथा प्रशासनिक व्ययों में वृद्धि (₹ 9.21 करोड़ वर्ष 2007–08 से वर्ष 2010–11 में ₹ 17.21 करोड़) कंपनी के लाभ में कमी तथा टर्नओवर से लाभ में प्रतिशतता में कमी के कारण थे।

कंपनी ने अवधि 2007–08 से 2010–11 के दौरान राज्य में पर्यटन के विकास के लिये प्राप्त अनुदान की अव्ययतीत राशियों के जमाओं से प्राप्त ब्याज के रूप में ₹ 18.80 करोड़ कमाये, तथा अपने खातों में अपनी आय के रूप में दर्शाया। अप्रयोज्य अनुदानों की राशियों को स्थायी जमा में रखने से प्राप्त ब्याज के कारण कंपनी का लाभ अवधि 2007–08 से 2010–11 के अंकेक्षित लेखों के दौरान क्रमशः ₹ 4.27 करोड़, ₹ 4.79 करोड, ₹ 4.61 करोड़ तथा ₹ 5.13 करोड़ अधिव्यक्त रहे।

अतः ब्याज की आय को हटाने पर कंपनी को अवधि 2007–08 से 2010–11 के दौरान क्रमशः ₹ 2.60 करोड़, ₹ 3.28 करोड़, ₹ 4.38 करोड़ तथा ₹ 4.48 करोड़ की हानि हुई।

सरकार ने जवाब दिया (दिसम्बर 2012) कि स्थापना व्ययों एवं मूल्य हास में वृद्धि तथा ग्रेच्युटी ट्रस्ट के माध्यम से ग्रेच्युटी का अग्रिम प्रावधान के कारण कुल आय में निरंतर वृद्धि के अनुपात में शुद्ध लाभ में वृद्धि नहीं हुई।

प्राप्य योग्य राशियों का प्रबंधन

कम्पनी के पास इकाईयों के देनदारों के शेष से मुख्यालय के साथ सामयिक समायोजन की कोई उचित व्यवस्था नहीं है । देनदारों के विस्तृत विवरण की अनुपलब्धता के कारण कम्पनी ने ₹0.35 करोड़ के देनदार अपलिखित किये ।

2.2.23 कंपनी के पास विविध देनदारों का आयु वार एवं पार्टी वार रिकार्ड एवं उनके सामयिक समायोजन का कोई तंत्र नहीं था। कंपनी के विविध देनदार वर्ष 2007–08 से 2010–11 के दौरान क्रमशः ₹ 6.34 करोड़, ₹ 5.50 करोड़, ₹ 6.40 करोड़ एवं ₹ 4.90 करोड़ रहे। साथ ही, विविध देनदारों की जाँच में पाया गया कि:

- देनदारों के विस्तृत लेखों के अनुपलब्धता के कारण कंपनी ने वर्ष 2008–09 में ₹ 0.35 करोड़ के देनदार अपलिखित किये। देनदारों के आयु वार एवं पार्टी वार अभिलेखों के अनुपस्थिति के कारण आठ होटलों[29] के ₹ 1.09 करोड़ तथा यातायात इकाई के ₹ 1.16 करोड़, पार्टी वार तथा बिल वार का विस्तृत विवरण कम्पनी के पास अनुपलब्ध था।
- होटल पलास के अभिलखों के अनुसार 31 मार्च 2012 को, विविध देनदार ₹ 2.18 करोड़ थे, जबकि मुख्यालय के अभिलेखों के अनुसार ये ₹ 1.33 करोड़ थे । यह अंतर शेषों के सामयिक समायोजन की कोई व्यवस्था न होना दर्शाता है।

[29] होटल पलाश रेसीडेन्सी–भोपाल, होटल क्षिप्रा–उज्जैन, होटल तानसेन रेसीडेन्सी–ग्वालियर, होटल शीश महल–ओरछा, होटल बेतवा रिट्रीट–ओरछा, होटल अमलतास–पचमढ़ी, होटल हाइलैण्ड–पचमढ़ी तथा होटल कलचुरी–जबलपुर ।

सरकार ने जवाब दिया (दिसम्बर 2012) की होटल के लेजर तथा मुख्यालय के लेजर में समायोजन का कार्य कराया जायेगा । अतः तथ्य यह है कि कंपनी में देनदारों के शेषों का सामयिक समायोजन की व्यवस्था नही थी।

सरकारी अनुदानों की प्राप्ति एवं उनका उपयोग

2.2.24 कम्पनी को नोडल एजेन्सी होने के नाते राज्य में पर्यटन अधोसंरचना के विकास के लिये पर्यटन मंत्रालय, भारत सरकार वित्त आयोग की संस्तुति पर तथा मध्य प्रदेश सरकार से कोषों की प्राप्ति होती है। मध्यप्रदेश में पर्यटन अधोसंरचना के विकास के लिये 12वें वित्त आयोग के अंतर्गत भारत सरकार ने ₹ 67 करोड़ का विशिष्ट अनुदान संस्वीकृत (नवम्बर 2004) किया । इन अनुदानों के उचित उपयोग को मार्गदर्शिका के अंतर्गत सुनिश्चित करने के लिए मध्य प्रदेश सरकार ने 'राज्य स्तरीय उच्च प्राधिकार समिति' (एस. एल.ई.सी.) का गठन किया। कंपनी, भारत सरकार/म.प्र. सरकार से प्राप्त पूँजी अनुदानों से भी पर्यटन योजनाओं का क्रियान्वयन करती है।

अवधि 2007–08 से 2011–12 के दौरान कोषों की प्राप्ति तथा उनके व्यय का विवरण निम्नांकित सारणी में दिया गया है:

(₹ करोड़ में)

वर्ष	प्रारंभिक शेष[30]	प्राप्तियां[31]			कुल उपलब्ध अनुदान	अनुदानों का उपयोग	अंतिम शेष	उपयोग की प्रतिशतता
		भारत सरकार	वित्त आयोग	म.प्र. सरकार				
2007-08	31.41	29.15	10.16	0.49	71.21	30.28	40.93	42.52
2008-09	40.93	30.80	14.85	7.80	94.38	42.95	51.43	45.50
2009-10	51.43	36.95	10.05	4.42	102.85	57.92	44.93	56.32
2010-11	44.93	30.72	--	4.44	80.09	44.94	35.15	56.11
2011-12	35.15	24.05	28.02	17.04	104.26	50.84	53.42	48.76

(स्त्रोतः कंपनी के वार्षिक लेखों से संकलित तथा वर्ष 2011–12 के लिये कंपनी द्वारा दी गई जानकारी)

उपरोक्त तालिका से यह देखा जा सकता है कि 31 मार्च 2012 को ₹ 53.42 करोड़ के अनुदान अनउपयुक्त रहे। अवधि 2007–08 से 2011–12 के दौरान उपलब्ध अनुदानों से उपयोगिता का प्रतिशत 42.52 से 56.32 के बीच रहा।

अनुदानों की राशि का व्यय किये बिना उपयोगिता प्रमाणपत्र प्रस्तुत करना

2.2.24.1 कंपनी ने अवधि 2006–07 से 2009–10 के दौरान 12वें वित्त आयोग से ₹ 67 करोड़ का अनुदान प्राप्त किया तथा संपूर्ण राशि का उपयोगिता प्रमाणपत्र प्रस्तुत किया (मार्च 2010)। हमने पाया कि दस योजनाओं[32] से संबंधित ₹ 3.12 करोड़ अभी भी अप्रयुक्त रहे (दिसम्बर 2012), जो कि सरकार को समर्पित नहीं किये गये। अतः अनुदानों का

30 वर्ष 2007–08 के लिये प्रारंभिक शेष की गणना वर्ष 2006–07 में अनुदान की प्राप्ति तथा उपयोग में से बचे शेष के आधार पर की गई।

31 वर्ष 2007–08 से 2011–12 के दौरान भारत सरकार, वित्त आयोग तथा मध्य प्रदेश सरकार से प्राप्त कुल अनुदान ₹ 248.94 करोड़ ।

32 मार्ग सुविधा गुना, मार्ग सुविधा लखनादौन, पर्यटक स्वागत केन्द्र कान्हा, प्रदर्शन केन्द्र मुक्की, वाटर स्पोर्ट्स काम्पलेक्स बाणसागर, भोपाल में इकबाल मैदान का विकास, माण्डू में तालाब का सौंदर्यीकरण, वाटर स्पोर्ट्स बर्गी, वाटर राफ्टिंग ओमकारेश्वर तथा वांचू प्लाइंट इंदौर ।

अनुदानों को व्यय किये बिना उपयोगिता प्रमाणपत्र प्रस्तुत कर कंपनी ने अनुदानों की शर्तों का उल्लंघन किया ।

वास्तविक उपयोग किये बिना उपयोगिता प्रमाणपत्र प्रस्तुत करना तथा अप्रयुक्त अनुदानों को समर्पित न किया जाना अनियमित तथा अनुदान की संस्वीकृति की शर्तों का उल्लंघन था ।

सरकार ने जवाब दिया (दिसम्बर 2012) कि, कार्य संपन्न होने पर निर्धारित क्रियाविधि के अनुसार उपयोगिता प्रमाणपत्र प्रस्तुत किये गये थे। उत्तर मान्य नहीं है क्योंकि दस योजनाओं के ₹ 3.12 करोड़ के कार्य दिसम्बर 2012 तक पूर्ण नहीं किये गये हैं ।

2.2.24.2 कंपनी द्वारा अवधि 2007–08 से 2011–12 के दौरान भारत सरकार के अनुदान से किये गये 45 में से 21 योजनाओं को हमने नमूना जांच में लिया। हमने देखा कि कंपनी ने सात नमूना जाँच मामलों[33] में ₹ 27.34 करोड़ के उपयोगिता प्रमाणपत्र प्रस्तुत (अगस्त 2010, दिसम्बर 2011 तथा जनवरी 2012) किये, जबकि उपयोगिता प्रमाणपत्र प्रस्तुत करने कि तिथि तक वास्तविक व्यय ₹ 22.44 करोड़ था। अतः सम्पूर्ण राशि व्यय किये बिना उपयोगिता प्रमाणपत्र प्रस्तुत करना उचित नहीं था।

सरकार ने जवाब दिया (दिसम्बर 2012) कि, उक्त कार्यों के उपयोगिता प्रमाणपत्र निर्धारित क्रियाविधि एवं वास्तविक व्यय के आधार पर प्रस्तुत किये गये है। उत्तर मान्य नहीं है क्योंकि, कंपनी ने सात मामलों में ₹ 27.34 करोड़ के उपयोगिता प्रमाणपत्र प्रस्तुत किये, जबकि वास्तविक व्यय ₹ 22.44 करोड़ किया गया।

2.2.24.3 म.प्र. सरकार से प्राप्त अनुदानों के संबंध में हमने पाया कि कंपनी ने चार नमूना जाँच मामलों[34] में ₹ 2.71 करोड़ के उपयोगिता प्रमाण पत्र प्रस्तुत किये, जबकि उपयोगिता प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने की तिथि तक वास्तविक व्यय ₹ 1.78 करोड़ था। अतः सम्पूर्ण राशि व्यय किये बिना उपयोगिता प्रमाणपत्र प्रस्तुत करना उचित नहीं था।

सरकार ने जवाब दिया (दिसम्बर 2012) कि उक्त समस्त कार्य उचित समय में किये गये, जिसके अनुसार ही उपयोगिता प्रमाणपत्र प्रस्तुत किये गये है। उत्तर मान्य नहीं है क्योंकि कंपनी ने ₹ 0.93 करोड़ के उपयोगिता प्रमाणपत्र वास्तविक रूप से इन परियोजनाओं पर व्यय किये बिना प्रस्तुत किये थे। तथापि, कंपनी ने इस तरह के मामलों को रोकने के लिये एक व्यवस्थित तंत्र विकसित करने के बारे में एक्जिट कान्फ्रेस (नवम्बर 2012) में सूचित किया।

अनुदानों का विचलन

कंपनी ने भारत सरकार तथा एस.एल.ई.सी. के स्वीकृति के बिना विशिष्ट परियोजनाओं के लिये आवंटित अनुदानों का विचलन किया।

2.2.24.4 एस.एल.ई.सी. द्वारा 12वें वित्त आयोग के अनुदानों के लिये दी गई स्वीकृति की शर्त के अनुसार उक्त अनुदान केवल उन्ही कार्यों में प्रयुक्त किये जाने थे, जिनके लिये ये स्वीकृति दी गयी थी। कंपनी ने अवधि 2006–07 से 2009–10 के दौरान, एस.एल.ई.सी. से पूर्व स्वीकृति प्राप्त किये बिना, अपनी होटलों के नवीनीकरण, इलेक्ट्रोनिक्स वस्तुओं की खरीदी, किचिन आइटम, फर्नीचर तथा अन्य मदों में ₹ 1.53 करोड़ व्यय किये । हमने देखा कि एस.एल.ई.सी. द्वारा ये राशियां पांच परियोजनाओं[35] के लिये आवंटित की गई थी । एस. एल.ई.सी. की स्वीकृति के बिना विशिष्ट परियोजनाओं के लिये आवंटित अनुदानों के विचलन से अनुदानों की संस्वीकृति की शर्तों का उल्लंघन हुआ । साथ ही इन पांच

33 मेगा डेस्टीनेशन – चित्रकूट, माण्डू का विकास फेज II, नलखेड़ा, देवास, विदिशा का विकासा, बुरहानपुर और कारवां पर्यटन।

34 धरजी देवास में रेस्ट हाउस का निर्माण, पर्यटक स्वागत केन्द्र धार, मंडला तथा युवा एवं साहसी पर्यटन।

35 महेश्वर में घाट का विकास, प्रदर्शन केन्द्र मुक्की, वाणसागर में वाटर स्पोर्टस, हलाली में वाटर स्पोर्टस तथा माण्डू में सागर ताल का विकास ।

परियोजनाओं के उपयोगिता प्रमाणपत्र मार्च 2010 में जारी किये गये, जैसा कि कंडिका क्रमांक 2.2.24.1 में उल्लेखित किया गया है।

2.2.24.5 हमने पाया कि तीन नमूना जाँच मामलों/परियोजनाओं[36] में कंपनी ने अपनी होटलों के नवीनीकरण, सुधार तथा मरम्मत व रखरखाव पर ₹ 71.90 लाख का विचलन कर संस्वीकृति की शर्तों का उल्लंघन किया।

सरकार ने जवाब दिया (दिसम्बर 2012) कि किसी अनुदान का विचलन नहीं किया गया है। उत्तर मान्य नहीं है, क्योंकि कंपनी ने काफी बड़ी राशि अपने होटलों के नवीनीकरण, सुधार, मरम्मत एवं रखरखाव पर व्यय की हैं ।

मूल प्रस्ताव से विचलन

2.2.24.6 पर्यटकों को मूलभूत सुविधायें जैसे-बैकिंग, टेलीफोन, हस्तशिल्प, केन्द्र कैफेटेरिया, जन–सुविधायें इत्यादि प्रदान करने के लिये, 12 वें वित्त आयोग के अनुदान से एस.एल.ई.सी. ने, कान्हा (जनवरी 2007) एवं बुरहानपुर (नवम्बर 2006) में क्रमशः ₹ 3 करोड़ एवं ₹ 2 करोड़ संस्वीकृत किये। कंपनी ने एस.एल.ई.सी. द्वारा स्वीकृत मूल प्रस्ताव से हटकर, कान्हा में 12 कमरों वालें चार पर्यटक कॉटेज्स का निर्माण प्रारंभ किया, जिनका कार्य प्रगति (जुलाई 2012) पर था, जबकि बुरहानपुर में व्यवसायिक उपयोग हेतु 11 कमरों के एक होटल का निर्माण किया । परिणामस्वरूप न केवल अनुदान का विचलन हुआ, बल्कि सरकार द्वारा योजनागत मूलभूत सुविधाओं से भी पर्यटक वंचित रहे।

सरकार ने जवाब दिया (दिसम्बर 2012) कि पर्यटक स्वागत केन्द्र (टी.आर.सी.) में पर्यटकों को अन्य सुविधाओं जैसे बैंकिंग, टेलिफोन, हस्तशिल्प केन्द्र तथा केफेटेरिया/जन सुविधाओं इत्यादि के साथ अच्छे निवास हेतु कुछ कमरों का निर्माण किया गया है । उत्तर मान्य नहीं है क्योंकि कंपनी ने टी.आर.सी. की बजाय अपने होटलों के निर्माण पर अधिक ध्यान दिया तथा मूल प्रस्ताव से विचलन किया। आगे, पर्यटकों को सुविधायें जैसे–बैंकिंग, टेलिफोन, हस्तशिल्प केन्द्र, कैफीटोरिया/जन सुविधायें आदि का निर्माण, सार्वजनिक स्थलों पर, टी. आर.सी हेतु आवश्यक था।

परियोजनाओं का कार्य शुरू न किया जाना

2.2.24.7 कंपनी ने दो परियोजनाओं जो कि मार्ग सुविधायें–गुना तथा लखनादौन ₹ 80 लाख (प्रत्येक ₹ 40 लाख) का कार्य, भूमि की अनुपलब्धता के कारण प्रारंभ नहीं किये गये (मार्च 2012), ये कार्य 12वें वित्त आयोग के अनुदान में से एल.एल.ई.सी. द्वारा स्वीकृत किये गये थे, कंपनी द्वारा इन कार्यों को पूर्ण दिखाकर उपयोगिता प्रमाण पत्र भेजे जा चुके हैं।

सरकार ने जवाब दिया (दिसम्बर 2012) कि मार्ग सुविधा–गुना का कार्य नगर निगम–गुना द्वारा किया जाना था। नगर निगम–गुना को अनुदान की राशि जारी करने के पश्चात ही उपयोगिता प्रमाणपत्र प्रस्तुत किया गया था। मार्ग सुविधा – लखनादौन का कार्य भूमि के संबंध में विवाद के कारण प्रारंभ नहीं किया जा सका तथा भूमि के आवंटन की स्थिति प्रतिक्षित है। उत्तर मान्य नहीं है, क्योंकि जब तक कार्य पूर्ण नहीं होता तब तक उपयोगिता प्रमाण पत्र प्रस्तुत नहीं किये जा सकते हैं, जबकि उक्त कार्य अब भी (दिसम्बर 2012) अपूर्ण थे।

[36] डेस्टीनेशन डेवलपमेंट माण्डू–सागर ताल का विकास, हाट बाजार का निर्माण तथा स्वागत केन्द्र का निर्माण आदि; कारवां पर्यटन–स्वागत केन्द्र का निर्माण, एपरोच मार्ग का विकास, पाथवे तथा पार्किंग कार्य आदि; और माण्डू फेज II का विकास–रेवा कुण्ड का विकास, नीलकंढ, रूपमति पवेलियन का सौदर्यीकरण ।

2.2.24.8 कंपनी को म.प्र. सरकार से धाराजी, देवास में एक विश्राम गृह के निर्माण के लिये ₹ 65 लाख[37] का अनुदान प्राप्त हुआ। कंपनी ने देवास विकास प्राधिकरण से कार्य कराने का निश्चय किया तथा ₹ 35 लाख (2008–09 में ₹ 25 लाख तथा 2009–10 में ₹10 लाख) जारी किये और संपूर्ण राशि ₹ 65 लाख का उपयोगिता प्रमाण पत्र प्रस्तुत (जून 2009 तथा मार्च 2010) किया । भूमि की अनुपलब्धता के कारण विश्राम गृह का निर्माण मार्च 2012 तक प्रारंभ नहीं किया गया था तथा ₹ 35 लाख अब भी देवास विकास प्राधिकरण के पास अप्रयुक्त रहे (मार्च 2012) ।

सरकार ने जवाब दिया (दिसम्बर 2012) कि कंपनी ने निर्माण कार्य के लिये देवास विकास प्राधिकरण के पास ₹ 35 लाख जमा किये थे तथा भूमि संबंधी विवाद के कारण कार्य प्रारंभ नहीं हुआ । उत्तर मान्य नहीं है, क्योंकि उपयोगिता प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने की तिथि तक देवास विकास प्राधिकरण ने कार्य प्रारंभ नहीं किया था तथा बिना उचित समय वृद्धि प्राप्त किये देवास विकास प्राधिकरण के पास जमा करना, उपयोगिता प्रमाण पत्र हेतु कार्य की पूर्णता नहीं मानी जा सकती।

अनुदान की अप्रयुक्त राशि का समर्पण न किया जाना

2.2.24.9 अनुदान की संस्वीकृति की शर्त के अनुसार, यदि अनुदान प्राप्ति के छः माह के भीतर अनुदान का उपयोग नहीं किया जाता है तो कंपनी को ऐसी अप्रयुक्त अनुदान राशि समर्पित करनी चाहिये । 13 नमूना जांच मामलों[38] में हमने पाया कि कम्पनी ने भारत सरकार से प्राप्त ₹ 21.36 करोड़ की अप्रयुक्त अनुदान राशि समर्पित नहीं की ।

सरकार ने जवाब दिया (दिसम्बर 2012) कि, भारत सरकार किसी भी परियोजना की पूर्णता के लिये 12 महीने की समय सीमा निर्धारित करती है, जो कि उचित कारणों से बढ़ाई जा सकती है । यह भी बताया गया कि अनुदान की अप्रयुक्त राशि का समर्पण न किया जाना वैध है, यदि कार्य प्रारम्भ हो चुका हो या प्रगति पर हो। उत्तर मान्य नहीं है, क्योंकि कंपनी इन परियोजनाओं के लिये समय वृद्वि का अनुमोदन प्राप्त करने में असफल रही तथा अव्ययतीत अनुदान की राशि सरकार को समर्पित करने के बजाय अपने पास रखा।

परियोजना के मूल उद्देश्यों की प्राप्ति न होना

2.2.24.10 12वें वित्त आयोग के अनुदान से एस.एल.ई.सी. ने दो परियोजनाओं–जल क्रीड़ा केन्द्र वाण सागर तथा हलाली के निर्माण के लिये प्रत्येक के लिये, ₹ 1.70 करोड़, संस्वीकृत किये। जल क्रीड़ा केन्द्रों के निर्माण का प्राथमिक उद्देश्य इन स्थानों पर जल क्रीड़ा गतिविधियाँ प्रारम्भ करना था। कम्पनी ने बाणसागर में कैफेटेरिया, स्टाफ क्वार्टर्स, बोट शेड तथा अन्य कार्यो के निर्माण के लिये ₹ 81 लाख व्यय किये (मार्च 2012)। कम्पनी ने जल क्रीड़ा गतिविधियों के लिये जल क्रीड़ा उपकरण उपलब्ध कराने हेतु अब तक (दिसम्बर 2012) कोई कदम नहीं उठाये। समान रूप से, कम्पनी ने हलाली में कैफेटेरिया, लैण्डस्केपिंग, जेटी तथा कमरों के निर्माण के लिये ₹ 1.48 करोड़ व्यय किये। जल क्रीड़ा केन्द्र के नाम पर केवल पैडलबोट सुविधा उपलब्ध कराई गई। अर्थात कम्पनी, 12वें वित्त आयोग के अनुदान से ₹ 2.29 करोड़ व्यय करने के बाद भी, परियोजनाओं के मूलभूत उद्देश्यों की पूर्ति नहीं कर सकी।

37 2008–09 में ₹ 25 लाख व 2009–10 में ₹ 40 लाख ।

38 गंतव्य विकास बैतूल, बुरहानपुर-II, सल्कनपुर-II, कनवेन्शन सेन्टर–भोपाल, मेगा डेस्टीनेशन–चित्रकुट (2009–10), इन्द्रासागर, हान्डीया, महु, फुड क्राफ्ट इन्स्टीयूट–जबलपुर, रतलाम, मंदसौर–नीमच सर्किट, सेवा प्रदाता के लिये केपीसिटी बिल्डिंग, कम्प्यूटरीकरण तथा आई.टी. एवं भगोरीया उत्सव ।

सरकार ने उक्त तथ्य स्वीकार (दिसम्बर 2012) करते हुये बताया कि बोट तथा अन्य जल क्रीड़ा उपकरण 13वें वित्त आयोग के अनुदान से खरीदे जायेगे। उत्तर मान्य नहीं है, क्योंकि परियोजना के लिए स्वीकृत राशि ₹ 1.70 करोड़ में से कम्पनी केवल ₹ 0.97 करोड़ ही व्यय कर सकी तथा अब भी ₹ 0.73 करोड़ की राशि अव्यतीत रही।

2.2.24.11 राज्य में कारवाँ पर्यटन हेतु, भारत सरकार ने ₹ 2.52 करोड़ की सहायता स्वीकृत (दिसम्बर 2009) करते हुये, ₹ 2.01 करोड़ जारी किये। कारवां पर्यटन का उद्देश्य ऐसे सर्किट/स्थलों, जहां पर पर्याप्त होटल सुविधा नहीं थी, वहां पर परिवारिक भ्रमण का विकास करना था।

कंपनी ने तीन प्रस्तावित स्थलों में से, दो केम्पिंग साइट का निर्माण (दिसम्बर 2011), विविध स्थलों के स्थान पर, अपने ही दो होटलों वुड लेण्ड क्लब–पंचमढ़ी तथा तवा रिसोर्ट–तवा के केम्पस में, अपनी होटलों के वृद्धि के रूप में किया। साथ ही, कंपनी ने, तीसरे स्थल के रूप में, भोपाल स्थित बाज, कलियासोत का विकास प्रारंभ कर ₹ 7.21 लाख व्यय किये, जो तत्पश्चात् प्रशासनिक कारणों से परित्याग दिया गया। कंपनी ने, अपनी होटलों में केम्पिंग साइट का निर्माण कर, कारवां पर्यटन के उद्देश्यों की, जिनमें दूरस्थ क्षेत्रों, वन, नदी तट पर भ्रमण एवं निवास सम्मिलित था, परिपूर्ण नहीं कर सकी।

सरकार ने जवाब दिया (दिसम्बर 2012) कि कारवां स्थलों का निर्माण कंपनी की प्रवृत्त होटलों की परिसम्पत्ति में करने का कारण पर्यटकों को कमरों के बिना सुविधाये प्राप्त करना था । उत्तर मान्य नहीं है क्योंकि कारवां पर्यटन का प्राथमिक उद्देश्य दूरस्थ स्थानों, जहां पर होटल सुविधा उपलब्ध नहीं है, वहां सुविधायें प्रदान करना था।

बिना प्राधिकार के पर्यवेक्षण प्रभारों का प्राप्त किया जाना

2.2.24.12 कम्पनी ने, 12वें वित्त आयोग के अनुदान से किये गये परियोजनाओं पर, परियोजना लागत का 7 से 25 प्रतिशत पर्यवेक्षण प्रभार के रूप में ₹ 1.36 करोड़ प्राप्त कर वर्ष 2006–07 तथा 2007–08 में अपनी स्वयं की आय मानते हुये अनुदान की संस्वीकृति की शर्तो का उल्लंघन किया। तथापि, कम्पनी ने 2008–09 से पर्यवेक्षण प्रभार लगाना रोक दिया। चूंकि अनुदानों से क्रियान्वित अधिकतर परियोजनाओं से कम्पनी की पूंजीगत सम्पत्तियों का निर्माण हुआ है, अतः एस.एल.ई.सी. के विशिष्ट स्वीकृति के बिना पर्यवेक्षण प्रभारों का लिया जाना उचित नहीं था।

सरकार ने जवाब दिया (दिसम्बर 2012) कि, परियोजनाओं के क्रियान्वयन में लगे हुये इन्जीनियर एवं अधिकारियों के व्ययों की पूर्ति के लिये पर्यवेक्षण प्रभार लगाये गये थे। उत्तर मान्य नहीं है क्योंकि अनुदान की संस्वीकृति में पर्यवेक्षण प्रभार लगाये जाने का कोई विशिष्ट आदेश नहीं था तथा कम्पनी ने अनुदानों का अधिकतम उपयोग अपनी होटल के निर्माण/नवीनीकरण/मरम्मत एवं सुधार पर किया, जो कि अंतिम रूप से कम्पनी द्वारा ही चलायी जानी थी।

अपर्याप्त ठेका प्रबंधन

अर्थदण्ड का अल्प अधिरोपण

2.2.25.1 कम्पनी ने 12वें वित्त आयोग के अनुदान से भोपाल की बड़ी झील हेतु एक क्रूज बोट का कार्यादेश (अप्रैल 2010) मैसर्स हैदराबाद बोट बिल्डर्स को दिया। करारनामे के अनुसार क्रूज बोट, कार्यादेश की तिथि से चार माह (अगस्त 2010) के भीतर प्रदाय एवं

स्थापित की जानी थी तथा प्रदाय में देरी होने पर कुल राशि का दो प्रतिशत प्रतिमाह की दर से दण्ड आरोपित किया जाना था। आपूर्तिकर्ता ने 13 माह की देरी के पश्चात क्रूज बोट प्रदाय एवं स्थापित की (सितम्बर 2011)। कम्पनी ने सात माह की देरी मानते हुये ₹ 10.75 लाख दण्ड के रूप में काटकर पूर्ण राशि का भुगतान (जून 2012) आपूर्तिकर्ता को किया, जबकि आपूर्ति में वास्तविक देरी 13 माह की थी तथा उस पर दण्ड की राशि ₹ 19.96 लाख आकलित की गई। अतः परिणामस्वरूप दण्ड का ₹ 9.21 लाख से अल्प अधिरोपण करते हुये आपूर्तिकर्ता को अवांछित लाभ दिया गया।

त्रुटिपूर्ण करारनामें के कारण दण्ड का अधिरोपण न किया जाना

2.2.25.2 भोपाल को एक पर्यटन स्थल के रूप में विकसित करने के लिये, भारत सरकार से प्राप्त अनुदान ₹ 4.99 करोड़ में से, कंपनी ने बड़ी झील, भोपाल पर एक सस्पेंशन ब्रिज के निर्माण के लिये एक मुश्त राशि ₹ 2.93 करोड़ का कार्यादेश (अक्टूबर 2008) मैसर्स रामदीन अल्ट्राटेक को दिया। कार्यादेश के अनुसार, कार्य आठ माह (जून 2009) में पूर्ण किया जाना था। तथापि, सलाहकार द्वारा सस्पेंशन ब्रिज के ड्राइंग–डिजायन में बार–बार परिवर्तन तथा निर्माण में ठेकेदार द्वारा की गई देरी के कारण, कार्य 27½ महीने के विलंब से सितम्बर 2011 में पूर्ण हुआ। कंपनी ने कुल विलंब 27½ महीने में से 3½ महीने की देरी के लिये ठेकेदार को जिम्मेदार मानते हुये ₹ 50,000 का नाममात्र का दण्ड अधिरोपित किया। ठेका करारनामें में दण्ड वाक्यांश की अनुपस्थिति के कारण, कंपनी 3½ माह (14 सप्ताह) के विलंब के लिये ₹ 17.08 लाख[39] की वसूली नहीं कर सकी।

ठेका करारनामे में दण्ड वाक्यांश की अनुपस्थिति के कारण निर्माण में हुये विलंब के लिये कंपनी ठेकेदार पर ₹ 17.08 लाख का दण्ड अधिरोपित करने में असफल रही ।

सरकार ने जवाब (दिसम्बर 2012) में बताया कि सलाहकार द्वारा ड्राइंग व डिजायन में परिवर्तन के कारण निर्माण में विलंब हुआ, तथा इन समस्त तथ्यों को ध्यान में रखकर ही दण्ड अधिरोपित किया गया है। उत्तर मान्य नहीं है, क्योंकि करारनामें में दण्ड वाक्यांश न होने के कारण कंपनी ने ठेकेदार को केवल 3½ माह (14 सप्ताह) की देरी के लिये जिम्मेदार मानते हुये ₹ 0.50 लाख का नाममात्र का दण्ड अधिरोपित कर सकी।

अनुचित योजना के कारण निरर्थक व्यय

2.2.26 भारत सरकार ने भोपाल में एक कन्वेंशन सेंटर के निर्माण हेतु ₹ 5 करोड़ की संस्वीकृति दी, तथा ₹ 4 करोड़ (सितम्बर 2009) इस शर्त के साथ जारी किये कि, संस्वीकृति की दिनांक से 18 माह में कार्य पूर्ण होना चाहिये। ड्राइंग व डिजायन में परिवर्तन, निचले खण्ड के निर्मित क्षेत्र में वृद्धि, मुख्य भवन तथा एकाउस्टीकल विभाजन क्षेत्र में वृद्धि इत्यादि के कारण निर्माण कार्य प्रारंभ नहीं किया जा सका। परियोजना की आंकलित लागत मार्च 2011 में ₹ 10.55 करोड़ से ₹ 42.96 करोड़ पुनः निर्धारित की गई। कंपनी ने जून 2011 से जनवरी 2012 के बीच निर्माण कार्य हेतु तीन बार निविदायें आमंत्रित की। जून 2011 में आमंत्रित की गई पहली निविदा के लिये कोई भी प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ। बाद की दोनों निविदाओं में अधिक दरें प्राप्त होने तथा परियोजना के लिये पर्याप्त कोष न होने के कारण, कंपनी ने कार्यादेश जारी न करने का निश्चय किया । कंवेन्शन सेन्टर के लिये स्थल का निर्धारण (अप्रैल 2012) न हो पाने के कारण ₹ 37.47 लाख[40] कुल आर्किटेक्टर फीस ₹ 80 लाख[41] के विरूद्व भुगतान करने के बाद भी मार्च

कंपनी ने कंवेंशन सेंटर के निर्माण पर ₹ 37.47 लाख का निरर्थक व्यय किया।

39 ठेके की सामान्य शर्तों के अनुसार अधिरोपण योग्य जो कि कार्य की कुल लागत का प्रति सप्ताह 1/16 की दर से तथा अधिकतम 6 प्रतिशत (–) ठेकेदार से वसूल की गई दण्ड की राशि ₹ 0.50 लाख ।

40 निविदा प्रक्रिया व विज्ञापन पर क्रमशः ₹ 15.76 लाख + ₹ 18.46 लाख ।

41 परियोजना की कुल लागत का दो प्रतिशत ।

2012 तक निर्माण कार्य प्रारंभ नहीं किया जा सका । परिणामस्वरूप, ₹ 37.47 लाख का व्यय निरर्थक सिद्ध हुआ ।

सरकार ने स्वीकार करते हुये एक्जिट कान्फ्रेंस (नवम्बर 2012) में बताया कि, कन्वेंशन सेंटर की क्षमता को ध्यान में रखते हुये स्थल का निर्धारण किया जायेगा, अन्यथा अनुदान भारत सरकार को समर्पित कर दिया जायेगा।

सूचना प्रौधोगिकी तंत्र को लागू करना

2.2.27 कंपनी सम्पूर्ण राज्य में 66 होटल व रेस्टोरेन्ट तथा व्यवसायिक परिवहन के लिये एक परिवहन इकाई का संचालन कर रही थी । अपने व्यवसाय के साथ–साथ, राज्य में पर्यटन के विकास के लिये, राज्य एवं केन्द्र सरकार की एक नोडल एजेन्सी के रूप में, सरकार से प्राप्त अनुदानों से पर्यटन विकास के विविध परियोजनाओं का क्रियान्वयन करती है। कम्पनी की विभिन्न गतिविधियों में बेहतर समन्वय, पर्यटकों को गुणवत्ता वाली सेवायें प्रदान करने तथा विभिन्न गतिविधियों पर वित्तीय नियंत्रण के लिये सूचना प्रौधोगिकी का अहम योगदान है।

पर्यटन स्थलों की जानकारी, महत्व तथा राज्य के प्रमुख शहरों में उनके जुड़ाव की जानकारी प्रदान करने के लिये कंपनी की अपनी एक बेवसाइट है । साथ ही, कंपनी की होटल एवं बसों के ऑनलाइन आरक्षण की व्यवस्था है । उपरोक्त व्यवस्था के साथ, कंपनी ने अवधि 2007–08 से 2011–12 के दौरान परियोजना प्रबंधन, परिवहन प्रबंधन, होटल प्रबंधन तथा वित्तीय व वेतन प्रबंधन के लिये सॉफ्टवेयर के विकास हेतु टुकड़ों में ₹ 24.59 लाख खर्च किये, जैसा कि ***परिशिष्ट 14*** में दर्शाया गया है।

कंपनी के सूचना प्रौधोगिकी तंत्र की समीक्षा में हमने पाया किः

- कंपनी में प्रभावकारी सूचना प्रौधोगिकी व्यवस्था लागू करने के लिये कंपनी की कोई सूचना प्रौधोगिकी नीति नहीं थी।
- कंपनी ने मार्च 2012 तक होटलों के ऑनलाइन आरक्षण, व्यवसायिक बसों के आनलाइन आरक्षण तथा एक एकीकृत लेखांकन तंत्र लागू किया है।
- कंपनी ने अपनी 66 व्यवसायिक इकाईयों में से पांच[42] इकाईयों में कम्प्यूटरीकृत बिल व्यवस्था स्थापित की है। तथापि, इन पांच होटलों की कम्प्यूटरीकृत बिलिंग व्यवस्था मुख्यालय के केन्द्रीय सर्वर से जुड़ी हुई नहीं है।
- होटल पलाश–भोपाल, होटल गेटवे रिट्रीट–सांची तथा हाइवे ट्रीट रेस्टोरेंट–डोडी का होटल प्रबंधन साफ्टवेयर, मेसर्स एक्स्ट्रानेट टेक्नालॉजीज प्राइवेट लिमिटेड ने विकसित किया है, जबकि वही साफ्टवेयर होटल तानसेन रेसीडेन्सी–ग्वालियर, होटल कलचुरी रेसीडेन्सी–जबलपुर तथा होटल क्षिप्रा रेसीडेन्सी–उज्जैन में मेसर्स आई.डी.सी. सॉफ्टवेयर प्रायवेट लिमिटेड ने विकसित किया है। दोनों कंपनियों द्वारा विकसित सॉफ्टवेयर की डिजायन एक दूसरे से भिन्न है, जिस कारण दोनो को एक दूसरे से अंतःसंबंधित नहीं किया जा सकता है।
- कंपनी ने मई 2008 में ₹ 7.20 लाख की लागत पर म.प्र. राज्य इलेक्ट्रॉनिक्स विकास निगम के माध्यम से "ऑनलाइन परियोजना प्रबंधन तंत्र" विकसित कराया। सॉफ्टवेयर सूचनाओं का सृजन व प्रबंध, बजटिंग नियंत्रण, परियोजनाओं का

[42] होटल कलचुरी रेसीडेन्सी–जबलपुर, होटल क्षिप्रा रेसीडेन्सी–उज्जैन, होटल गेटवे रिट्रीट–सांची, होटल पलाश रेसीडेन्सी–भोपाल तथा होटल तानसेन रेसीडेन्सी–ग्वालियर।

क्रियान्वयन, नियंत्रण, परियोजनाओं पर समय व लागत की अधिकता तथा परियोजनाओं की वित्तीय व भौतिक प्रगति पर देखरेख आदि को ध्यान में रखकर विकसित करवाया गया था। सॉफ्टवेयर में विचारित सभी पहलूओं को ध्यान में रखकर, कंपनी अब तक (जुलाई 2012) सॉफ्टवेयर को उपयोग में नहीं ला सकी है।

अतः कंपनी इस प्रकार प्रवृत्त सॉफ्टवेयर तथा मुख्यालय व इकाईयों के साथ उसका अंतः संबंध स्थापित करने में तथा सूचना प्रौधोगिकी तंत्र लागू करने में असफल रही।

सरकार ने जवाब दिया (दिसम्बर 2012) कि, कंपनी केन्द्रीय सर्वर से अंतः संबंध के लिये उन्नयन का प्रयास कर रही है तथा इकाईयों सहित सभी स्तरों पर सतत् अंतः संबंध हेतु इंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग स्थापित करने की योजना तैयार कर रही है।

मानव संसाधन प्रबंधन

2.2.28 पर्यटन तथा सत्कार क्षेत्र की निष्पादनता उनके द्वारा प्रदान की जा रही पेशेवर सेवाओं की गुणवता पर निर्भर है। कंपनी ने अपनी मानव संसाधन की आवश्यकता का निर्धारण (अक्टूबर 2006) 2,153 व्यक्तियों की आवश्यकता के रूप में किया था। पर्यटन मंत्रालय, भारत सरकार के बाजार अनुसंधान विभाग द्वारा मानव संसाधन की आवश्यकता के निर्धारण के लिये किये सर्वे (मार्च 2009) के अनुसार होटलों के लिये कर्मचारी कमरा अनुपात 2.70 कर्मचारी प्रति कमरा निर्धारित किया गया था। अतः कंपनी के पास उपलब्ध 847 कमरों के आधार पर मार्च 2012 को कंपनी को 2,287 कर्मचारियों की आवश्यकता निर्धारण की गयी थी। हालांकि 378 कर्मचारियों की कमी के साथ कंपनी के पास केवल 1909 कर्मचारी (662 नियमित तथा 1,247 अनियमित कर्मचारी) थे।

हमने पाया कि, कंपनी के 66 में से 33 होटल/रेस्टोरेन्ट, मैनेजर संवर्ग मे निम्न वर्ग के कर्मचारियों द्वारा, इकाई प्रमुख के रूप में चलाये जा रहे थे। इनमें ग्वालियर, खजुराहो, बॉधवगढ़, कान्हा–किसली, मान्डू इत्यादि इकाईयाँ सम्मिलित थी, जहां पर देश तथा विदेशों से काफी संख्या में पर्यटक आते है, एवं इन इकाईयों का टर्नओवर ₹ 30 लाख से ₹ 3 करोड़ के बीच था। निर्धारित संवर्ग से निम्न वर्ग के अधिकारियों/कर्मचारियों द्वारा प्रदाय की जा रही सेवायें, गुणवत्ता पर विपरीत प्रभाव डाल सकती थी।

सरकार ने जवाब दिया (दिसम्बर 2012) कि निर्धारित संवर्ग के अधिकारियों/कर्मचारियों का चयन व नियुक्ति प्रक्रियाधीन थी।

निगरानी, आंतरिक नियंत्रण एवं आंतरिक लेखापरीक्षा

प्रबंध व निगरानी का अभाव

2.2.29 कंपनी के पास एक प्रबंधन सूचना प्रणाली है तथा इकाईयों व क्षेत्रीय कार्यालयों द्वारा सामयिक कार्यचालन प्रतिवेदन तैयार कर सामयिक रूप से प्रबंध संचालक को प्रस्तुत किये जाते है। तथापि, निम्नलिखित महत्वपूर्ण जानकारियाँ संचालक मंडल के समक्ष प्रस्तुत नहीं की गयीः

- वार्षिक कार्यचालन योजना तथा वर्ष 2007–08, 2008–09 एवं 2009–10 का बजट (राजस्व बजट);
- पूंजीगत व्यय व समसामयिक;

- म.प्र. सरकार के साथ वर्ष 2007–08 से 2011–12 का मेमोरेन्डम ऑफ अण्डरस्टेन्डिग (एम.ओ.यू.);
- कंपनी के व्यवसायिक खण्ड अथवा कार्यचालन विभाग तथा त्रैमासिक परिणाम तथा
- भारत सरकार/म.प्र. सरकार के अनुदानों से क्रियान्वित किये जा रहे पूँजीगत कार्यों की प्रगति।

इससे स्पष्ट होता है कि कंपनी के कार्यचालन के महत्वपूर्ण क्षेत्रों की जानकारी संचालक मंडल को नहीं दी गई। कंपनी अधिनियम, 1956 के अनुसार, अवधि 2007–08 से 2011–12 के दौरान, संचालक मंडल की 20 सभायें आयोजित की जानी थी, परंतु कंपनी ने केवल 17 सभायें ही आयोजित कीं।

सरकार ने जवाब दिया (दिसम्बर 2012) कि कंपनी के अधिकतर अधिकार प्रबंध संचालक के पास है तथा समस्त सूचनायें अध्यक्ष तक भेजी जाती हैं । अतः संचालक मंडल को प्रत्येक जानकारी देना आवश्यक नहीं था। उत्तर मान्य नहीं है क्योंकि संचालक मंडल कंपनी की सर्वोच्च निर्णयन इकाई है, अतः कंपनी के कार्यचालन से संबंधित समस्त महत्वपूर्ण जानकारियों से संचालक मंडल का अवगत होना आवश्यक है।

आंतरिक नियंत्रण

2.2.30 आंतरिक नियंत्रण व्यवस्था प्रबंधन गतिविधियों का आवश्यक भाग है । निर्धारित लक्ष्यों की प्राप्ति में एक कुशल तथा प्रभावकारी तंत्र, प्रबंधन को सहायता करता है । सरकार ने बताया (दिसम्बर 2012) कि आवधिक भौतिक सत्यापन का कार्य कंपनी के अधिकारियों के बीच पुनः निर्धारित किया गया है, जो कि विभिन्न स्तरों पर किया जा रहा है । तथापि, आंतरिक नियंत्रण व्यवस्था में निम्न कमियां पाई गयीः

- कंपनी के पास होटलों की संपत्तियों, रेस्टोरेन्ट, मार्ग सुविधा केन्द्रों तथा जल क्रीड़ा इकाई की संपत्तियों इत्यादि के भौतिक सत्यापन करने की कोई प्रणाली नहीं थी ।
- कंपनी की होटलों की सामग्री जैसे–किराना सामान आदि के स्वतंत्र भौतिक सत्यापन व आवधिक समीक्षा की कोई प्रणाली नहीं थी।
- बजट एवं वास्तविक परिणामों के प्रत्येक इकाई के कारणों के विश्लेषण का कोई निर्धारित तंत्र नहीं था, जिसके कारण कंपनी को अपर्याप्तताओं को पूरा करने में प्रभावकारी कदम उठाने में कठिनाई रही ।

आंतरिक लेखापरीक्षा

2.2.31 संपूर्ण राज्य में कंपनी की 66 इकाईयाँ, एक स्वतंत्र परिवहन इकाई, एक स्वतंत्र सिविल निर्माण इकाई तथा संपूर्ण देश में एक विस्तृत विपणन नेटवर्क है। कंपनी की विविध इकाईयों की विविध गतिविधियों की बराबर निगरानी रखने के लिये, कंपनी के व्यवसाय की प्रकृति व आकार के अनुरूप एक पर्याप्त आंतरिक लेखापरीक्षा व्यवस्था आवश्यक है ।

यह देखा गया कि कंपनी के पास कोई पृथक आंतरिक लेखापरीक्षा विभाग नहीं था तथा वित्त विभाग के कर्मचारी/अधिकारी, महाप्रबंधक (वित्त) के नियंत्रण में आंतरिक लेखापरीक्षा का कार्य कर रहे थे। लेखों के समाधान तथा रोकड़ बहियों की जांच के अलावा, अवधि 2007–08 से 2011–12 के दौरान, विविध गतिविधियों की कोई आंतरिक लेखापरीक्षा नहीं की गई। कंपनी ने कोई आंतरिक लेखापरीक्षा मेनुअल का निर्माण भी नहीं किया है।

सांविधिक लेखापरीक्षक ने, कंपनी के अवधि 2007–08 से 2010–11 के वार्षिक लेखों पर अपनी रिपोर्ट में, कंपनी के व्यवसाय की प्रकृति व आकार के अनुरूप आंतरिक लेखापरीक्षा व्यवस्था न होने की टिप्पणी की है।

सरकार ने जवाब दिया (दिसम्बर 2012) कि वरिष्ठ लेखा अधिकारियों को मुख्यालय तथा इकाईयों के लेखाओं के समाधान तथा चैकिंग का कार्य सौंपा गया था। उत्तर मान्य नहीं है क्योंकि, लेखाओं के समाधान तथा चैकिंग का कार्य आंतरिक लेखापरीक्षा से भिन्न है। अवधि 2007–08 से 2011–12 के दौरान कम्पनी द्वारा कोई भी आन्तरिक लेखापरीक्षा नहीं करायी गयी है।

लेखापरीक्षा समिति

2.2.32 कम्पनी ने कोई लेखापरीक्षा समिति नहीं बनाई है, जो कि कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 292A के अनुसार बनाई जानी आवश्यक थी, क्योंकि कम्पनी की प्रदत्त पूंजी ₹ 5 करोड़ से अधिक थी।

निष्कर्ष

कम्पनी ने, पर्यटन महत्व के दूरस्थ क्षेत्रों की पहचान/विकास तथा प्रभावकारी सूक्ष्म स्तर आयोजन के लिये कोई योजना नहीं बनाई। पर्यटक आगमन की गणना में वैज्ञानिक आधार की कमी के कारण कम्पनी द्वारा तैयार किये गये पर्यटकों के आगमन के ऑकड़ें विश्वसनीय नहीं थे। वार्षिक लेखों के अन्तिमीकरण में देरी के कारण कम्पनी ने म.प्र. सरकार को बढ़े हुये अस्थायी लाभ दर्शाये तथा मेमोरेण्डम ऑफ अण्डरस्टेन्डिग में निर्धारित किये लक्ष्यों को प्राप्त करने में असफल रही। ग्राहकों की शिकायतों पर अमल तथा उनके फीड़बैक लेने के लिये कम्पनी के पास उचित प्रणाली थी। कम्पनी के होटलों/रेस्टोरेन्ट में कार्यरत कुक, वेटर तथा अन्य कर्मचारियों के आवधिक स्वास्थ्य परीक्षण की प्रणाली प्रचलन में थी । कम्पनी के होटलों की औसत ओक्यूपेन्सी, अवधि 2007–08 से 2011–12 के दौरान, 44 से 48 प्रतिशत के बीच रही। भोपाल–इंदौर मार्ग पर चलने वाली व्यवसायिक बसों का कार्य निष्पादन संतोषजनक था। नयी निर्मित, वर्तमान तथा हानि वाली सम्पत्तियों/इकाईयाँ, निजी पार्टियों को लीज पर नहीं दी जा सकी। चिन्हित की गई 13 इकाईयों में से केवल चार इकाईयाँ ही लीज पर दी गई। पर्यटन के प्रभावकारी प्रचार–प्रसार तथा उन्नयन के लिये कोई विपणन नीति नहीं थी। विविध देनदारों के दूरदर्शिता पूर्ण प्रबन्धन तथा समय पर लेखाओं के अन्तिमीकरण के संबंध में उचित वित्तीय व्यवस्था स्थापित करने में कम्पनी असफल रही। भारत सरकार/वित्त आयोग से पर्यटन अद्योसंरचना के विकास के लिये प्राप्त अनुदानों की अप्रयोज्य राशियों का स्थाई जमाओं में विनियोग कर प्राप्तियों को अपनी आय के रूप में दर्शाया गया। कम्पनी ने अनुदानों की संस्वीकृतियों की शर्तों जैसे– अनुदानों का उपयोग किये बिना उपयोगिता प्रमाणपत्रों को प्रस्तुत करना, संस्वीकृति आदेश से उल्लेखित निर्धारित समय सीमा में परियोजनाओं का पूर्ण न किया जाना इत्यादि का पालन नहीं किया गया। उचित कोरपोरेट प्रबन्धन जैसे–विशिष्ट क्षेत्रों में प्रबन्धन द्वारा निगरानी तथा आंतरिक नियन्त्रण प्रणाली, अनुपस्थित थी तथा आंतरिक लेखापरीक्षा अपर्याप्त थी।

अनुशंसायें

- राज्य की पर्यटन नीति के संदर्भ में अपनी अल्पकालीन/दीर्घकालीन गतिविधियों को निर्धारित करते हुये कम्पनी को एक रणनीतिक/संगठित योजना तैयार करनी चाहिये तथा राज्य में पर्यटन की संभावनाओं के विकास के लिये नोड़ल क्षेत्रों की पहचान लक्ष्यों के स्पष्ट निर्धारण के लिये करना चाहिये;
- कम्पनी को पर्यटको के आगमन, सम–विच्छेद लाभ की मात्रा इत्यादि को ध्यान में रखते हुये वैज्ञानिक रूप से होटलों को ओक्यूपेन्सी के मान निर्धारित करने चाहिये तथा व्ययों की सीमा (संचालन अनुपात) का पालन करना चाहिये;
- विविध देनदारों के विवेकपूर्ण प्रबंधन तथा समय पर लेखाओं के पूर्ण करने की सुनिश्चितता के लिये वित्तीय प्रबंधन में सुधार की आवश्यकता है;
- कम्पनी को भारत सरकार/वित्त आयोग/राज्य सरकार से प्राप्त अनुदानों के उपयोग में निर्दिष्ट कार्यों में लगाने तथा निर्दिष्ट समय में पूर्ण करने, सही उपयोगिता प्रमाण पत्रों के प्रस्तुतीकरण तथा अप्रयुक्त अनुदानों के समर्पण हेतु समुचित देखरेख व निगरानी रखनी चाहिये; तथा
- कम्पनी को प्रबंध द्वारा उचित निगरानी, आंतरिक नियंत्रण व्यवस्था व आंतरिक लेखापरीक्षा के सुदृढ़ीकरण द्वारा निगमन प्रशासन को सशक्त बनाना चाहिये।